पंचम माला, खंड 20, अंक 1 - 10
Fifth Series, Vol. XX, No. 1 - 10

सोमवार, 13 नवम्बर, 1972/22 कार्तिक, 1894 (शक)
Monday, November 13, 1972/Kartika 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 13 नवम्बर, 1972/22 कार्तिक, 1894 (शक)

No. 1, Monday, November 13, 1972/Kartika 22, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members ..	(xvii-xxiii)
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House	(xxiv)
भारत सरकार के मन्त्री, राज्य मन्त्री आदि	Govt. of India—Ministers, Ministers of State, etc.	(xxv-xxvi)
भूटान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का स्वागत	Welcome to Speaker of National Assembly of Bhutan	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	1–7
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
1. शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy on Education ..	8–12
2. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विवाद	Controversy on fixing ceiling on Land	12–13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS*	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
3. स्कूल भवन सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Schools Building Committee ..	14–15
4. दिल्ली में राशन वितरण प्रणाली	Distribution system of Ration in Delhi	15
5. चिदाम्बरम् में भगवान नटराज के मन्दिर के नवीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा सहायता।	UNESCO aid for renovation of Lord Natraja Temple in Chidambaram	15
6. दिल्ली में मिनी बसों द्वारा क्षमता से अधिक यात्री ले जाया जाना।	Over Carriage of Passengers by Mini-Buses in Delhi	15–16

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actual asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
7.	पांचवीं योजना में सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी मसौदा।	Draft paper on Cultural Development in Fifth Plan ..	16
8.	म्यूनिख ओलम्पिक, 1972 खेलों में अधिकारियों तथा खिलाड़ियों का व्यवहार	Behaviour of Officials and Sportsmen at Munich Olympics, 1972 ..	16–17
9.	स्कूल के बच्चों को संसद के कार्यकरण के बारे में शिक्षा देना	Educating School Children in Functioning of Parliament ..	17
10.	निरक्षरता का उन्मूलन	Eradication of Illiteracy	18
11.	निजी तौर पर चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को सरकारी अधिकार में लेना	Taking over of Privately run Educational Institutions ..	18
12.	खुले बाजार में चीनी की बिक्री बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to abolish free market sugar	18
13.	जयन्ती ग्राम	Jayanti villages	19
14.	ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना	Setting up of Rural Road Commissions	19–20
15.	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	21
16.	भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच	Enquiry into charges levelled against Chairman and senior officials of the Food Corporation of India	21
17.	आसाम की शिक्षण संस्थाओं में भाषायी दंगे	Linguistic riots in Educational Institutions in Assam	21–22
18.	ट्रावनकोर हाऊस और कपूरथला प्लाट	Travancore House and Kapurthala Plot	22
19.	शिक्षा प्रणाली में सुधार	Reform in educational system ..	22–23
20.	मध्यम आय वर्ग आवासीय योजना और ग्रामीण गृह निर्माण योजना हेतु राज्यों के लिए मंजूर की गई राशि—	Amount sanctioned to States for Middle Income Group Housing Scheme and Rural Housing Scheme ..	23–24

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1.	म्यूनिख में हुए ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम में खिलाड़ियों तथा अधिकारियों की संख्या	Strength of Indian Team at Munich Olympics	24
2.	चौथी योजना में जहाज निर्माण की क्षमता तथा आवश्यकतायें	Ship building capacity and Requirement during IV Plan Period ..	24–25
3.	हेक्सा क्लोरोफोन के कुप्रभाव	Ill Effects of Hexa Chlorophene	25
4.	दिल्ली परिवहन निगम अथवा गैर सरकारी संचालकों द्वारा सड़कों पर मिनी बसों का चलाया जाना	Mini-Buses to be put on Road by DTC or Private Operators	25–26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
5.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा दूध के टोकन कार्डों का जब्त किया जाना	Seizure of Milk Token Cards by DMS Staff ..	26
6.	रूस से आयात की गई पी जाने वाली पोलियो औषधि (ओरल पोलियो वैक्सीन)	Oral Polio Vaccine from USSR	26
7.	पहाड़ गंज, नई दिल्ली में होटल	Hotels in Pahar Ganj, New Delhi	27
8.	डेरा इस्माइल खां हाऊस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली द्वारा भूमि का विकास	Development of Land by the Dera Ismail Khan House Building Society, Delhi	27
9.	म्यूनिख ओलम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा दर्शकों पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Indian Players, Coaches and Visitors to Munich ..	28
10.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों की घोषणा	Declaration of National Highways in M.P.	28–29
11.	मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Roads in Madhya Pradesh ..	29
12.	भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण	Acreage of Cultivable Land Distributed to Landless ..	30
13.	सेवानिवृत्ति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बने बनाए मकान आबंटित करने की योजना	Scheme for Allotment of Built up Accommodation to Retire Central Government Employees	30
14.	हिमाचल प्रदेश में सदायहर जल सप्लाई योजना	Sadathahar Water Supply Scheme in Himachal Pradesh	31
15.	चुने हुए ग्रामों में ग्रामीण जल संभरण में तेजी लाने की केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Acceleration of rural Water Supply to Selected Villages ..	31–32
16.	कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवासीय स्थान	House Sites for Landless Workers in Rural Areas of Certain States ..	32–33
17.	आसाम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में चाय विज्ञान और प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post Graduate Course in Tea Science and Technology in Assam Agricultural University, Johrat	33
18.	म्यूनिख में हुए ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम की हार	Defeat of Indian Teams in Olympic Tournaments at Munich ..	34
19.	समान आधार पर मद्य निषेध	Prohibition on Uniform Basis	34
20.	सरकारी मुद्रणालयों में क्षमता से अधिक भण्डार	Over Stocking in Government Presses ..	34
21.	स्वतन्त्रता दिवस 1972 के अवसर पर गांधी जी की समाधि पर प्रकाश न करना	Non illumination of Samadhi of Gandhi-ji on the eve of Independence Day 1972	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
22.	दिल्ली में हाल ही में हुए दंगों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को हुई हानि	Loss suffered by DTC during recent rioting in Delhi ..	35
23.	दिल्ली परिवहन निगम के बसों में चलने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मांग	Demand for Safety of Operating Staff of DTC ..	35–36
24.	सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Servants	36
25.	हलवाईयों को नियंत्रित मूल्यों पर चीनी की सप्लाई न किया जाना।	Non supply of Sugar to Halwaies at controlled Rate ..	36–37
26.	लाला लाजपतराय मेमोरियल मैडिकल कालेज, मेरठ	Lala Lajpat Rai Memorial Medical College Meerut ..	37
27.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली का कार्यकरण	Working of the National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi ..	37–38
28.	म्यूनिसिपल निकायों द्वारा शहरी विकास	Urban Development by Municipal Bodies	38
29.	चीनी का उत्पादन, बाकी बचा स्टाक, वर्तमान स्टाक, मासिक मांग और मूल्य ढांचा	Sugar Production, Carried Forward Stocks, Stocks in Hand, Monthly Demand and Price Structure ..	38–39
30.	सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तथा कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण तथा परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट	National Trust for Acquisition and preservation of Cultural Sites and Art Objects ..	39
31.	खाद्य सामग्री में मिलावट	Adulteration in Foodstuffs	39–40
32.	राज्य सरकारों द्वारा खाद्य निगमों की स्थापना	Setting up of Food Corporations by State Governments ..	40
33.	मानदेय आदि प्राप्त करने वाले लोगों को भी शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार	Expansion of CGHS Scheme to cover people drawing Honoraria etc.	40
34.	गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार सम्बन्धी योजना में नगर निगमों का शामिल किया जाना	Inclusion of Municipal Corporations in the Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas	40–41
35.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की योजना	Scheme on Indian Council of Agricultral Research Institute to Increase Farm Production	41
36.	सितम्बर, 1972 में आयोजित कृषि उत्पादन आयुक्तों की बैठक	Meeting of Agricultural Production Commissioners held during September 1972	41
38.	दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी रिहायशी मकानों के रखरखाव की लागत	Cost of Maintenance of Residential Government Accommodation in Delhi/ New Delhi.	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
39.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों का दिल्ली में अपने ही भवनों में काम करना	CGHS Dispensaries Functioning in their own Buildings in Delhi	42–43
40.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में डाक्टरों द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या	Average number of patients to be seen by Doctors in CGHS Dispensaries	43
41.	नगरों में चीनी के नियंत्रित मूल्य	Control price of Sugar in Cities	43–44
42.	तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट	Decline in Standard of Technical Education	44
43.	विज्ञान की पुस्तकों का सृजन करने सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग	National Commission for Production of Science Books	44
44.	वृद्धावस्था पेन्शन योजना का लागू किया जाना	Introduction of old age pension scheme	44
45.	मध्यप्रदेश के लिए ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme for the State of Madhya Pradesh	45
46.	पांचवीं योजना में शिक्षा का विकास	Educational Development in Fifth Plan	45–46
47.	दिल्ली स्थित सुपर बाजार को हुई हानि	Loss suffered by Super Bazar, Delhi	46–47
48.	तुतीकोरिन पत्तन परियोजना के अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार	Alleged malpractices by Officials of Tuticorin Harbour Project	47–48
49.	चावल, गेहूं, चीनी, कपड़ा, खाने का तेल और मिट्टी के तेल का थोक व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेना	Taking over of Wholesale Trade in Rice, Wheat, Sugar, Cloth, Edible Oil, and Kerosene	48
50.	उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over River Subernarekha Orissa	48
51.	उड़ीसा में बालासोर स्थित चन्दाबली पत्तन के विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि	Amount spent on development Works of Chandbali Port in Balasore, Orissa	48–49
52.	खाद्य वस्तुओं की मूल्यवृद्धि का अनुमान लगाना और उस पर की गई कार्यवाही	Assessment of the Rise in Price of Food Articles and Action taken thereon	49
53.	उत्तर प्रदेश में बांदा की हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार	Criminal assault on Harijan Women of Banda in U.P.	50
54.	हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में प्रस्तावित पोत निर्माण परियोजना	Proposed Ship building Project at Haldia, West Bengal	50
55.	शिक्षा संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन	Changes in Structure of Educational Institutions	50–51
56.	केरल को सहायता देने के लिए केन्द्रीय योजना	Central Scheme to aid Kerala	51
57.	कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करना	Setting up of an Office of Freight Investigation Bureau at Cochin	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
58.	केरल में नारियल के लिए पैकेज प्रोग्राम की स्वीकृति	Sanction of Package Programme for Coconut in Kerala	52
59.	केरल में पाम ग्रायल सम्बन्धी योजना को केन्द्रीय सैक्टर परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित करना	Inclusion of Scheme on oil Palm in Kerala under Central Sector Project	52
60.	फसल बीमा योजना	Crop insurance scheme ..	52–53
61.	चीनी के उत्पादन और गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में कमी	Decline in sugar production and Shrinkage in the Acreage of Sugarcane Cultivation	53
62.	राज्य फार्म निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में फार्मों की स्थापना	Setting up of Farms by State Farms Corporation in various States	54
63.	भारतीय खाद्य निगम, मोकामा से भमुआ सब डिवीजन को भेजी गई ज्वार की चोरी	Jawar sent to Bhamua subdivision from FCI Mokameh, Missing ..	54
64.	शिक्षा मन्त्री द्वारा बंगला देश की यात्रा	Visit of Education Minister to Bangladesh	55
65.	बाढ़ और सूखे के कारण क्षति और राज्यों को सहायता	Loss due to Drought and Assistance to States	55
66.	चौथी योजना के अन्त तक तिलहनों के उत्पादन लक्ष्य में कमी	Shortfall in the Production of Oilseeds by the end of Fourth Plan	55–56
67.	इन्द्रपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा दूध का टोकन जब्त करना	Seizure of Milk Token by DMS Staff in Inderpuri, New Delhi	57
69.	कृषि नीतियों के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा बनाया गया कार्यकारी दल	Working Group set up by National Commission on Agriculture Regarding Agricultural Policies ..	57
70.	कृषि पुनर्वित्त निगम से बड़े किसानों को लाभ	Benefit to Big Farmers from Agriculture Re-Finance Corporation	57–58
71.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिथि नियंत्रण आदेश का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Guest Control Order by States and Union Territories ..	58–59
72.	चीनी के विनियंत्रण से उसके मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Decontrol of Sugar on its price	59
73.	गत तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा न लगाए गए ट्रिप	Trips missed by DTC Buses during Last Three Years ..	59
74.	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नए मार्गों पर बसें चलाना	DTC Buses introduced on New Routes.	60
75.	दिल्ली की परिवहन समस्या के बारे में बातचीत	Discussion Re : Transport Problem in Delhi	61
76.	शिक्षा संस्थाओं का वाणिज्यीकरण करने के लिए संविधान में संशोधन	Constitutional Amendment to end commercialisation of Educational Institutions ..	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
77.	अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त	Guidelines Regarding Compensation for Acquisition of Surplus Land ..	61–62
78.	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Property	62
79.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज के वितरण की व्यवस्था	Arrangements for Distribution of Grains in Drought Hit Areas ..	62–63
80.	प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय निर्देश	Central Directive to States for Grant of Loans to Persons Affected with Natural Calamity..	63
81.	उड़ीसा में रूरूबान और नारायण पटना ब्लाकों में जनजातियों की दशा का अध्ययन	Study of Conditions of Tribes in Ruruban and Naryana Patna Blocks in Orissa	63
82.	सूखे की स्थिति और इसके लिए केन्द्रीय सहायता	Drought and Central Assistance therefor ..	63–64
83.	31-10-72 को गन्ने की बकाया देय राशि	Outstanding Sugarcane Arrears as on 31-10-72 ..	64
84.	सिल्वर जुबली टी०बी० अस्पताल, दिल्ली	Silver Jublee T.B. Hospital, Delhi	64
85.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को दिए जाने वाले सवारीभत्ते में पुनरीक्षण की मांग	Demand for Revision of Conveyance Allowance to Medical Officers of CGHS	65
86.	दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	CGHS Dispensaries in Delhi/New Delhi	65
87.	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रीमेडिकल पाठ्यक्रम का समाप्त किया जाना	Abolishing of Pre-Medical Course in Delhi University	65–66
88.	नेत्रहीनों की संख्या	Incidence of Blindness	66
89.	कोचीन शिपयार्ड परियोजना का पूरा होने में विलम्ब	Delay in completing of Cochin Shipyard Project ..	66–67
90.	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling of Urban Property	67
91.	कोचीन पत्तन में तेल वाहक जहाजों के लिए घाट का स्थान	Location of Oil Tanker Berth in Cochin Port	67–68
92.	पश्चिमी तट पर छोटे पत्तनों का विकास एवं विस्तार	Development and Expansion of Minor Ports in Western Coast ..	68–69
93.	राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Wholesale Trade in Foodgrains by States	69
94.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	National Health Scheme for Rural Areas	69
95.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना	National Health Scheme for Rural Areas	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
96.	दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने के मामले में दलालों को हटाया जाना	Elimination of Middlemen from Supply of Milk to Delhi Milk Scheme ..	70
97.	वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संस्थाओं का चयन	Selection of Institutions for Science Studies	71
98.	बिहार में चीनी मिलों की स्थिति	Condition of Sugar Mills in Bihar	71
99.	भारतीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा जहाजरानी नीति के पुनः निर्धारण के लिए अनुरोध	Request from Indian Shippers to Reshape Shipping Policy	72
100.	बहरे और गूंगे व्यक्तियों के लिए स्कूल खोलना	Opening of Schools for Deaf and Dumb	72
101.	राष्ट्रीय फसल योजना बोर्ड की स्थापना में प्रगति	Progress in Setting up of National Crop Planning Board ..	72
102.	चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से वनस्पति के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Vanaspati since the Beginning of IV Five Year Plan ..	72-73
103.	वर्तमान चीनी सम्बन्धी नीति की आलोचना	Criticism on present Sugar Policy	73
104.	सूखाग्रस्त उड़ीसा की अकाल राहत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Famine Relief and Drought hit Orissa ..	74
105.	सामान्य बीमा कम्पनियों को फसल बीमा करने के सम्बन्ध में निदेश	Instructions to General Insurance Companies on Crop Insurance ..	75
106.	देश में उचित मूल्यों की दुकानें खोलना	Opening of Fair Price Shops in the country ..	75
107.	1971 और 1972 में आयोजित डेरी कांफ्रेंस की सिफारिशों की क्रियान्वित	Implementation of recommendations of Dairy Conference held during 1971 and 1972	75-77
108.	दिल्ली दुग्धयोजना द्वारा घी, मक्खन और आइस क्रीम का (महीनेवार) उत्पादन और वितरण	Production and distribution of Ghee, Butter and Ice Cream by Delhi Milk Scheme (Month-Wise)	77
109	दुग्ध योजना के आयात को कम करने के लिए कार्यवाही	Step to reduce import of dairy products	77-78
110.	चावल की किस्म में सुधार करने के बारे में मई, 1972 में रोम में आयोजित सम्मेलन	Conference, held in Rome during May, 1972 for improving variety of Rice..	78
111.	केरल से प्राप्त खाद्य उत्पादन योजना	Food production scheme from Kerala	78-79
112.	अन्तर्राज्यीय सड़कों पर पुलों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for construction of bridges over interstate Roads ..	79-80
113.	जयन्ती शीपिंग कम्पनी और श्री धर्म तेजा को दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों की वसूली	Recovery of loans and advances paid to Jayanti Shipping Company and Shri Dharma Teja ..	80

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
114.	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए स्वास्थ्य उपकर लगाना	Levy of a Health Cess to finance Medical and Health Programmes	81
115.	गांवों में पीने के पानी की योजना	Rural drinking water Scheme	81–82
116.	सूखा ग्रस्त राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of foodgrains to drought affected States	82
117.	नई दिल्ली में तिमंजिला कार पार्क	Three storeyed car park in New Delhi	82
118.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड को दिये गए अपूर्ण क्रयादेशों को रद्द करना	Cancellation of Rajasthan State Electricity Board's pending order with the Hindustan Housing Factory Ltd. ..	83
119.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड को मिले क्रयादेश	Orders with Hindustan Shipyard	83
120.	केन्द्रीय विद्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों का प्रवेश	Admission of Children of Ex-servicemen to Kendriya Vidyalayas	83–84
121.	उड़ीसा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का गायब होना	Foodgrains missing from FCI Godowns in Orissa	84
122.	म्यूनिख में अरब गुरिल्लाओं द्वारा इजरायली खिलाड़ियों को गोली से मारने पर भारत की प्रतिक्रिया	India's reaction to Shooting down of Israeli sportsmen by Arab Guerillas in Munich	84–85
123.	कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए सुझाए गए धान और चावल के वसूली मूल्य	Procurement price for paddy and rice for the year 1972-73 as suggested by APC	85
124.	दिल्ली में अक्तूबर 1972 में हुआ खाद्य और कृषि संगठन का सम्मेलन	Conference of Food and Agriculture Organisation held during October, 1972 in Delhi	85–86
125.	देश में योजनाबद्ध खेती	Planned Cropping in the country	86
126.	बम्बई नगर योजना सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत बेघर हुए निर्धन किरायेदारों को सस्ते मकान देने के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance for providing cheap housing to poor tenants displaced under Bombay Town Planning Scheme	86–87
127.	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्राध्यापकों के लिए वेतनों के रनिंग ग्रेडों की मांग	Demand for running grades of Salaries for University and College Teachers..	87
128.	म्यूनिख ओलम्पिक खेलों में अनधिकृत भारतीयों के शामिल होने का आरोप	Participation of unauthorised Indians in the Munich Olympics ..	87
129.	जहाजों द्वारा सामान्य माल की ढुलाई में कमी	Decline in the movement of General Cargo on the coast	88
130.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का पुनरीक्षण	Revision of Delhi Rent Control Act, 1958	88

1 Lok Sabha/72—2

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
131.	डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में अधूरे आठ मंजिले फ्लैटों का निर्माण कार्य	Construction work of Incomplete eight-storeyed flats in DIZ area, New Delhi	88–89
132.	चौथी योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र की सफलता	Performance of Co-operative Sector during Fourth Plan	89
133.	डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ इंजीनियरों को अग्रिम वेतनवृद्धि देना	Advance increments to the Diploma Holders Junior Engineers	89–90
134.	पांचवीं योजना के दौरान अल्पाकालीन ऋण सम्बन्धी लक्ष्य के संबंध में अपरोच पेपर	Approach paper on target for Short term credit during Fifth Plan	90
135.	बर्मा से खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains by Burma	90
136.	1970-71 और 1971-72 में चीनी का उत्पादन	Sugar Production during 1970-71 and 1971-72 ..	91
137.	गुजरात में दुर्भिक्ष राहत	Famine relief in Gujarat	91
138.	अस्पतालों में मृतकों की शव परीक्षा	Postmortem of death cases in Hospitals	91–92
139.	देश में उचित दर की दुकानों का कार्यकरण	Functioning of Fair Price Shops in the Country	92
140.	बैपटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता को सरकारी अधिकार में लेना	Taking over of Baptist Mission Press Calcutta	92
141.	भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी संधि प्रारूप	Protocol Re : Inland Water Transport between India and Bangladesh	92
142.	चौथी योजना की अवधि के दौरान भारतीय नौवहन टनभार में वृद्धि	Addition to Indian Shipping tonnage during IV Plan Period ..	92–93
143.	भारत स्थित व्यापारिक और जहाजरानी हितों वाली कम्पनियों द्वारा स्वेज और सिकन्द्रिया के बीच भूमि पुल चालू करने और उसका उपयोग करने सम्बन्धी अपनी योजना के बारे में मिस्र से सुझाव	Suggestion from Egypt regarding utilisation of its scheme of operating a land bridge between Suez and Alexandria by trading and Shipping Interests in India	93
144.	राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून	Legislation on Land Ceiling in States	
145.	अधिक उत्पादन वाली फसलों में महामारी का फैलना	High yielding variety crops vulnerable to epidemics ..	94 94 95
146.	भारत में कीटनाशी औषधियों के प्रयोग का हानिकर प्रभाव	Deleterious effect of use of pesticides in India	95
147.	दिल्ली में वर्ष 1970 से पूर्व पंजीकृत की गयी सहकारी समितियों को मकान बनाने हेतु भूमि का आवंटन	Allotment of land to House Building Co-operative Societies in Delhi registered prior to 1970	95
148.	अन्तर्देशीय जल परिवहन के समन्वय और उसके विकास को गति देने के लिए एक निकाय की स्थापना	Setting up of a body to co-ordinate and Accelerate development of inland water transport ..	95–96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
149. भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ असहयोग	Non co-operation by FCI officials with CBI	96
150. खेलों का स्तर सुधारने हेतु कार्यवाही	Steps to improve standard of sports and games	96
151. राजस्थान में लगातार सूखे की स्थिति को रोकने के लिए कार्यवाही करना	Steps to check perennial drought Situation in Rajasthan	96
152. प्रत्येक राज्य द्वारा चावल की वसूली	Procurement of Rice by each State	97
153. भूमिहीन किसानों की संख्या और उनमें भूमि का वितरण	Number of Landless Agriculturist and Distribution of Land to them ..	98
154. रबी के मौसम में खाद्यान्न के उत्पादन का द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Food Production During Rabi Season ..	..99–100
155. 1972-73 के दौरान चावल का आयात	Import of Rice During 1972-73	100
156. दिल्ली में अनियमित बस सेवा का विरोध	Protests against irregular Bus Service in Delhi ..	100–101
157. 'अमान' फसल बेकार हो जाने के कारण देश के पूर्वी भाग में चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Eastern Part of the country due to failure of Aman Crop	101
158. 1972 के दौरान चीनी का निर्यात तथा उसका उत्पादन लक्ष्य और देश में उसकी कमी	Scarcity Export and Target of Sugar Production during 1972 ..	101
160. ओर हैण्डलिंग प्लान्ट, विशाखापटनम् पत्तन के कर्मचारियों को डस्ट एलाउन्स देना	Dust allowance to workers of Ore Handling Plant, Visakhapatnam Port	102
161. खाद्यान्नों एवं खाद्य तेलों की उचित मूल्य पर सप्लाई	Supply of Foodgrains and Edible Oils at Reasonable Prices	102
162. खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि की सीमा निर्धारित करना	Limitation in rise in price of Sugar in Open market	..102–103
163. नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल शिक्षा	Free and compulsory primary and middle School education ..	103
164. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों का मूल्य	Cost of DDA Flats	103–104
165. जनकपुरी रिहायशी बस्ती, दिल्ली	Janakpuri Housing Colony, Delhi	104–105
166. वृद्धावस्था पेंसन	Old Age Pension	105
167. झगड़ों के कारण विश्वविद्यालयों का बन्द होना	Universities closed due to Disturbances	105
168. सरकारी क्षेत्र में वनस्पति कारखाने की स्थापना	Setting up of Vanaspati Factory in Public Sector	105
169. हारवेस्टर कम्बाइन्स का आयात	Import of Harvester Combines	106

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
170.	सरकारी ऋण से दिल्ली में गृह निर्माण योजना की क्रियान्विति में धीमी प्रगति	Slow progress in the Implementation of House Building Scheme in Delhi through Government Loan	106–107
171.	देश में चीनी के कारखानों की स्थिति	Condition of Sugar Factories in the country ..	107
172.	बिहार में दुर्भिक्ष और सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance due to Famine and Drought in Bihar ..	107–108
173.	युवक रेली का आयोजन	Observance of Youth Rally	108
174.	युवक रैली कार्यक्रम के पुर्वाभ्यास के समय नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में झगड़ा	Scuffle at Rehearsal of Youth Rally Programme at National Stadium, Delhi	108–109
175.	अखिल भारतीय किसान सम्मेलन द्वारा कृषि भूमि की उच्चतम सीमा के बारे में मांग	Demand by All India Farmers' Conference with regard to Ceiling on Agricultural Land ..	109
176.	भारत में कैंसर रोग के मामलों का सर्वेक्षण	Survey of Incidence of Cancer in India	109
177.	भारत में बच्चों की खुराक	Diet of Children in India	110
178.	तटरक्षक सेवा की स्थापना	Setting up of Coast Guard Service	110
179.	मिलावटी तेल से पक्षाघातरोग	Adulterated Oil causing paralysis	110–111
180.	सड़क परिवहन कम्पनियों के लिए संयुक्त कराधान की क्षेत्रीय प्रणाली	Zonal System of Composite Taxation for Road Transport Operators ..	111
181.	गैर सरकारी मैडिकल कालिजों को सरकारी अधिकार में लेना	Taking over of Private Medical Colleges ..	111–112
182.	प्रत्येक राज्य के बड़े शहर में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Improvement of Slums in Major cities in each State	112
183.	दिल्ली के सरकारी इमारतों में सफेदी करना	White washing of Government Building in Delhi	112–113
184.	डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में चाय की अनधिकृत दुकान	Unauthorised Tea Stall in DIZ Area, New Delhi	113
185.	देश में सांस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in the country	113
186.	बिहार ग्रामीण आवास योजना	Bihar Rural Housing Scheme ..	113–114
187.	फरीदाबाद हरियाणा में सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना	Setting up of Soyabean Processing Plant in Faridabad, Haryana	114
188.	ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना	Setting up of an open University	114
189.	दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना के बाद दिल्ली में बस सेवा का बिगड़ना	Deterioration in Bus Service in Delhi Since Take over by DTC	114–115

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
190.	गया नगर के लिए जल सप्लाई योजनाहेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Water Supply Scheme for Gaya	115
191.	गुजरात में मद्य निषेध के सम्बन्ध में अमरीकन बिजनेसमैन रिसर्च फाउण्डेशन से भारत आने वालों के विचार	Views of Visitors from American Businessmen Research Foundation on Prohibition in Gujarat	115
192.	उत्पादन मूल्य और खाद्यान्नों का आयात	Production price and Import of Foodgrains ..	115–116
193.	अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को नि:शल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां देने के लिए आय सीमा में वृद्धि	Enhancement in Income Limit for Freeship and Scholarship to SC and S.T. Students	116
194.	न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेंशन को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध न्यायाकि जांच	Judicial Enquiry against New Delhi South Extension Cooperative House Building Society Ltd.	116
195.	औद्योगिक कर्मचारियों में अतिव्याप्त चक्षु रोग	High Incidence of Eye Trouble among Industrial Workers	117
196.	कृषि प्रायोजना के नवीन आकार प्रकार के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा आयोजित गोष्ठी	Seminar by ICAR on New Devices of Agricultural Planning ..	117–118
197.	भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण सहकारी समितियों की सदस्यता की जांच	Scrutiny of Members of Cooperative House Building Societies for Allotment of Land by DDA	118
198.	भूमि सुधार लागू करने के लिए केरल को केन्द्रीय सरकार की सहायता	Central Assistance to Kerala for Implementation of Land Reforms	118–119
199.	खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन और केरल के खाद्य मन्त्री का अधिक सेला चावल के लिए अनुरोध	Food Ministers Conference and Request from Kerala Food Minister for More Boiled Rice	119–120
200.	म्यूनिख में भारतीय अधिकारियों का अतिथि सत्कार	Munich Hospitality to Indian Officials	121
	स्थगन प्रस्ताव	Motion for Adjournment	121
	मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices	121
	आसाम की स्थिति के बारे में	Re: Situation in Assam	123
	अविलम्बीनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	123
	जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के रेखांकन के सम्बन्ध में पाकिस्तान का निरन्तर दुराग्रह	Pakistan's continued intransigence in respect of Delineation of line of actual Control in Jammu and Kashmir ..	123
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	123

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	123
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the table	126–128
जल प्रदूषण निवारण विधेयक	Prevention of Water Pollution Bill	128
एक० संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	128
दो० संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	Evidence Before Joint Committee	128
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	128
21वां प्रतिवेदन	Twenty-first Report ..	128
मूल्य स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Price Situation	129
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan ..	129–132
दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक	Delhi School Education Bill	132
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	132
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक	Disturbed Area (Special Courts) Bill	132
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee..	132
विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill	133
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	133
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	133
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	133
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill	134
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	134
गन्ने के मूल्य के बारे में	Re: Price of Sugarcane ..	134
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill ..	135
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as repoted by Select Committee ..	135
श्री के आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	135–136
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	136
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	136

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	136–137
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	137–138
श्री आर० वी० बडे	Shri R.V. Bade	138–139
खण्ड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1	140–142
पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to Pass, as reported by Select Committee	142
खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास	Khadi and other Handloom Industries Development ..	143
(कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक	(Additional Excise Duty on Cloth) Amendment Bill ..	143
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	143
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George ..	143–144
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	144
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	144
श्री एस० ए० कादर	Shri S.A. Kader	144–145
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	145
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe ..	145–146
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan ..	146
श्री जांबुवन्त धोटे	Shri Jambuwant Dhote	146
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	146–147
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	148
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	148
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	148
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	148
श्री ए०सी० जार्ज	Shri A.C. George	148
चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक	Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Bill	149
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	149
श्री आर० के खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar	149
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail ..	149–150
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	150

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	150
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	150

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अफजलपुरकर, श्री धर्मराव (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गौंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मण्डला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उल्लगनम्बी, श्री आर० पी० (बैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कंदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कंदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
करुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुमारमंगलम्, श्री एस० मोहन (पांडीचेरी)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोन्नाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)

कृष्णन् श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम०वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी जोधपुर, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के०आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी०एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी जयपुर, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस०बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी०शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच०आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करुर)
गोपालन, श्री ए०के० (पालघाट)
गोगांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर०एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश-चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी०सी० (नामनिर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी०डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री डी० आर० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगया, श्री के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरूपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमरसिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी श्री त्रिदिब (बरहामपुर)
चौधरी श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)

जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखन्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री गूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० मोकिन (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरणीधर (मंगलदाई)
दास श्री रेणुपद (हूपनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (दहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी आ० (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत राव (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नगिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० बी० (खारगोन)
बरुआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हैमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बालदन्डायुतम, श्री (कोयम्बटूर)
बासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भंडारे, श्री, आर० डी० (बम्बई मध्य)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)

भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री गुखियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गौड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन्, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरुलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंहरीवा, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मावलंकर, श्री पी०जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एन० (छिंदवाड़ी)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्रीस रोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस०ए० (तिरुनेलवेली)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोट; डा० जी०एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराव (अमरेली)
मेहता, श्री प्रसन्न (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिंधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी०जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)

राम धन, श्री (जालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री डा० वी०के०आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम०एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन् श्री टी०एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (नीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कैराना)
शफ्फी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रतन (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महाद्वीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)

शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोर)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोल)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया—ग्वालियर, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री के० (मयूरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरु)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री गुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम्, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वतन्त्र, श्री तेजासिंह (संगरूर)
स्वामीनाथन्, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० क्विल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी०जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

श्री आर० डी० भण्डारे

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौर

डा० सरदीश राय

श्री इरा सेझियान

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री	.. श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मन्त्री	.. श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मन्त्री	.. श्री यशवन्तराव चह्वाण
रक्षा मन्त्री	.. श्री जगजीवन राम
विदेश मन्त्री	.. श्री स्वर्ण सिंह
निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री	.. श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री	.. श्री एच० आर० गोखले
रेल मन्त्री	.. श्री टी० ए० पाई
इस्पात और खान मन्त्री	.. श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्
संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री	.. श्री राज बहादुर
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री	.. डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी मन्त्री	.. श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
योजना मन्त्री	.. श्री डी० पी० धर

राज्य मंत्री

संचार मन्त्री	.. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पूर्ति मन्त्री	.. श्री डी० आर० चह्वाण
योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री मोहन धारिया
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री आई० के० गुजराल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	.. श्री आर० के० खाडिलकर
इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. डा० सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री ओम मेहता
गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री	.. श्री राम निवास मिर्धा
विदेश व्यापार मन्त्री	.. श्री एल० एन० मिश्र
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री	.. प्रो० एस० नुरुल हसन
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री कृष्ण चन्द पन्त
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	.. डा० के० एल० राव
कम्पनी कार्य मन्त्री	.. श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री	.. श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	.. प्रो० शेर सिंह

उपमन्त्री

कम्पनी कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री ए० सी० जार्ज
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री ए० के० किस्कु
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री बैजनाथ कुरील
गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री एफ० एच० मोहसिन
संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री के० एस० रामास्वामी
वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री बी० शंकरानन्द
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	.. श्री केदारनाथ सिंह
विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री	.. श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री	.. श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 13 नवम्बर, 1972/22 कार्तिक, 1894 (शक)
Monday, November 13, 1972/Kartika 22, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

भूटान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष का स्वागत
Welcome to Speaker of National Assembly of Bhutan

अध्यक्ष महोदय:—मुझे अपने माननीय अतिथि महामहिम दाशो शिखर लोम का, जो कि भूटान की राष्ट्रीय सभा "त्शोग्दु" के अध्यक्ष हैं, का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता है। वह अपने अन्य साथियों के साथ विशिष्ट अतिथि कक्ष में विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा आप सब की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम उनके माध्यम से नए महाराजा, महाराजाधिराज जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के दीर्घ जीवन तथा अच्छे स्वास्थ्य और उनकी प्रजा की शांति एवं सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
Members sworn

1. **श्री के० चिकालिंगय्या** (मांड्या)
2. **श्री पुरषोत्तम गणेष मावलंकर** (अहमदाबाद)

निधन संबंधी उल्लेख
Obituary References

अध्यक्ष महोदय: मुझे दुःख के साथ अपने आठ मित्रों के निधन की सूचना सभा को देनी है। इनमें से चार अर्थात श्री सी० सी० देसाई, स्वामी रामानन्द शास्त्री, श्री शिव चन्डिका और श्री एम० राजंगम सभा के वर्तमान सदस्य थे और अन्य चार अर्थात् श्री जगन्नाथ, श्री मनु सूबेदार, श्री राम० स्वरूप विद्यार्थी और श्री आर० शंकर, भूतपूर्व सदस्य थे।

श्री देसाई गुजरात के साबरकन्ठा निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे और 1967-70 के दौरान चौथी सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने अपना जीवन भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य के रूप में प्रारंभ किया और बाद में वे विशिष्ट कूटनीतिज्ञ, उद्योगपति और संसद सदस्य के रूप में ख्याति प्राप्त की। सरकारी सेवा में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और बाद में वह पाकिस्तान तथा श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। वह अनेक कम्पनियों के अध्यक्ष और निदेशक थे। लोक सभा में वह विभिन्न राष्ट्रीय मामलों में बहुत रुचि लिया करते थे। उन्होंने कई संसदीय समितियों में कार्य किया और उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकसभा में उनका अंतिम भाषण आई० सी० एस० अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में था और हम में से बहुत को वह अभी भी ध्यान में हैं। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 22 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई।

स्वामी रामानन्द शास्त्री बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह वर्ष 1952 से निरन्तर इस सभा के सदस्य चुने जाते रहे। केसरिया कपड़े पहनने वाले इस प्रसिद्ध व्यक्ति ने सदैव निर्धनों, पद दलितों, कृषकों तथा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितार्थ कार्य किया। वह हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी अनेक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के संस्थापक, अध्यक्ष तथा सदस्य थे। वह श्रमिक नेता भी थे। उनकी सादगी के कारण सब लोग उन्हें चाहते थे। उनका निधन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण सम्बन्धी समिति की अंदमान यात्रा के दौरान हुआ।

श्री शिव चन्डिका बिहार के बांका निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के भी सदस्य थे। उससे पूर्व 1952-57 में वह बिहार विधान सभा के सदस्य रहे। वह एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतन्त्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा अनेक बार वह जेल गए। वह विख्यात श्रमिक नेता थे। समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों के हित के प्रति उनकी निष्ठा थी और अनेक सामाजिक एवं शिक्षा संस्थाओं के साथ वह सम्बद्ध थे। वह नियमित रूप से सदन में उपस्थित होते थे और कार्रवाई में उनका महत्व पूर्ण योगदान रहता था। वह आवास समिति तथा विधेयकों सम्बन्धी अनेकों प्रवर तथा संयुक्त समितियों के भी सदस्य थे। उनकी मृत्यु 60 वर्ष की अवस्था में 15 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली में हुई।

श्री एम० राजंगम तमिलनाडु के डिन्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पूर्व 1962-71 के दौरान वह तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे। वह एक लेखक थे और निर्धन तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान में सक्रिय रुचि लिया करते थे। वह सदन से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सदस्य थे। उनकी मृत्यु 40 वर्ष की युवावस्था में 22 अक्तूबर, 1972 को तमिलनाडु में मदुरै स्थान पर हुई।

श्री जगन्नाथ दास 1945-47 तथा 1950-52 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा तथा अस्थायी संसद के सदस्य थे। उससे पूर्व वह बिहार तथा उड़ीसा विधान परिषद् और उड़ीसा विधान सभा के सदस्य थे। वह एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और देश के स्वाधीनता संग्राम में कारावास गए। उनकी मृत्यु कटक में 5 अगस्त, 1972 को हुई।

श्री मनु सूबेदार 1938-47 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। उससे पूर्व वह बम्बई नगर पालिक के सदस्य थे। वह एक लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री तथा परमार्थी थे। उन्होंने 1953 में 'लोढ़स ट्रस्ट' नामक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट और बम्बई तथा अहमदाबाद में दो आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना की। उनकी मृत्यु 83 वर्ष की अवस्था में 10 अक्तूबर 1972, को बम्बई में हुई।

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी, 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे। पद दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान में उनकी बहुत रुचि थी। उनकी कानूनी सलाह उन वर्गों के लिए हर समय उपलब्ध थी। वह अनेक सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं के साथ सम्बद्ध थे। उनका 48 वर्ष की आयु में 28 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली में स्वर्गवास हुआ।

श्री आर० शंकर 1948-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1948 में भूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य विधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। वह एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए चलाए गए आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। वह 1960-62

के दौरान केरल राज्य मंत्रिमंडल में उप मुख्य मन्त्री थे। बाद में 1962-1964 के दौरान वह केरल के मुख्य मन्त्री रहे। उनकी मृत्यु 64 वर्ष की अवस्था में 7 नवम्बर, 1972 को क्विलोन में हुई।

मुझे संत फतेह सिंह की दुःखद मृत्यु का भी उल्लेख करना है। वह एक ऐसे असाधारण नेता थे जिनका सम्मान न केवल सिख ही करते थे अपितु अन्य वर्ग भी करते थे। वह एक महान व्यक्तित्व और दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रीय घटनाओं को कई रूपों से प्रभावित किया। यद्यपि वह पंजाबी सूबा के निर्माता थे तथापि उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भावना के मूल्य पर कभी उसका समर्थन नहीं किया। उनका दृष्टिकोण वस्तुतः धर्मनिरपेक्ष था। अपनी अस्वस्थता के बावजूद वह अपने अन्तिम समय तक राजनीति और धर्म में सक्रिय रुचि लेते रहे। उनका देहान्त 30 अक्तूबर, 1972 को अमृतसर में हुआ।

हम इन सभी मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक सन्तप्त परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ सहमत होगी।

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी): अपने मित्रों और साथियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करना और इस सम्माननीय सभा और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा दुःखद कर्तव्य है।

श्री मनु सूबेदार इन सब में से आयु में बड़े थे। वह केन्द्रीय संविधान सभा के सदस्य थे। वह स्वदेशी और नारी अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने आर्थिक मामलों पर बहुत कुछ लिखा और कहा जिनमें विदेशी सरकार की नीतियों का, जिनसे हमारे विकास को बाधा पहुंचती थी, विरोध किया। उन्होंने बहुत सी संस्थाओं को शक्ति प्रदान की और नारी शिक्षा के लिए एक न्यास की भी स्थापना की। वह बहुत वर्ष पूर्व सार्वजनिक सेवा क्षेत्र से हट गए थे, परन्तु फिर भी बहुत से सदस्य उन्हें अथक संसद शास्त्री और पुस्तिका लेखक के रूप में याद करते हैं।

श्री सी० सी० देसाई एक लम्बे समय तक कुशल प्रशासक, राजनयिक और उद्योगपति के रूप में कार्य करने के पश्चात संसद में आए। वह चन्द्रमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और हर कार्य के पीछे संकल्प और पूरी शक्ति से लगते थे। यह सभा अर्थ सम्बन्धी और राजनीति सम्बन्धी जटिल मामलों पर उनके विश्लेषण को सदैव पूरे ध्यान से सुनती थी। उनके निधन से हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति खो दिया है।

श्री एम० राजंगम पिछले वर्ष लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उससे पूर्व वह तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे। वह कृषकों, तथा पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य करने में गहन रुचि रखते थे।

श्री रामानन्द शास्त्री उन लोगों में से थे जिनके लिए धर्म का अर्थ था कमजोर और पद दलितों की सेवा करना। वह अल्पायु में सन्यासी हो गए थे और 40 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने हरिजनों तथा आदिवासी लोगों में कार्य किया। उनके लिए बहुत सी संस्थाएं स्थापित कीं। वह इस सभा में चिरपरिचित तथा सम्मानित व्यक्ति थे क्योंकि अस्थायी संसद के समय से लेकर अब तक वह निरन्तर सक्रिय और मुखरित सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। उनके बहुत से मित्र थे और उनकी अनुपस्थिति हमें खलेगी।

श्री जगन्नाथ दास भी अस्थायी संसद के एक ऐसे सदस्य थे जिन्हें हमने खो दिया है। उन्होंने काफी लम्बे समय तक उड़ीसा में कार्य किया।

केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री आर शंकर के अकस्मात निधन से देश तथा मेरा दल एक कुशल नेता और प्रशासक से वंचित हो गया है। मैं उन्हें कई वर्षों से जानती थी। वह सशक्त निष्ठावान और जन साधारण के हितैषी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समुदाय "एजावास", जिन्हें शिक्षा तथा विकास के अवसरों से बहुत समय तक वंचित रखा गया था, के हित के लिए बहुत कार्य किया। परन्तु उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उन्होंने अपना जीवन अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। सारा जीवन शिक्षा और समाज सेवा उनकी चिंता का विषय बने रहे। उन्होंने सम्पादक, वकील, विधायक तथा मंत्री के रूप में सफलता प्राप्त की।

श्री शिव चांडिका एक अन्य साथी थे जो कि स्वतन्त्रता सग्रांम के समय से देश सेवा कर रहे थे । वह कई बार जेल गए और वह बिहार में कांग्रेस तथा श्रमिक संघों के कार्य में बहुत प्रसिद्ध थे । वह एक बहुत ही सक्रिय संसद नेता थे । और राष्ट्रीय समस्याओं की उन्हें गहरी जानकारी थी और उनके प्रति चिंतित रहते थे । उनका देहांत और भी शोक ग्रस्त करने वाला था क्योंकि एक दिन पूर्व ही उन्होंने गृह मंत्रालय की सलाहकारी समिति की बैठक में भाग लिया था और उसके पश्चात मेरे साथ अनेक विषयों पर बातचीत की थी । मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगले दो दिन में उनसे फिर बातचीत करूंगी ।

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी का निधन बहुत छोटी आयु में हो गया है । वह चौथी सोक सभा के एक सक्रिय सदस्य थे । वह अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष रुचि लेते थे । अध्यक्ष महोदय, हम आपके विचारों से सहमत हैं । इन भूतपूर्व साथियों का निधन हमारी तथा देश की हानि है । मेरा आप से अनुरोध है कि हमारी भावनाएं शोक सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दें ।

एक अन्य भारतीय जो इस सभा के सदस्य नहीं थे और जिनकी मृत्यु का गहरा दुख हुआ है, वह संत फतह सिंह हैं । वह एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनको सिख व अन्य धर्मों के लाखों लोगों का सम्मान प्राप्त था । उनकी रचनात्मक कार्यों में गहरी रुचि थी । उन्होंने अनेकों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में सहायता की । साम्प्रदायिक एकता के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया । पिछड़े वर्गों के उत्थान की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया । अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं को प्रभावित किया । यह सभा उनके मित्रों तथा अनुयायियों के साथ सहानुभूति प्रकट करती है ।

श्री ए०के० गोपालन (पालघाट): मैं भी सदन के नेता द्वारा सभी दिवगंत नेताओं के संबंध में प्रकट किए गए विचारों के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूं । तथा अनुरोध करता हूं कि आप सन्तप्त परिवारों तक हमारी समवेदनाएं पहुंचा दें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावना के साथ हूं । अपने चार सहयोगियों की आकस्मिक मृत्यु से हमे बड़ा धक्का लगा है । तीन महीने पूर्व वे सब हमारे बीच थे और हम उनकी मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकते थे ।

श्री सी० सी० देसाई स्पष्टवादी थे । वह सदा उचित बात पर जोर देते थे । अभी कुछ दिन पूर्व उगांडा में स्थित भारतीयों के बारे में मुझे पत्र लिखा था और इस बारे में उन्होंने सभा में भी मामला उठाया था । में चाहूंगा कि इस मामले को सदन में उठाया जाये । इसके कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु का समाचार पढ़कर बहुत दु:ख हुआ ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री गत 20 वर्षों से लगातार बहुमत से लोक सभा के सदस्य चुने जा रहे थे । यह ही उनके प्रति श्रद्धांजलि है । वे विशेषकर अनुसूचित जनजाति के लोगों और समाज के निर्धन वर्ग के लिए जीवन भर काम करते रहे ।

श्री शिव चन्डिका एक विख्यात श्रमिक नेता थे । वे श्रमिक समस्याओं में विशेष रूप से रुचि लेते थे । उन्होंने विशेषकर बिहार के खनन क्षेत्रों में, जहां श्रमिकों का शोषण होता है, श्रमिक संधी के रूप में कार्य किया । उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया ।

श्री राजंगम द्रविड मुन्नेत्र कषगम के एक नये युवा सदस्य थे । वह बहुत अच्छे खिलाड़ी थे । उनके स्वस्थ्य को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्हें इस प्रकार हम से छीन लिया जायेगा ।

संत फतह सिंह के देहावसान से देश एक प्रतिभासम्पन्न राजनीतिक विभूति से वंचित रह गया ।

मैं अपने दल की ओर से उनकी मृत्यु पर गहरा दु:ख प्रकट करता हूं । और आप से अनुरोध करता हूं कि हमारा सम्वेदना संदेश मृतकों के परिवारों तक पहुंचा दें ।

श्री से झियान (कुम्बकोणम) : मेरा दल दु:ख प्रकट करने में आपके और सदन् के नेता के साथ है ।

श्री सी० सी० देसाई की मृत्यु से हमने एक योग्य प्रशासक और राजनीतिज्ञ खो दिया है। वह एक लोक प्रिय सदस्य थे। और सभा की कार्यवाही में सक्रिय रुचि लेते थे।

स्वामी रामानन्द शास्त्री एक बहुत पवित्र विचारों वाले तथा शान्त स्वाभाव के व्यक्ति थे। वह अनुसूचित जाति के लोगों की सेवा करने के दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वह सभा के बहुत वरिष्ट और अनुभवी सदस्य थे।

श्री शिव चन्डिका कर्मचारियों की समस्याओं और क्रामिक संघ के अधिकारों में बहुत अधिक रुचि लेते थे। सभा कक्ष में भी वह मिलनसार व्यक्ति थे।

श्री राजंगम की मृत्यु से हमने एक शक्तिशाली और योग्य व्यक्ति खो दिया है। वह वर्ष 1949 से हमारे दल के सक्रिय सदस्य थे। वर्ष 1962 में वे मद्रास विधान सभा के सदस्य बने और वर्ष 1967 में वह विधान सभा के लिये पुन: निर्वाचित हुए। वह अन्त तक जन साधारण में पूरी रुचि लेते रहे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्हें दो सभाओं में भाषण देना था।

श्री विद्यार्थी दिल्ली से लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए थे और वह सभा की कार्यवाही में पूरी रुचि लेते थे। वह बहुत शान्त और सीधे साधे व्यक्ति थे। वह बहुत लोकप्रिय सदस्य थे।

श्री फतह सिंह की मृत्यु से देश ने एक ऐसे शक्तिशालि नेता को खो दिया है, जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित किये बिना अपने लोगों के अधिकारों के लिये लड़ते रहे। उन्होंने पंजाबी सूबे के लिये प्रशंसनीय कार्य किया।

मैं अपने अन्य सहयोगियों, सभा के नेता और आपके साथ मृतकों के परिवारों को सम्वेदना संदेश भेजने में शामिल हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is difficult to believe the death of these colleagues. Shri C.C. Desai was an able administrator and a successful statesman. His views were listened to with great attention here on international affairs.

We had a great shock on the sad demise of Shastriji. He was busy in doing parliamentary work till the end of his life. He was very quiet and simple.

Shri Shiv Chandika was engaged in doing services to all without discrimination. With his death an able labour leader has been snatched.

Shri Rajangam has been taken from us in the primary of his youth.

The death of Shri Ram Swarup Vidyarthi is a personal loss to us. He was born in a poor family but he made his place in the society with his hard efforts. He had a sudden death and his death was a great shock to us.

In the death of Sant Fateh Singh, the country has lost a national leader. He was successful in creating Punjabi Suba without effecting the unity and solidarity of the country as a whole. It cannot be denied that he gave a new turn to the Punjab politics. The country has suffered a great loss in his death.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): श्री सी० सी० देसाई ने सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व में काम किया था। वह भूतपूर्व महाराजाओं के राज्यों को एक करने में सरदार पटेल द्वारा दिए गए निदेशों का निष्ठा से पालन करते रहे। उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान में भी हमारे उच्चायुक्त के रूप में कुशलता से कार्य किया। वे स्वतन्त्र पार्टी के टिकट पर वर्ष 1967 में लोक सभा के लिए चुने गए। वह बहुत ही सामाजिक वृत्ति के थे। वे देश की आर्थिक नीति, विदेश नीति और सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं के मामले में पूरी रुचि लेते थे। हमें उनकी मृत्यु पर गहरा दुःख हुआ है।

स्वामी रामानन्द शास्त्री 1952 से लोक सभा के सदस्य थे। वह सरलता और धर्म निरपेक्षता के द्योतक थे। वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कार्यों में पूरी रुचि लेते थे। उनकी मृत्यु से देश को बहुत बड़ी हानि हुई है।

श्री शिव चन्डिका चौथी लोक सभा के एक सम्मानीय श्रमिक नेता थे। वे सभा की कार्यवाही में पूरी रुचि लेते थे। हमें उनकी मृत्यु से भारी दुःख हुआ है।

श्री जगन्नाथ दास एक कुशल स्वतन्त्रता सेनानी थे। यद्यपि वे प्रादेशिक सेवा की परीक्षा में प्रथम आए थे फिर भी उन्होंने डिप्टी कलक्टर के पद को ठुकरा दिया और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी चौथी लोक सभा के सदस्य थे और वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण में पूरी रुचि लेते थे। उनकी मृत्यु से दिल्ली के सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आ गई है। उसकी पूर्ति में समय लगेगा। हम उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं।

संत फतह सिंह पंजाबी सूबे के निर्माता थे। वे हृदय से राष्ट्रीयवादी थे। हम सन्त फतह सिंह और अपने उन सब मित्रों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो मृत्य के क्रूर हाथों द्वारा हमसे छीन लिए गए। मैं स्वतन्त्र दल की ओर से मृतकों के संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री पी०एम० महेता (भावनगर): अपने सहयोगियों की मृत्य पर मैं शोक प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सब की आत्माओं को शान्ति प्रदान करें।

श्री समर गुह (कन्टाई): हमें अपने चार सहयोगियों की मृत्य पर बहुत दुःख है।

आज भी उनके दीप्तिमान चेहरे हमारे हृदय में हैं। मैं और मेरा दल सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि और संवेदना में शामिल होत हैं।

मैं संत फतेह सिंह के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हांलाकि संत एक धार्मिक समुदाय के नेता थे किन्तु वह यह कभी नहीं भूले थे कि वह सर्वप्रथम भारतीय हैं और वह अपने समस्त कार्यकलापों और विचारधारा में एक सच्चे देश भक्त थे।

मैं सब दिवंगत नेताओं के शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवदना अर्पित करता हूं।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Sir, I associate myself with the deep sentiments and condolences expressed by you and other leaders of various political parties. I had an opportunity to work with Swami Ramanand Shastri in the social and educational fields. He lead a pious life of a 'sanyasi'. I express my respects and deep sentiments to this pious soul.

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : Sir, I, on behalf of my organisation Mahavidarbh Rajya Sangharsh Samiti and my party Forward Block, express my deep sentiments and respects for Shri C.C. Desai, Swami Ramanand Shastri, Shri Sheo Chandika and Shri M. Rajangam, who are not amongst us in this House. I also express my respects for Shri Manu Subedar, Shri Ram Swarup Vidyarthy, Shri R. Shankar and the Founder leader of Panjabi Suba Sant Fateh Singh.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी): मैं निर्दलीय सदस्यों की ओर से दिवगंत नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सदस्य गण दिवगंत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

Shri Sarju Pandey (Ghazipur) : Sir, I have a point of order. Shri Piloo Mody has come here wearing a badge wherein it is reported to have been inscribed that he is a C.I.A. Agent. I want your ruling as to whether he can come in the House wearing such a badge ?

Shri Ishaque Sambhali (Amroho) : Sir, he should be kept out of the House unless he puts off this badge.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I want to know from you as to whether he had taken prior permission from you ?

श्री एस०एम बनर्जी (कानपुर): यदि यह मजाक की बात है तो उन्हें ऐसा मजाक सदन से बाहर करना चाहिए। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि माननीय सदस्य अपने आप को सी०आई०ए० के एजेंट बनाकर इस सदन में आएं और अप्रत्यक्ष रूप में सी०आई०ए० का समर्थन करें। वह एक माननीय व्यक्ति हैं और उन्हें अपने आप को सी०आई०ए० का एजेंट बताकर ऐसे कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि वह वास्तव में सी०आई०ए० के एजेंट हैं तो उन्हें अपनी गतिविधियां बाहर करनी चाहिए। क्या वह सी० आई० ए० की गतिविधियों का समर्थन करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर): सी०आई०ए० को हमारे विकास कार्यकलापों में तोड़फोड़ करने का अवसर दिया गया है। सरकार सी०आई०ए० की गतिविधियों को देश में प्रोत्साहन दे रही है। देश में समाजवाद और लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों को सबसे अधिक हानि हुई है। हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

Mr. Speaker : This matter can be taken after the Question Hour. Such matters cannot be raised during Question Hour.

Shri Ramavatar Shastri : Sir, he sought your permission. Have you given him your permission ? If you have not allowed him, he cannot come in this House wearing such a badge.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेनुसराय): मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या ऐसी चीजें पहन कर आने वाले सदस्यों पर ताक झांक की जाए? क्या किसी सदस्य को कोई चीज पहन कर आने की कोई स्वतन्त्रता नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय किसी सदस्य को कोई चीज पहनने से रोक नहीं सकते।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व): सी०आई०ए० कुछ व्यक्तियों के लिए मजाक का विषय हो सकता है किन्तु हम इसे 'मजाक' नहीं मान सकते क्योंकि सी०आई०ए० की गतिविधियां देश के लिए खतरनाक और घातक हैं। इससे हमारी स्वतन्त्रता को खतरा हो रहा है। यहां इसका समर्थन नहीं होना चाहिए।

Mr. Speaker : Please do not raise such matters during the Question Hour. These things can be raised afterwards.

Shri Ishaque Sambhali : It is shameful that a person should come here posing himself a C.I.A. agent and wearing a badge of C.I.A. Sir, he should be kept out of this House.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

+

*1. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत मास सेवाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का सुझाव दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन): (क) और (ख): 14 से 16 अक्तूबर 1972 तक सेवाग्राम में हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने शिक्षा को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जोड़ने के लिए देश में शिक्षा पद्धति में सुधार हेतु कुछेक उपाय सुझाए हैं। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सभी स्तरों पर आर्थिक विकास और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्यकलापों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।

विस्तार सुनियोजित होना चाहिए किन्तु उससे कोटि में गिरावट नहीं आनी चाहिए।

2. प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तरों तक अध्ययन पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित तीन बुनियादी मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए।

(*i*) शैक्षिक कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में कार्य के प्रयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता, आत्म विश्वास और श्रम का महत्व।

(*ii*) सामुदायिक सेवा के सार्थक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और अध्यापकों को लगाए रखने के द्वारा राष्ट्रीयता सामाजिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना।

(*iii*) नैतिक तथा आचार सम्बन्धी मानदण्डों को मन में बैठाना और सभी रूपों की अपरिहार्य एकता और समान आदर भावना को समुचित रूप से समझना।

इन पाठ्यक्रमों में, हमारी मिश्रित सांस्कृतिक परम्परा का सामान्य ज्ञान भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर जोर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और जैसा कि हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित है अहिंसा, प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता शामिल होना चाहिए।

माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शैक्षिक, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्याओं में गांधीवादी विचारधारा के अध्ययन को भी शामिल करना चाहिए।

वास्तविक अर्थों पर विवाद से बचते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बुनियादी शिक्षा शब्द को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक ढांचा 10+2+3 का होना चाहिए। दस वर्षीय माध्यमिक शिक्षा के बाद काफी संख्या में दो वर्षीय विविध पाठ्यक्रम अवश्य होने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके और वे अपना जीवन यापन कर सकें।

विभिन्न सरकारी विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अपने डिप्लोमा पाठ्यक्रम लागू कर सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर के बाद विश्वविद्यालय में पहला डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होना चाहिए और उसके बाद स्नातकोत्तर और अनुसंधान पाठ्यक्रम होना चाहिए।

जबकि दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आवधिक प्रकार के होंगे, ये विद्यार्थियों के लिए भविष्य में किसी भी समय उच्चत्तर अध्ययन के हेतु खुले रहेंगे।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक शिक्षा देने के लिए व्यवसायों की काट छांट और समायोजन करना चाहिए।

4. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, जाति, सम्प्रदाय, समाज, धर्म, आर्थिक परिस्थितियों अथवा सामाजिक स्थिति का ध्यान किये बिना सभी बच्चों के लिए खुले होने चाहिए। शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए "सामीप्य स्कूल" सिद्धांत का अच्छी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त मात्रा में योग्यता व साधन छात्रवृत्तियां उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी देश में उपलब्ध उच्च स्तरीय शिक्षा से केवल इस कारण से वंचित न हो जाए क्योंकि उसके अभिभावक निर्धन हैं।

5. जबकि एक समान स्कूल पद्धति, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय संयोजन के दृष्टिकोण से वांछनीय है, राज्य सरकारों को अध्यापन पद्धतियों, परीक्षण प्रणाली में नए परीक्षणों का आयोजन करने, पाठ्यचर्या में विषयों की व्यवस्था करने, पाठ्यक्रमों को तैयार करने और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक संस्थाओं को सार्थक प्रोत्साहन देना चाहिए। एकरूपता पर जोर देने से शैक्षिक क्षेत्र में नई पद्धतियों और अनुसंधान में रुकावट नहीं आनी चाहिए। शैक्षिक मामलों में राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए "स्वायत्त कालेजों" का सिद्धांत अब सार्थक तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

6. हांलाकि प्राइवेट संस्थाओं में अनेक कदाचारों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिएं, किन्तु प्रशासन को माध्यमिक स्कूलों और कालेजों को चलाने की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए दबावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

7. सभी राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा का माध्यम पहले से ही मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा है। अब विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

भारतीय भाषाओं के लिए वैकल्पिक लिपि के रूप में नागरी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

8. इस शैक्षिक सुधार को शीघ्र लाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सिविल और मिलिट्री सेवाओं के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए आयोजित की जानी चाहिए और युक्तिमूलक आधार पर प्रत्येक राज्य को आबंटित कोटा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। इन सेवाओं के अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए चुने गए उम्मीदवारों को हिन्दी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान देना चाहिए और साथ में राष्ट्रीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय संविधान और आर्थिक योजना से व्यापक जानकारी करानी चाहिए।

9. शिक्षा की वर्तमान प्रणाली विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक क्षमताओं को पंगु बना देने वाला प्रभाव डालती है। अतः बिना किसी और विलम्ब के इसमें मौलिक रूप से सुधार करना आवश्यक है। बाह्य परीक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक विषयों के विभाग द्वारा उनके समस्त आन्तरिक मूल्यांकन पर भी पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए ताकि सफलता के एक मात्र निर्धारक के रूप में अन्तिम परीक्षाओं पर होने वाले अनुचित दबाव में व्यवहारिक कार्य और मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना है।

संक्षिप्त में, परीक्षा प्रणाली को छात्रों की केवल बौद्धिक उपलब्धि का ही मूल्यांकन नही करना चाहिए, अपितु उत्पादनकारी एवं विकास के क्रियाकलापों में, सह पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में उनके सक्रिय भाग लेने, समाज सेवा, उपस्थिति में नियमित होने तथा उनके सामान्य आचरण का भी मूल्यांकन होना चाहिए।

10. सार्वजनिक तथा प्राईवेट दोनों संस्थानों में भर्ती करते समय डिग्री को रोजगार के अनुरूप बनाने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। वर्तमान भर्ती नियमों को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए बेहद भीड़ में कमी होगी, परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले भ्रष्ट तरीके समाप्त हो जायेंगे, तथा सुदृढ़ आधार पर प्रगतिशील शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

11. शिक्षकों की कोटि और प्रशिक्षण में हमारे ठोस सुधार से कोई शिक्षा सुधार नहीं हो सकता। जहां पर अध्यापन व्यवसाय को छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने में अपना दायित्व अवश्य निभाना चाहिए, वहां राज्य और लोगों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाएं तथा उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और उन्हें वित्तीय चिन्ताओं से उन्मुक्त करें।

अध्यापकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में उन्हें एक उचित आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बन्ध में विनोबाजी द्वारा प्रारम्भ की गई "आचार्य कुल" नामक परियोजना का अध्यापन व्यवसाय द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

12. यह भी जरूरी है कि अभिभावकों को शिक्षा के पुनर्निर्माण के उत्कृष्ट काम में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्कूलों तथा कालेजों के अभिभावक अध्यापक संघ नियमित घटक होने चाहिएं। वास्तव में, हर घर को असली माने में एक बुनियादी शिक्षा इकाई के रूप में होना चाहिए।

13. शिक्षा सुधार की नीति निर्माण की प्रक्रियाओं से छात्रों को सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। स्वतः अनुशासन को लागू करने तथा अत्याधिक उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए छात्र संघों का उपयोग किया जा सकता है।

युवकों को यह समझना चाहिए कि हिंसा की वर्तमान प्रवृत्तियां निश्चित रूप से अनुरूपी हिंसा की प्रवृत्तियों को प्रारम्भ करेंगी और हमारी जनतान्त्रिक ढांचे की मूलभूत आधारों को तहस नहस कर देंगी।

14. यह वास्तव में विचारणीय विषय है कि इस दिशा में पिछले 25 वर्षों में कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाओं के बावजूद हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। अतः जन साधारण को "व्यवहारिक" साक्षरता प्रदान करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किये जाने चाहिए ताकि लोगों में बेहतर नागरिक जागरूकता उत्पन्न करने के बावजूद उनमें अधिक कार्य-दक्षता को प्रोत्साहित किया जा सके। छात्रों तथा अध्यापकों को उनके सामुदायिक सेवा कार्यकलापों के भाग के रूप में इस राष्ट्रीय अभियान में भाग लेना चाहिए।

15. स्कूल तथा कालेजों में खेलकूदों का व्यापक रूप से विकास होना तथा होनहार विशिष्ट छात्रों को उचित रूप से चुना जाना और उन्हें प्रोत्साहित करना वांछनीय है।

16. सम्मेलन को उत्साह पूर्वक यह आशा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, शिक्षाविद्, तथा सामान्य रूप से जनता राष्ट्रीय कार्यसूची में शिक्षा को अत्याधिक उच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगे तथा इन सिफारिशों को हमारी स्वतन्त्रता की रजत जयंती के अवसर पर तात्कालिक प्रवृत्ति और दृढ़ निश्चय से कार्यान्वित करेंगे।

सम्मेलन के अध्यक्ष की 15 सदस्यों की एक "अनुवर्ती" समिति नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और साथ ही इस विवरण में परिकल्पित शैक्षिक सुधार को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया है।

श्री राजदेव सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुवर्ती कार्यवाही सम्बन्धी समिति की सिफारिशें अनिवार्य होंगी या नहीं ?

प्रो० एस० नरुल हसन: यह गैर सरकारी सम्मेलन था और इसलिए इसकी किसी सिफारिश के अनिवार्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री त्रिदिब चौधरी: वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि सम्मेलन अध्यक्ष की एक अनुवर्ती कार्यवाही समिति का गठन करने का अधिकार है। अब मन्त्री महोदय ने कहा है कि चूंकि यह एक गैर सरकारी सम्मेलन था इसलिए यह अनिवार्य नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सरकार यह कैसे कहती है कि सरकार का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जब कि कोई गैर सरकारी सम्मेलन संकल्प पारित करता है और यदि सिफारिशों को अनिवार्य नहीं समझा जाता तो उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्यों कहा गया है। इसका तो एक सीधा सा उत्तर ही काफी होता कि सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। किन्तु हमें पहले ही पता लगा है कि कई राज्य सरकारों ने अवधि और पाठ्यक्रमों के ढांचों सहित सम्मेलन की सिफारिसों पर कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है।

देश के अनेक भागों में शिक्षाविदों और शिक्षा विभागों के बीच पहले से ही बहुत विवाद उठ रहा है। ये सब चीजें इस सम्मेलन से ही आरम्भ हुई हैं। वास्तव में राज्य सरकारें और शिक्षा अधिकारी कुछ भी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। किन्तु यह सरकार इसमें कैसे आ गई? मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि इस सरकार को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि सारे देश में समान शिक्षा प्रणाली हो। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विवरण में उल्लिखित सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये हैं। क्या इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है?

प्रो०एस० नरुल हसन: मैं माननीय सदस्या का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (जो एक सरकारी निकाय है और जिसमें केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री और राज्य सरकारों के शिक्षा मन्त्री तथा प्रसिद्ध शिक्षाविद् हैं) की बैठक सेवाग्राम सम्मलन से लगभग एक महीना पूर्व हुई थी। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने 10 वर्षीय, दो वर्षीय, 3 वर्षीय (मैट्रिक, इण्टर तथा डिग्री) शिक्षा पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों से अनेक सिफारिशें की थीं और इनका पालन करने की सिफारिश की थी। अतः यह केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश थी जो राज्य सरकारों के पास भेज दी गई है।

श्री जी० विश्वनाथन: ऐसा कहा जाता है कि इस सम्मेलन ने समस्त भारतीय भाषाओं के लिए नागरी लिपि का प्रयोग करने की सलाह दी है। मैं इस सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

प्रो० एस० नरुल हसन: मेरे विचार में माननीय सदस्य को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सरकार किसी गैर सरकारी सम्मेलन में पास किये गए संकल्प के प्रति क्रियाशील होगी। सरकार की शिक्षा (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी भाषा नीति भी सम्मिलित है) सम्बन्धी नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प में बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान संवैधानिक प्रावधान, जिसके अन्तर्गत राज्य की सूची में शिक्षा पद्धति की व्यवस्था है, घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाधक होंगे, और यदि हां, तो क्या वह अनुभव करते हैं कि शिक्षा पद्धति को राज्य सूची में रखने के बजाय संविधान की संवर्ती सूची में रखा जाए?

प्रो० एस० नरुल हसन: मैं नहीं जानता कि इस विशिष्ट प्रश्न में उल्लिखित सिफारिशों से संविधान में संशोधन करने का प्रश्न कैसे उठता है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कार्यवाही करने के लिए सुझाव दे रहे हैं और मन्त्री महोदय इसे कार्यवाही के लिए सुझाव ही समझें।

Shri Atal Behari Vajpayee : Acharya Vinoba Bhave gave a suggestion in the conference at Sewagram that education should be free from the control of Government and the status of education should be the same as that of Indiciary. Has this suggetion been considered by Government or is it the policy of the Government to keep education under its control ?

Prof. S. Nurul Hassan : Government's policy on education is very clear. The question of koeping education under its control does not arise.

श्री के० एस० चावड़ा: वक्तव्य के पृष्ठ 2 में कहा गया है:

"सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त मात्रा में योग्यता-व-साधन-छात्रवृत्तियां उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि कोई भी विद्यार्थी देश में उपलब्ध उच्च स्तरीय शिक्षा से केवल इस कारण वंचित न हो जाए क्योंकि उसके अभिभावक निर्धन हैं।"

मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों में योग्यता-व-साधन छात्रवृत्ति परीक्षा को लागू किया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन: यह प्रश्न एक विस्तृत प्रश्न है कि इसे किन किन राज्यों ने लागू किया है। यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करें तो मैं अवश्य ही इसकी जानकारी दूंगा।

श्री समर गुह: क्या यह सच है कि सेवाग्राम में हुई सम्मेलन में की गई सिफारिश और कुछ नहीं है बल्कि शिक्षा के ढांचे सम्बन्धी कोठारी आयोग की सिफारिश की पुष्टि करती है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम दस वर्षीय, उसके उपरान्त दो वर्षीय, फिर उसके पश्चात तीन वर्षीय (मैट्रिक, इण्टर एवं डिग्री स्तर) होना चाहिए, और यदि हां तो क्या सब राज्यों ने कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू की हैं, और यदि नहीं, तो क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में अचानक पन्द्रह वर्षीय पुराना पाठ्यक्रम अर्थात् दस वर्ष, फिर दो वर्ष (अवर कालेज) और फिर इसके बाद की अवधि का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किया है, और क्या यह सच है कि सब समाचार पत्रों ने इस निर्णय की आलोचना की है क्योंकि इससे एक करोड़ पाठ्य पुस्तकें बेकार हो जायेंगी और कोई पूर्व योजना भी नहीं बनाई गई है। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम की समानता भी नहीं होगी और इससे राज्य की शिक्षा प्रणाली को बहुत बड़ी हानि होगी। ये मेरे शब्द नहीं है अपितु उच्चतम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के शब्द हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है और यदि हां तो पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली में विकसित हो रहे इस भयंकर संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन: मैं माननीय सदस्य का ध्यान कोठारी आयोग की उस विशेष सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें दस वर्षीय उसके पश्चात् दो वर्षीय और फिर तीन वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रीय नीति संकल्प में भी स्पष्ट रूप से इसी पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। राष्ट्रीय नीति संकल्प का अनुमोदन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पहले सम्मेलन में किया गया था। और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सितम्बर, 1972 में हुई बैठक में फिर इसे दोहराया गया था। इस विशेष सत्र अथवा सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मन्त्री सहित सब राज्यों के शिक्षा मन्त्री उपस्थिति थे और हमने समस्त राज्य सरकारों से सिफारिश की थी कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस विशिष्ट सिफारिश पर अनुकूल रूप से विचार किया जाए।

भूमि की अधिकतम सीमा निधारित करने के बारे में विवाद

\+

***2. श्री पम्पन गौडा**

श्री धर्मराव अफजलपुरकार

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा 10 एकड़ नियत कर दिये जाने के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ है क्योंकि केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने 18 एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सक्षम प्राधिकारी के बारे में भी कोई विवाद है क्योंकि फालतू भूमि के वितरण के लिए तहसीलदार को जो अधिकार प्राप्त है उन्हें कम करने की आवाज उठाई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1972 राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है और आगामी अधिवेशनों में इस पर आगे और विचार किया जायेगा। इस प्रश्न में उल्लिखित विधेयक के प्रावधानों के बारे में कोई विवाद होने की सूचना मैसूर सरकार ने अभी तक भारत सरकार को नहीं दी है।

श्री पम्पन गौडा: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का भूमि की अधिकतम सीमा 10 एकड़ या 18 एकड़ नियत करने की ओर झुकाव है विशेषकर जब कि आय के अन्य साधनों पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पम्पन गौडा: मैं सरकार का मत जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके मत के बारे में तो कुछ नहीं जानता। किन्तु दिये गए उत्तर से यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा: दिया गया उत्तर पूरा न होने के कारण मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या वह अपना उत्तर पूरा करेंगे ?

श्री के० लकप्पा: ऐसा लगता है कि मैसूर राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ है। किन्तु, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैसूर में ऐसा कोई विवाद नहीं है। जबकि दूसरी ओर मैसूर राज्य कांग्रेस भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत प्रगतिशील नीतियों की ओर झुक रही है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह कुलक-उपान्तिका एवं अन्य प्रतिक्रियावादी दलों को चाहे वे मैसूर में हों अथवा अन्यत्र हों, मैसूर में लागू किये गए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी जैसे प्रगतिशील भूमि सुधारों के मार्ग में नहीं आने देंगी ? इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने पहले ही स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।

श्री के० लकप्पा: कुलक-उपान्तिका और धार्मिक संस्थाएं भी ऐसे प्रगतिशील भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। यही कारण है कि मैं मन्त्री महोदय का आश्वासन चाहता हूं कि ऐसे प्रतिक्रियावादी दल कोई बाधा नहीं डालेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आश्वासन नहीं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: जहां तक भूमि की कम से कम सीमा निर्धारित करने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों द्वारा भूमि की 18 एकड़ से कम सीमा निर्धारित करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में यदि किसी संस्था द्वारा कोई विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए केन्द्रीय मार्गदर्शनों से उनकी कोई संगति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूल भवन संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

*3. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी:** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त स्कूल भवन सम्बन्धी समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग): जी, हां। समिति द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 18–19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई अपनी 36वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। उसे सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अब राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है।

विवरण

स्कूल भवनों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति

सिफारिश का सारांश :

1. समिति ने अनुमान लगाया है कि चौथी योजना के दौरान शुरू किये गए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अतिरिक्त भवनों के लिए 90 करोड़ रुपए की धनराशि आवश्यक होगी। समिति का यह भी अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से पूर्व शुरू किये गए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के लिए अपेक्षित स्कूल भवनों की कमी दूर करने के लिए 250 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। समिति की यह धारणा है कि स्कूल भवनों के निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि का 50 प्रतिशत भाग जनता के दान के जरिए उपलब्ध हो जाएगा। समिति ने भारत सरकार पर विशेष रूप से स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदानों के रूप में अगले दस वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित करने के लिए जोर दिया है। यदि आवश्यक हो तो इस धनराशि का आधा भाग ऋण के रूप में और बकाया अनुदान के रूप में दिया जाए।

2. (क) चूंकि स्कूल भवन के निर्माण से शिक्षित बेरोजगारों, अध्यापकों तथा इंजीनियरों, ओवरसियरों, बढ़इयों आदि के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा होंगे, अतः कम से कम 10 करोड़ रुपए की धनराशि की एक आवर्ती निधि निर्धारित कर दी जाए, जिसमें से राज्यों को स्कूल भवनों के निर्माण के लिए ऋण दिए जा सकें।

(ख) शैक्षिक भवनों के लिए एक केन्द्रीयवित्त निगम को स्थापित करना वांछनीय समझा गया है। दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से सात वर्ष की अवधि के लिए 14 करोड़ रुपए के परिव्यय में से आवर्ती निधि की व्यवस्था की जायेगी, जिसका प्रबन्ध प्रस्तावित निगम द्वारा किया जाएगा।

(3) स्कूल इमारतों के लिए स्थानीय साधनों को जुटाने के हेतु निम्नलिखित कदम उठाने की सिफारिश की गई है:

(क) लाटरियों द्वारा निधियां एकत्र की जाएं।

(ख) जन्म दिवसों तथा शादियों आदि के अवसरों पर स्थानीय लोगों से एक अथवा दो कमरे देने के लिए कहा जाए।

(ग) धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इमारतें देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) इमारतों के लिए धन एकत्र करने के हेतु नाटकों का अभिनय तथा प्रदर्शनियों की तरह के अन्य साधन जुटाने चाहिए।

(ङ) सीमेंट, भोजन, मजदूरों के भुगतान आदि जैसी जिंसों में चन्दा एकत्र करना चाहिए।

4. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की डिजाइन तथा सुझावों के अनुसार इमारतों की लागत को कम किया जाए।

(5) नए भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए और अब खुले स्थान में चलाये जा रहे स्कूलों को तथा उन निर्माणधीन इमारतों को जिनके स्कूल तम्बुओं में तथा किराये के भवनों का उपयोग कर रहे हैं पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Distribution System of Ration in Delhi

*4. **Shri Dhan Shah Pradhan**
Shri M. S. Purty

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether a request has been made to Government for the introduction of monthly ration distribution system in place of weekly ration distribution system in the capital; and

(b) If so, the difficulties envisaged by Government in introducing the monthly system of ration distribution ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चिदाम्बर में भगवान नटराज के मंदिर के नवीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा सहायता

*5. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिदाम्बर में स्थित भगवान नटराज के प्राचीन मन्दिर के नवीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मिनी बसों द्वारा क्षमता से अधिक यात्री ले जाया जाना

*6. **श्री के० सूर्यनारायण:** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि राजधानी में चल रही मिनी बसें सुबह और शाम के समय अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से लगभग दुगने यात्री ले जाती है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही में इन मिनी बसों के विरुद्ध कितनी बार मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उल्लंघन करके इस प्रकार अधिक यात्री ले जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि व्यस्ततम समय में मिनी बसें खचाखच भरी होती हैं।

(ख) 291

(ग) विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं और दोषियों पर मुकदमा चलाया जाता है।

पांचवीं योजना में सांस्कृतिक विकास सम्बन्धी मसौदा

*7. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं योजना में सांस्कृतिक विकास के लिए एक मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सांस्कृतिक विकास के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों पर कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) से (ग): नई दिल्ली में दिनांक 15–16 सितम्बर, 1972 को आयोजित राज्य शिक्षा सचिवों/शिक्षा निदेशकों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सांस्कृतिक विकास के लिए एक पृथक आयोजना तैयार की जानी चाहिए। इसका अनुमोदन नई दिल्ली में दिनांक 18–19 सितम्बर, 1972 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 36वीं बैठक में किया गया था। इसने शिक्षा सचिवों के सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गयी व्यापक रूपरेखाओं पर आधारित एक विस्तृत सांस्कृतिक आयोजना तैयार करने के लिए कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल के अध्यक्ष को भी अधिकार दिया था। तदनुसार (1) संस्कृति तथा शिक्षा, (2) पुस्तकालय विकास एवं गजेटियर, (3) संग्रहालय और वीथियों, (4) शासकीय अभिलेखाकारों तथा (5) पुरातत्वविज्ञान के लिए कार्यकारी ग्रुप स्थापित किए गए हैं। कार्यकारी ग्रुपों से रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जायेगा और उन्हें योजना आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा सचिवों के सम्मेलन द्वारा विभिन्न सेक्टरों के लिए सिफारिश किए गए अस्थायी आबंटन इस प्रकार है:–

रुपए करोड़ों में

1. संस्कृति तथा शिक्षा	50
2. पुस्तकालय विकास	20
3. संग्रहालय तथा कला वीथियां	15
4. शासकीय अभिलेखागार	10
5. पुरातत्व विज्ञान	20
6. मानव विज्ञान	1
7. गजेटियर	1
8. फुटकर योजनाएं	3
	120

म्यूनिख ओलम्पिक, 1972 खेलों में अधिकारियों तथा खिलाड़ियों का व्यवहार

*8. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**

श्री ओंकार लाल बेरवा

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान म्यूनिख ओलम्पिक 1972 के खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के अधिकारियों और कुछ खिलाड़ियों के व्यवहार के बारे में हुई आलोचना की ओर दिलाया गया है; और

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) तथा (ख): म्यूनिख ओलम्पिक में भेजे गए भारतीय दल के बारे में कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई गई थी। पश्चिम जर्मन स्थित भारतीय राजदूतावास तथा खेलों का निरीक्षण करने के लिए भेजे गए सरकारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा स्थल पर ही तत्काल तहकीकात की गई थी। सरकार को भारतीय ओलम्पिक दल के शिष्टमण्डल के अध्यक्ष (चीफ डे मिशन) से भी रिपोर्ट मिल गई है।

ऐसा पता चला है कि सरकारी व्यक्तियों तथा खेलों में भाग लेने वालों के आचरण की जो आलोचना की गई है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

स्कूल के बच्चों को संसद के कार्यकरण के बारे में शिक्षा देना

*9. **श्री एम० सी० सामन्त**: क्या **संसदीय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के बच्चों को संसद के कार्यकरण के बारे में शिक्षा प्रदान करने के अभियान की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य विभिन्न राज्यों में इस योजना को लागू करने में विभाग को कितनी सफलता प्राप्त हुई और इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां सामने आईं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन एवं परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क): अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा इस विषय पर समय समय पर अंगीकृत सिफारिशों के अनुसरण में संसदीय कार्य विभाग ने स्कूल के बच्चों को संसद के कार्यकरण के बारे में शिक्षा देने के विचार से संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में एक "बाल संसद" योजना तैयार की थी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक छः प्रतियोगिताएं की जा चुकी हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिन्होंने अब तक की वार्षिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया था नीचे दिखाई गयी हैं :—

प्रतियोगिता	वर्ष	भाग लेने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
पहली	1966–67	16
दूसरी	1967–68	25
तीसरी	1968–69	43
चौथी	1969–70	42
पांचवीं	1970–71	41
छठी	1971–72	50

वर्ष 1972–73 में की जा रही 7वीं "बाल संसद" प्रतियोगिता में 54 विद्यालयों द्वारा भाग लेने की आशा है।

(ख) संसदीय कार्य विभाग ने दिल्ली में प्रचलित "बाल संसद" प्रतियोगिता की योजना को सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों में इसी प्रकार की योजना तैयार करने के लिए परिचालित कर दिया था। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने "बाल संसद" की इस योजना को अंशतः अथवा पूर्णतः या तो लागू कर दिया है अथवा लागू करने का प्रयास किया है। हाल ही में इस विभाग ने ऐसे राज्यों को वित्तीय सहायता की एक योजना तैयार की थी जिन्होंने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "बाल संसद" योजना अंशतः/पूर्णतः लागू कर दी है अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना को लागू कर देंगे तथा इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में, रु० 1,000 की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, वापिस कर दिया जायेगा। वित्तीय सहायता की योजना की एक प्रतिलिपि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को परिचालित कर दी गयी है। इस योजना के प्रति अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया की अभी भी प्रतीक्षा है।

निरक्षरता का उन्मूलन

*10. **श्री के० लकप्पा:**

श्री प्रसन्न भाई मेहता

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख): निरक्षरता उन्मूलन के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं की योजना राज्य सरकारों को भेज दी गई है : इसमें विद्यार्थियों, अध्यापकों और कार्यक्रम में सहायता करने वाले अन्य शिक्षित व्यक्तियों के साथ जनता के साथ भाग लेने की परिकल्पना की गई है । और इसका खर्चा केन्द्र और राज्यों द्वारा 40:60 के अनुपात से उठाया जाएगा ।

निरक्षरता के उन्मूलन के लिए मुख्य मुख्य बातें तैयार की जा रही हैं । इस लक्ष्य की प्राप्ति युवक अभियान के विकास और छात्र स्वयंसेवकों के जरिए होगी । 11-14 आयु वर्ग में उन व्यक्तियों के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा के लाभ से वंचित रहे हैं । अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करने से समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।

निजी तौर पर चलाये जा रहे शिक्षण संस्थानों को सरकारी अधिकार में लेना

*11. **श्री आर०के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) देश में निजी तौर पर चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को सरकारी अधिकार में लेने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख): शिक्षा के राज्य विषय होने के कारण, प्राइवट शिक्षा संस्थाओं के बारे में निति निर्धारण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । भारत सरकार का, देश में चल रही प्राइवट शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाएं चलाने के अधिकार की गारंटी की गई है ।

खुले बाजार में चीनी की बिक्री बन्द करने संबंधी प्रस्ताव

*12. **श्री डी० बी० चंद्र गौडा:**

श्री सी०के० जाफर शरीफ:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में चीनी की बिक्री बन्द करने और उसे उचित दर की दुकानों द्वारा बेचने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जयन्ती ग्राम

*13. **श्री नरेन्द्र सिंह:**

श्री जी० वाई कृष्णन:

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में प्रत्येक विकास खण्ड में 'जयन्ती ग्रामों' का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उक्त कार्य के लिए किन किन ग्रामों को चुना गया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए परियोजनाएं मंजूरी हेतु प्रस्तुत की हैं; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :(क) गुजरात, राजस्थान, पाण्डीचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा चण्डीगढ़, आन्ध्र प्रदेश के पांच जिलो तथा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक के छः जिलों में जयन्ती ग्रामों का चयन किया गया है । शेष राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनों ने उन जयन्ती ग्रामों की सूची अभी तक भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं की है जो उन द्वारा चुने गए हों, चयन, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाना है ।

(ख) मध्य प्रदेश द्वारा चुने गये ग्रामों के नामों के बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना

*14. **मौलाना इसहाक सम्भली:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना सम्बन्धी योजना की भारतीय सड़क कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विशिष्ट कार्य क्या होंगे; और

(ग) आयोग को चलाने के लिए धन कहां से उपलब्ध होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) भारतीय सड़क कांग्रेस ने, जो कि एक निजी निकाय है, ऐसी सिफारिश की है ।

(ख) तथा (ग): केन्द्र में प्रस्तावित ग्रामीण सड़क आयोग राज्य सरकारों के समान आयोगों की स्थापना के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्मित योजना में इन संस्थाओं के कार्य और धन लगाने के साधनों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है ।

कार्य

I. केन्द्र में ग्रामीण सड़क आयोग ।

1. देश में ग्रामीण सड़कों की समग्र विकास योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें राज्य ग्रामीण सड़क आयोगों की ब्योरेवार योजना और कार्यक्रम से सम्बन्ध करना ।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए धन का वितरण करना ।

3. राज्य ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण में सुदृढ़ और एक रूप निर्णय लेने के विचार से उनके नियोजन, निर्माण और अनुरक्षण के मामले में राज्य ग्रामीण सड़क आयोगों के लिए नीतियों और विस्तृत निर्देशिकाओं का निर्धारण करना ।

4. ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रमों के मामले में केन्द्र में विभिन्न विभागों/संगठनों के लिए समन्वित एजेंसी के रूप में काम करना ।

II. राज्यों में ग्रामीण सड़क आयोग ।

1. ग्रामीण सड़कों के नियोजन और कार्यक्रम तैयार करने के लिए ।

2. ग्रामीण सड़क विकास के लिए धन एकत्रित करने की व्यवस्था करना ।

3. प्राथमिकताओं के अनुसार धन वितरण करना जो कि प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक उत्पादन के आधार पर निश्चित की गई है ।

4. जिला परिषदों के परामर्श से प्राथमिकताओं का निर्धारण करना ।

5. सभी विभागों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों पर समग्र रूप से नियन्त्रण रखना और उसमें तालमेल पैदा करना ।

6. ग्रामीण सड़कों की विशिष्टि और निर्माण तकनीकों पर नियन्त्रण रखना ।

7. ग्रामीण सड़कों के उचित अनुरक्षण और देख रेख को सुनिश्चित करना ।

धन के साधन

I. केन्द्र में ग्रामीण सड़क आयोग

1. उदग्रहण के 33⅓ प्रतिशत की सीमा तक पेट्रोल और डीज़ल तेल पर उत्पादन शुल्क द्वारा संवर्धित केन्द्रीय सड़क निधि का 60 प्रतिशत । इससे प्रतिवर्ष लगभग 66 करोड़ रुपय की आय होने की सम्भावना है ।

2. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से नियतन ।

3. कृषि मंत्रालय से नियतन ।

II. राज्यों में ग्रामीण सड़क आयोग

1. केन्द्र में ग्रामीण सड़क आयोग से नियतन ।

2. सड़कों के लिए राज्य योजना व्यवस्था के 25 प्रतिशत के समान राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए नियतन ।

3. प्रतिवर्ष प्रति बैलगाड़ी 12 रुपये का बैलगाड़ी कर लगाना ।

4. यथामूल आधार पर बाजार के क्षेत्राधिकार में बेचे उत्पादन पर शुल्क के उदग्रहण द्वारा राज्य में मार्केट समिति निधि का निर्माण करना ।

5. समुन्नति कर ।

6. भूराजस्व पर अधिभार ।

7. सिंचाई, कृषि और परिवहन के राज्य विभागों से नियतन ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*15. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी सम्बन्धी जांच समिति का अंतरिम प्रतिवेदन सरकार को कब दिया गया था;

(ख) क्या समिति ने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में चीनी उद्योग का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किये जाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो यदि उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है; और

(घ) क्या अंतरिम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 28 अगस्त, 1972 को ।

(ख) जी नहीं । आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में चीनी उद्योग के राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां, सरकार द्वारा सिफारिशों पर निर्णय करने के शीघ्र बाद ।

भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष तथा वरिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच

*16. **श्री अर्जुन सेठी:**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गये आरोपों तथा उसके कार्यकरण की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार ने क्या तरीके अपनाने का निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे) : (क) और (ख) : सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

आसाम की शिक्षण संस्थाओं में भाषायी दंगे

*17. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में निरन्तर हो रहे व्यापक भाषायी दंगों और हिंसात्मक घटनाओं के परिणामस्वरूप वहां की शिक्षण संस्थाओं में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इनका स्वरूप क्या है और ये भाषायी दंगे किस सीमा तक फैल गये हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आसाम की शिक्षण संस्थाओं में भाषा सम्बन्धी संकट को, स्वीकृत शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति और संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार दूर करने का कोई प्रयास किया है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख): असम के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर असम के विभिन्न भागों में दंगे होते रहे हैं और कुछ शैक्षिक संस्थाओं में अशांति रही है । और इससे मुख्यतः कामरुप, दारंग, नवगांव और डिब्रूगढ़ जिलों पर असर पड़ा है । उपलब्ध

सूचना के अनुसार दंगों के दौरान 31 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हुए। राज्य प्राधिकारियों ने अव्यवस्था की घटना का सामना करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए हैं। कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था और काफी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सहायता दी है।

हांलाकि शिक्षा और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना राज्य के विषय हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति और सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार विवाद का हल निकालने के दृष्टिकोण से पूरी सहायता उपलब्ध की जा रही है। तथापि, समस्या का स्थायी हल केवल शान्ति और सद्भावना के वातावरण में ी संभव है।

ट्रावनकोर हाउस और कपूरथला प्लाट

*18. **श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या केरल सरकार के दिल्ली स्थित ट्रावनकोर हाऊस और कपूरथला प्लाट राज्य सरकार के निवेदनानुसार उसे दे दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) तथा (ख): ट्रावनकोर हाऊस राज्य सरकार को 15 सितम्बर, 1969.से दिया गया था परन्तु किसी न किसी कारण से राज्य सरकार ने इस का दखल नहीं लिया। तथापि, राज्य सरकार तथा कम्पनी कार्य विभाग के बीच भवन के किराय पर हुए समझौते के उपरान्त, 7 मई, 1971 को इसका दखल उस विभाग को दे दिया गया था।

जहां तक कपूरथला प्लाट का सम्बन्ध है, इस प्लाट में से 2,164 एकड़ भूमि केरल शिक्षा समिति द्वारा एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए केरल सरकार को दे दी गई है। शेष भूमि, दिल्ली प्रशासन की सिक्योरिटी पुलिस लाईन द्वारा खाली किए जाने पर दे दी जाएगी।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

*19. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या शिक्षा सुधारों के सम्बन्ध में विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में शिक्षा सुधारों की क्रियान्विति में क्या रुकावटें आ रही हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग): शैक्षणिक सुधार पर स्वतन्त्रता से पूर्व कई आयोगों तथा समितियों ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। इनमें से बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि यह सच है कि बहुत सी सिफारिशों को अभी भी कार्यान्वित करना बाकी है।

देश में शैक्षिणक सुधार की गति कई कारणों से धीमी रही है, इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण शायद पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी है।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सरकार का देश में शिक्षा पद्धति में पुनर्निर्माण करने के लिए व्यापक तथा मूलभूत प्रयत्न करने का विचार है ताकि समाज की कायापलट करने, स्तरों में सुधार करने, बच्चों को समान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा शैक्षणिक अवसर की व्यापक समानता लाने के लिए इसे शक्तिशाली साधन बनाया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल द्वारा एक प्रारूप आयोजना को अनुमोदित कर दिया गया है तथा यह अब विचाराधीन है।

Amount sanctioned to States for Middle Income Group Housing Scheme and Rural Housing Scheme

*20. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sanctioned a sum of Rs. 7 crores for Middle Income Group Housing Scheme and Rural Housing Scheme ;

(b) if so, the names of the States to which the said amount would be given indicating the amount to be given to each State ; and

(c) whether the control over expenditure would be exercised by the Central Government or by any agency of the Government or by the State Governments themselves ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) to (c) : Financial assistance is sanctioned by the Ministry of Works & Housing to State Governments for the implementation of the Central Sector Scheme for Provision of House sites to Landless Workers in Rural Areas only. It has been decided that financial assistance upto Rs. 7 crores can be released to the State Governments during 1972-73 for this Scheme. The actual amount to be given to each State will depend upon the projects framed and progress made in their implementation by different State Governments. Financial assistance sanctioned and drawn so far by the State Governments under this Scheme is as under :—

Rupees in Lakhs

Sl. No.	Name of State	Financial assistance (Grant)	
		Sanctioned	Drawn
1.	Gujarat	75.73	18.92
2.	Kerala	273.92	136.96
3.	Maharashtra	6.96	1.74
4.	Mysore	36.21	9.05
5.	Orissa	8.40	2.10
6.	Tamil Nadu	75.51	18.88
7.	Uttar Pradesh	25.41	6.35
	TOTAL	502.14	194.00

This scheme is being implemented through the State Governments etc., and as such control on the day-to-day expenditure will be exercised by them. The Central Government will no doubt exercise overall financial control in the sanction of projects and release of funds from time to time.

The other rural housing scheme *viz.*, the village Housing Projects Scheme and also the Middle Income Group Housing Scheme are in the State Sector. Central assistance for all the State Sector Schemes (including Housing) taken together is being given to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' by the Ministry of Finance. This block Central assistance is not relatable to any individual Scheme/Project or head of development.

म्यूनिख में हुए ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम में खिलाड़ियों तथा अधिकारियों की संख्या

1. श्री वयालार रवि :

श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) म्यूनिख में हुए ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम में कुल कितने व्यक्ति थे ?

(ख) उनमें कितने खिलाड़ी थे तथा कितने अधिकारी; और

(ग) हमारी जैसी इतनी छोटी टीम में इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी भेजने के क्या कारण थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क): 61

(ख) विस्तृत ब्यौरा नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	खेल	प्रतियोगिता की संख्या	अधिकारियों की संख्या
1.	एथलैटिक्स	7	1
2.	बैडमिन्टन	1	—
3.	बौक्सिंग	3	1
4.	हाकी	18	2
5.	निशाने बाजी	4	2
6.	वजन उठाना	1	1
7.	कुश्ती	8	2
8.	नौका विहार	5	1
9.	खेल (चिकित्सक)	—	2
10.	शिष्ट मंडल उपाध्यक्ष (चीफ-डे-मिशन)	—	1
11.	विशिष्ट मंडल उपाध्यक्ष (डिप्टी चीफ-डे-मिशन)	—	1
	योग	47	14

(ग) कम से कम अधिकारी भेजे गए थे और प्रत्येक प्रतियोगिता से सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद संघों के नियमों क अनुसार उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी ।

चौथी योजना अवधि में जहाज निर्माण की क्षमता तथा अवश्यकतायें

2. श्री वयालार रवि: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना के अन्त में हमारे देश की जहाज निर्माण क्षमता तथा हमारी आवश्यकताओं के बीच बड़ा अन्तर होगा;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) इस अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस क्षेत्र में किस अवधि तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने की संभावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख): चतुर्थ योजना के दौरान आवश्यक अतिरिक्त टनभार प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख जी०आर०टी० निकलता है, जिसकी तुलना, में चतुर्थ योजना के अन्त में जहाज निर्माण क्षमता 85,000 जी०आर०टी० बनती है।

(ग) और (घ): विदेशों से जहाज प्राप्त करके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी जहाजी टनभार की शेष आवश्यकता पूरी की जा रही है। परन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशी जहाज निर्माण की क्षमता को यथा संभव बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कोचीन में एक बड़ा शिपयार्ड पहले ही से निर्माणाधीन है, जिसकी पूर्ति की लक्ष्य तारीख सितम्बर, 1975 है। हल्दिया क्षेत्र में एक अन्य बड़े शिपयार्ड की स्थापना के विषय में कार्यकारी दल एक विस्तृत जांच कर रहा है। आशा है कि कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही पूरी कर के सरकार को पेश कर देगा। नौवहन और जहाज निर्माण के लिए पांचवीं योजना, योजनाओं के निर्माणार्थ एक ऐसे अन्तमंत्रालय सम्बन्धी कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। जिसमें योजना आयोग भी सम्बन्धित है। इस समय उस अवधि के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है जब तक कि जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी।

'हेक्सा क्लोरोफीन' के कुप्रभाव

3. **श्री के० सूर्यनारायण:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने प्रशासन सामग्री, साबुन तथा अन्य ऐसे उत्पादों में हेक्सा क्लोरोफीन के कुप्रभावों सम्बन्धी अपने निष्कर्ष इस बीच प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख): औषधि तकनीकी सलाहकारी बोर्ड ने सुझाव दिया है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में इन बातों की व्यवस्था की जाए कि:—

1. हेक्साक्लोरोफीन युक्त किसी प्रकार की प्रसाधन सामग्री आयात न की जाए;

2. बिक्री और वितरण के लिए हेक्साक्लोरोफीन युक्त किसी प्रकार की प्रसाधन सामग्री तैयार न की जाए।

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में विहित व्यवस्था के अनुसार जनता की राय जानने के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सुझावों के अनुरूप औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधनार्थ शीघ्र ही अधिसूचना का एक मसौदा जारी करने की संभावना है।

जहां तक उन साबुनों का सम्बन्ध है जो कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं, पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय से उनके बारे में उचित कार्यवाही करने को कह दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम अथवा गैर-सरकारी संचालकों द्वारा सड़कों पर मिनी बसों का चलाया जाना

4. **श्री के० सूर्यनारायण:** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में यातायात की स्थिति में सुधार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम अथवा गैर सरकारी संचालकों द्वारा कितनी मिनी बसें चलाई जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मिनी बसों को चलाने के लिए 30 यात्री बस परमिटों को देने के लिए आशय पत्र जारी किया है। निगम की 12 मिनी बसें पहले ही प्राप्त हो गई हैं और जल्दी ही ये सड़क पर चलने लगेंगी। निजी चालकों को 35 मिनी बस के परमिट देने के लिए प्रार्थना पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के पास पड़े हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा दूध के टोकन कार्डों का जब्त किया जाना

5. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दूध के लिए उचित रूप से मंजूर किए गए टोकन कार्डों को डीपो मैनेजरों द्वारा बिना कारण बताए बलपूर्वक से लिया जा रहा है तथा कई मामलों में रसीदें तक नहीं दी जा रही हैं और इस प्रकार बच्चों तथा बीमार व्यक्तियों को दूध से वंचित करके वास्तविक तथा जरूरतमन्द कार्डधारियों को गम्भीर कठिनाई में डाला जा रहा है; और

(ख) क्या वास्तविक कार्ड मालिकों को उनके कार्ड वापिस देने की सम्भावना है ताकि वे दूध का पूरा कोटा प्राप्त कर सकें?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) दिल्ली दुग्ध योजना इस विशेष शर्त पर दूध का टोकन देती है कि प्रार्थी अथवा उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से कोई टोकन न हो। नए/प्रथम टोकन कार्ड के लिए प्रार्थना पत्र देने के समय इस आशय का एक घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाता है।

दूध के टोकन की समय समय पर जांच के फलस्वरूप यह पता चला है कि कुछ व्यक्तियों के पास एक से अधिक टोकन हैं जिसे स्पष्टत: उन्होंने प्रार्थना पत्र में गलत घोषणा करके प्राप्त किया है। तदानुसार एक ही व्यक्ति के नाम एक ही पारी के द्वितीय और बाद के टोकन को रद्द करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है। ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को एक औपचारिक रसीद देनी होती है। अतिरिक्त दूध के जरूरतमन्द व्यक्तियों को अपनी जरूरतें दर्ज करानी पड़ती हैं और उनका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। दूध का अतिरिक्त कोटा पहले दिए गए टोकन कार्डों पर दिया जा सकता है और दिया भी जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस से आयात की गई पी जाने वाली पोलियो औषधि (ओरल पोलियो वक्सीन)

6. **श्री डी० पी० जडेजा**:

श्री देकारिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस से आयात की गई पी जाने वाली पोलियो औषधि (ओरल पोलियो वैक्सीन) भारत में प्रभाव हीन सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी प्रभावहीनता के कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या अन्य देशों से आयात की गई ऐसी औषधि भी प्रभावहीन सिद्ध हुई है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख): जी नहीं, फिर भी, समाचार पत्रों में हाल ही में कथित खबरों को देखते हुए इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

पहाड़ गंज, नई, दिल्ली में होटल

7. **श्री डी०पी० जदेजा:** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पहाड़ गंज, नई दिल्ली में अनेक होटल खोले गए हैं ;

(ख) क्या नगर निगम के अधिकारियों ने मास्टर प्लान के नियमों के अन्तर्गत इन होटलों के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है क्योंकि पहाड़ गंज को गन्दी बस्ती का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के लिए कार्यवाही आरम्भ की थी। इससे पहले कि अनधिकृत इमारतें गिराई जा सके, पार्टियों ने न्यायालयों से रोक आदेश प्राप्त कर लिए। रोक आदेशों को रद्द करवाने के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जायगी।

डेरा इस्माइल खां हाऊस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली द्वारा भूमि का विकास

8. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री डेरा इस्माइल खां हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली द्वारा भूमि के विकास के बारे में क्रमश: 3 और 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 और 3622 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सोसायटी ने भूमि के विकास के लिए एक संशोधित लक्ष्यतिथि निर्धारित की है; और यदि हां, वह निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) क्या सोसायटी द्वारा विकास की गई भूमि के बार में कोई त्रैमासिक प्रतिवेदन मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) अभी तक कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 30-6-1972 तक समिति द्वारा भूमि के विकास में की गई प्रगति लगभग निम्नलिखित है:—

	कार्य का नाम	हुई प्रगति
(i)	समतल करना तथा दरेसी कार्य	80 प्र० श०
(ii)	बरसाती पानी की नालियां	15 प्र०श०
(iii)	सड़कें	35 प्र०श०
(iv)	जल पूर्ति	13 प्र०श०
(v)	सड़कों पर रोशनी	3 प्र०श०
(vi)	मल नालियां	12 प्र०श०

*Expenditure incurred on Indian Players, Coaches and Visitors to Munich

9. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Piloo Mody :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Indian players, coaches and visitors to Munich olympics held in September, 1972; and

(b) the expenditure incurred by Government and the Indian Olympic Association in terms of foreign exchange and Indian currency in this regard item-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The composition of the Indian Contingent to Munich Olympic Games is given below :—

Sl. No.	Game/Sport	No. of competitors	No. of officials including Coach
1.	Athletics	7	1
2.	Badminton	1	—
3.	Boxing	3	1
4.	Hockey	18	2
5.	Shooting	4	2
6.	Weightlifting	1	1
7.	Wrestling	8	2
8.	Yachting	5	1
9.	Sports Doctors	—	2
10.	Chef-de-Mission	—	1
11.	Dy. Chef-de-Mission	—	1
	TOTAL	47	14

The number of other visitors to the Munich Olympics is not known to this Ministry.

(b) (i) Expenditure so far incurred by the Government of India in Indian currency on the passage cost of the Contingent : Rs. 3,09,162.00 (Some more bills are awaited from Air India).

(ii) Foreign Exchange sanction to the Indian Olympic Association to cover board and loading, pocket expenses, incidentals=$23502 and £1000 etc.

Declaration of National Highways in M.P.

10. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Narendra Singh :

Will the Minister for **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have received proposals from the Government of Madhya Pradesh for declaring the State highways as National Highways;

(b) if so, the action taken by the Central Government thereon; and

(c) the date by which the Central Government propose to declare these roads as National Highways.

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) to (c) : In response to a circular letter dated 2nd September 1972 addressed to all the State Governments inviting proposals for new additions to the existing National Highway System in the Fifth Five Year Plan, the Chief Engineer, Madhya Pradesh, has submitted to the State Govt. a proposal for the addition of 4646 Kilometers to the N.H. System in the Fifth Plan and endorsed a copy of that proposal to the Director General (Road Development). The State Chief Engineer has been asked to supply some additional data. The State Govt. have first to consider the proposal of the State Chief Engineer to facilitate further consideration of the matter as part of the Fifth Five Year Plan depending upon the availability of resources, the *inter-se* priority of these proposals along with similar proposals to be received from other States and the Criteria laid down for the classification of roads as National Highways. No communication from the Madhya Pradesh Govt. has, however, yet been received.

Central Assistant for Development of Roads in Madhya Pradesh

11. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the extent to which the average mileage of roads per sq. kilometre in Madhya Pradesh falls short of the all India average mileage of roads ;

(b) whether any proposals have been received from Madhya Pradesh Government for Central assistance for the construction of more roads in the State ;

(c) if so, the decision taken by the Central Government thereon;

(d) whether Central Government have issued any instructions to the State Government for showing priority to the construction of roads in rural areas, and if so, the nature thereof; and

(e) the extent to which the Central Government would bear the expenditure for the implementation of the said instructions ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) The average length of roads per sq. Km. of area is 0.25 km. in Madhya Pradesh as against the All India average of 0.39 Km. (1970-71).

(b) & (c) : Presumably the Members have in mind the State Government's proposals for more State roads of inter-State or Economic Importance. In response to a circular issued by the Government of India dated 5th September 1972 inviting proposals for the Fifth Plan, the State Chief Engineer has sent to the Government of India a copy of the proposals formulated by him in this connection. Before these proposals could be examined for consideration under the Fifth Five Year Plan in the light of the ultimate availablity of resources, *inter-se* priority of schemes *vis-a-vis* the demands from other States, these have to be considered in the first instance by the State Government who have not yet sent any reply.

(d) Instructions have been issued by the Government of India to all State Governments (including the Government of Madhya Pradesh) requesting them to set apart, during the Fourth Plan period, about 25% of the total outlay on road development in the States for rural roads; and

(e) There is no provision in the Fourth Five Year Plan for any "earmarked" Central assistance for rural roads.

Acreage of Cultivable Land distributed to Landless

12. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of cultivable land distributed so far among the landless in the country; and

(b) the future plan of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) About half a million hectares of surplus land obtained as a result of ceiling on land holdings has been distributed among the landless. Besides, the State Governments have so far distributed 5.17 million hectares of Government land in the normal course through their Revenue Department.

(b) Whatever lands vest in the State Governments on the implementation of revised ceiling laws and the available cultivable waste land will be distributed as expeditiously as possible giving priority to landless agricultural workers, particularly those belonging to scheduled castes and scheduled tribes.

सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बने बनाए मकान आबंटित करने की योजना

13. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय में तीन, चार वर्ष की अवधि के अन्दर सेवानिवृत्ति होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है और उनके वर्तमान आवास स्थल के निकटतम निर्मित मकान का आबंटन करने के लिए स्थान (क्षेत्र) और उनके द्वारा अदा की जाने वाली न्यूनतम राशि अधिसूचित कर दी गई है;

(ख) क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों को बने बनाये मकान उनके सेवानिवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व दिए जाएंगे और क्या यह नियम उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा अथवा बीमारी के आधार पर सेवानिवृत्त किया जाएगा तथा जो समय से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाएंगे; और

(ग) इस योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग): सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों/फ्लेटों को खरीदने के लिए सेवा निवृत्त होने वाले "सरकारी कर्मचारियों" के पंजीकरण की एक योजना हाल ही में प्रारम्भ की गई है। पहले पहल यह योजना 3 वर्ष अर्थात् 1-4-1972 से 31-3-1975 तक के मध्य सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित रखी गई है, चाहे उनकी सेवा निवृत्ति का कारण कुछ भी हो। उसने इस योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व दिल्ली को अपना होम टाउन अवश्य घोषित किया हो तथा दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली कैन्ट के शहरी क्षेत्रों में बिना पट्टे पर या पट्टे के आधार पर कोई मकान अथवा प्लाट पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उसके नाम अथवा उसके/उसकी पत्नी/पति या अविवाहित बच्चों समेत उसके आश्रित सम्बन्धियों के नाम नहीं होना चाहिए।

इस योजना का पंजी करण 21-9-1972 को प्रारम्भ किया गया और 20-10-1972 को बन्द कर दिया गया।

निर्माण किए जाने वाले मकानों/फ्लैटों का स्थान, उनका क्षेत्रफल, लागत तथा आबंटियों से उसकी वसूली की पद्धति आदि अनुलग्नक में दी गई है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3633/72)**

हिमाचल प्रदेश में सदाथहर जल सप्लाई योजना

14. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदाथहर जल सप्लाई योजना को हिमाचल प्रदेश में पूरी तौर से क्रियान्वित कर दिया गया है; यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आई है;

(ख) उक्त योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल आपाती निधि से कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि दी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सम्भवतः यह प्रश्न ज्वाली जल पूर्ति योजना के बारे में है जिसके अन्तर्गत सिद्धाता क्षेत्र के 25 गांवों को मिलाकर कुल 94 गांव आते हैं। यह योजना अभी अभी पूरी हुई है। इस पर 17.58 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने इस योजना के लिए पाइप आदि के रूप में लगभग 4,86,200 रुपए की सहायता दी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उपहारस्वरूप एक ट्रक—एक पावर वैगन और एक जीप भी दी।

(ग) इस योजना को राष्ट्रीय जल पूर्ति और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1965 में एक ग्रामीण परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया। उस समय केन्द्रीय सहायता का जो पैटर्न प्रचलित था, उसके अनुसार योजना की लागत का 50 प्रतिशत भाग अनुदान स्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ द्वारा दी गई सामग्री और उपकरणों की लागत भी शामिल थी। शेष 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

चुने हुए ग्रामों में ग्रामीण जल संभरण में तेजी लाने की केन्द्रीय योजना

15. श्री राजदेव सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जल संभरण में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 12907 ग्रामों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इन ग्रामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए 1972-73 वर्ष के लिए नियत किए गए 20 करोड़ रुपए में से काम आरम्भ करने के लिए 4.12 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार इस राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी०चट्टोपाध्याय): (क) और (ख): ग्राम जल पूर्ति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय योजना के अधीन अब तक विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अभावग्रस्त तथा जटिल क्षेत्रों में स्थित 13,461 ग्रामों की योजनाओं में क्रियान्विति के लिए मंजूरी दे दी है। इन ग्रामों का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

(ग) और (घ): 1972-73 के 20 करोड़ रुपए के नियतन में से अब तक 505.50 लाख रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। इस रकम का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन ग्रामों की संख्या जिनके लिए योजनाएं मंजूर की गई हैं	पहली किश्त के रूप में दी गई रकम (रुपए लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,000	19.00
2.	असम	274	19.00
3.	बिहार	3,200	30.00
4.	गुजरात	892	25.00
5.	हरियाणा	149	19.00
6.	हिमाचल प्रदेश	348	25.00+25.00 दूसरी किस्त के रूप में
7.	जम्मू व कश्मीर	156	25.00
8.	केरल	105	12.50
9.	मध्य प्रदेश	1,001	37.00
10.	महाराष्ट्र	90	25.00
11.	मेघालय	31	12.50
12.	मैसूर	134	25.00
13.	नागालैण्ड	32	12.50
14.	उड़ीसा	1,594	25.00
15.	पंजाब	146	19.00
16.	राजस्थान	964	44.00
17.	तमिल नाडु	336	25.00
18.	उत्तर प्रदेश	1,922	56.00
19.	पंश्चिम बंगाल	10	25.00
20.	अरुणाचल प्रदेश	71	—
21.	मिजोराम	3	—
22.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3	—
	योग	13,461	505.50

कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवासीय स्थान

16. श्री राजदेव सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच राज्यों यथा केरल, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए 1.27 करोड़ रुपयों से अधिक राशि की लागत वाली परियोजनाओं को, जिसमें लगभग दो लाख आवासीय स्थानों की व्यवस्था है, स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के लिए कितने आवासीय स्थान, परियोजनाएं और धनराशि आबंटित की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक आवासीय स्थान और परियोजना के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): केरल, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में

भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं व आवास स्थलों की संख्या तथा दी गई केन्द्रीय राशि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं के अन्तर्गत एक आवास स्थल की औसत लागत लगभग 480 रुपए बैठती है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई परियोजनाएं तथा दी गई राशि का विवरण :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध किए जाने वाले आवास स्थलों की संख्या	स्वीकृत लागत	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)
1.	केरल	960	96,000	*677.76	136.96
2.	मसूर	60	22,465	36.21	9.05
3.	उड़ीसा	2	3,349	8.40	2.10
4.	तमिलनाडु	36	33,692	75.51	18.88
5.	उत्तर प्रदेश	22	15,628	25.41	6.35
	कुल	1,080	1,71,134	823.29	173.34

*टिप्पणी:—1972-73 वर्ष के लिए स्वीकृत राशि— 273.92 लाख रुपए

1973-74 तथा 1974-75 वर्षों के दौरान उपलब्ध की जाने वाली राशि— 403.84 लाख रुपए

677.76 लाख रुपए

आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में चाय विज्ञान और प्रोद्यौगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

17. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट ने नवम्बर, 1972 से चाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या 'चाय बोर्ड' को अन्य चाय उत्पादक राज्यों से भी विद्यार्थियों का चयन करने का कुछ अधिकार होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विद्यार्थियों के इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 'चाय बोर्ड' का अध्यक्ष विश्वविद्यालय के सेलेक्शन बोर्ड का सदस्य है।

म्यूनिख में हुए ओलिम्पक खेलों में भारतीय टीम की हार

18. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री मुखतियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) म्यूनिख में हाकी सहित अन्य सभी ओलम्पिक खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों के हारने के क्या कारण थे; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) म्यूनिख औलिम्पक में भाग लेने वाली विभिन्न भारतीय टीमों के निष्पादन का विश्लेषण, भारतीय शासकीय प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के परामर्श से शासकीय प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

समान आधार पर मद्यनिषेध

19. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समूचे देश में, कम से कम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समान आधार पर मद्यनिषध लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी०यादव): (क) और (ख) भारत सरकार सदा से सारे देश में, मद्यनिषेध की समान नीति का प्रचार करती आ रही है। अलबत्ता, मद्यनिषेध एक राज्य विषय है और इसलिए, इस नीति को लागू करना राज्य सरकारों के उत्तरों पर निर्भर करता है। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में समान नीति अपनाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को मनाती रहेगी।

सरकारी मुद्रणालयों में क्षमता से अधिक भण्डार

20. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलोखेड़ी, गंगटोक, कोराट्टी और कोयम्बटूर स्थित सरकारी मुद्रणालयों में कागज़, जिल्दसाज़ी की सामग्री और लेखन सामग्री के अत्यधिक भण्डार अनेक वर्षों से भरे पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अधिकतम स्टाक के लिए निर्धारित वर्तमान अधिकतम सीमा के अनुसार, 1966-67, 67-68 तथा 68-69 में उपर्युक्त मुद्रणालयों में कागज, जिल्दसाज़ी की सामग्री तथा लेखन सामग्री के स्टाक में आधिक्य था।

(ख) आधिक्य का कारण सप्लाई की अनिश्चित स्थिति तथा विशेष प्रकार के कागज़ों की मांग का वहां न होना था। तथापि, और यथार्थवादी आधार पर स्टाक की अधिकतम सीमा का संशोधन करने के कदम उठाए जा रहे हैं और भारत सरकार के मुद्रणालयों की आवश्यकताओं का मानकीकरण कर के कागज़ की किस्मों की मांग को कम कर दिया गया है।

Non-Illumination of Samadhi of Gandhiji on the Eve of Independence Day, 1972

21. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether no lighting arrangements were made on the Samadhi of Gandhiji, the Father of the Nation on the eve of Silver Jubilee celebration f the Independence Day this year ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning, Works and Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) : Because of large scale drought conditions in many parts of the country and acute shortage of power on account of scarcity of water, it was decided that austerity should be observed in respect of illuminations of buildings on the eve of Silver Jubilee Celebrations of Independence Day, 1972. Consequently it was decided that only the following buildings should be illuminated :—

1. Rashtrapati Bhavan.
2. North and South Blocks.
3. Parliament House.
4. Red Fort.

Loss Suffered By D.T.C. During Recent Rioting in Delhi

22. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri P. Venkatasubbaiah :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a number of buses were set on fire by the students and some other persons also indulged in lootings in the name of students in Delhi recently ; and

(b) if so, the extent of loss suffered as a result thereof and the facilities provided by Government after considering the demands of students ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) During the period from 15-7-72 to 31-10-72, the Corporation suffered a loss to the extent of Rs. 5,99,876.

The demands of the students regarding additional services were ascertained in discussions with the students' representatives, college Principals and University authorities much before the opening of the Colleges and later from time to time and, accordingly, the number of special trips for the students, which was 408 prior to the closure of the University for summer vacation this year, has been increased to 591. This is in addition to the normal services provided in the city, which cover a number of colleges.

Demand for Safety of Operating Staff of D.T.C.

23. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the operating staff of Delhi Transport Corporation have made a demand for the arrangement of their safety ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) Since the safety of operating staff of the Corporation is a matter related to the maintenance of law and order in the Capital, discussions have been held with the law and order authorities and the management of the Corporation has been assured of all possible assistance by them.

सरकारी कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

24. श्री के० मालन्ना :

श्री राम कंवर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक सरकारी कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के उपरान्त भी सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे अनेक मामले हैं जहां कुछ सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के तीन वर्ष के अन्दर सरकारी आवास आबंटित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और सरकार ने ऐसे कदाचार को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास-मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : फिलहाल दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी 2,595 हैं तथा वे टाइप I से IV तक के पात्र हैं, यद्यपि इनका सेवाकाल 25 वर्ष से अधिक हो गया है तथापि उन्हें सामान्य पूल वास का आबंटन नहीं किया गया है ।

(ग) कतिपय कष्टप्रद मामलों में तथा कुल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी कर्मचारियों को, बिना उनके सेवाकाल का ध्यान रखते हुए तदर्थ आबंटन किये गये हैं ।

(घ) सरकारी कर्मचारियों या उन के परिवारों के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के मामले में, सक्षम चिकित्सा अधिकारी की राय पर सहानुभूति के आधार पर तदर्थ आबंटन किये गये हैं । सेवा निवृत्ति/स्वर्गवासी/स्थानान्तरित आबंटी अधिकारियों पर निर्भर संबंधियों को भी उनके परिवारों को कष्ट से बचाने हेतु तथा मंत्रियों और अन्य उच्चाधिकारियों के निजी स्टाफ को तदर्थ आबंटन किये गये हैं । मंत्रियों के निजी स्टाफ तथा अन्य उच्चाधिकारियों को तदर्थ आबंटन उनकी ड्यूटी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं ।

हलवाईयों को नियंत्रित मूल्यों पर चीनी की सप्लाई न किया जाना

25. श्री के० मालन्न : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष देश में हलवाइयों को नियंत्रित मूल्यों पर चीनी प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार हलवाइयों के लिए चीनी का कोटा निश्चित करने का है ताकि लोगों को सस्ते मूल्यों पर मिठाई उपलब्ध हो सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लेवी चीनी का सीमित कोटा, जोकि मुख्यत: घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने और कुछेक अत्यावश्यक प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, हलवाइयों और मिष्ठान निर्माताओं को सप्लाई नहीं किया जा सकता है ।

(ग) जी नहीं, जब तक कि सप्लाई स्थिति में सुधार नहीं होता है ।

लाला लाजपतराय मेमोरियल मैडिकल कालेज मेरठ

26. श्री के० सूर्यनारायण :

श्री जी० वाई कृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों द्वारा दिखाई जाने वाली कथित उपेक्षा के बारे में दिल्ली से गये हुए विद्यार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप सरकार ने मेरठ स्थित लाला लाजपतराय मैमोरियल मैडिकल कालेज के मामले में जांच करने के आदेश दिये हैं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली के विद्यार्थियों को उन की मांग के अनुसार मेरठ में उन की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा पूरी होने के पश्चात् दिल्ली में खोले गये नये मैडिकल कालेज में दाखिला देने की वांछनीयता पर भी विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा दिल्ली में इस प्रकार विद्यार्थियों के जाने से कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचने की संभावना है और क्या लाला लाजपतराय मैमोरियल मैडिकल कालेज, मेरठ को इस बारे में कोई अनुदेश दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग): उत्तर प्रदेश सरकार ने लाला लाजपतराय मैमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ के मामलों की जांच करने का आदेश दिया था । इस जांच से पता चला है कि शिक्षण में पक्षपात अथवा भेदभाव बरते जाने का आरोप निराधार है और उसका कोई सबूत नहीं है । इस जांच की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली के छात्रों के इस बैच को चाहिए कि वे अलगाव की नीति का परित्याग कर मेरठ के छात्रों के साथ मिल जुल कर रहें । इसलिए, दिल्ली के छात्रों को उनके अभ्यावेदन के आधार पर मेरठ से दिल्ली वापस लाना वांछनीय नहीं समझा गया है । इसके अलावा, एक कालेज से दूसरे कालेज में स्थानान्तरण उस विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन किया जाता है जिससे कालेज सम्बद्ध होते हैं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली का कार्यकरण

27. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को लगातार तीन वर्षों अर्थात्, 1969-70, 1970-71, और 1971-72 से हानि हो रही है, और यदि हां, तो कितनी;

(ख) निगम के मुख्य कार्यालय में एक्जीक्युटिव इंजीनियरों और उच्च पदों पर कितने अधिकारी हैं, और गत तीन वर्षों में उनके वेतन भत्ते तथा अन्य आकस्मिक व्यय पर कुल कितनी राशि व्यय हुई; और

(ग) क्या इस उपक्रम के संस्थापना तथा अन्य व्यय को कम कर इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं। निगम को 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों में क्रमश: 11.57 लाख रुपये तथा 7.57 लाख रुपये की हानि हुई। तथापि, 1971-72 वर्ष के दौरान इसको 13 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

(ख) सूचना नीचे दी जाती है :–

1969-70	7	1.15 लाख रुपये
1970-71	5	0.82 लाख रुपये
1971-72	6	0.91 लाख रुपये

(ग) जी, हां। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप निगम के कार्य में सुधार हुआ है जिस के परिणामस्वरूप 1971-72 के वर्ष के दौरान 5.19 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है, जो इस वर्ष के 4.00 करोड़ रुपये के कारोबार के लक्ष्य से अधिक है, तथा 1971-72 के वर्ष के दौरान 13 लाख रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ है।

म्यूनिसिपल निकायों द्वारा शहरी विकास

28. श्री डी०डी० देसाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि नगरीय राजस्व के साधनों की व्याख्या करने के लिए संविधान में प्रावधान किया जाएं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि म्यूनिसिपल निकायों द्वारा किए जाने वाले शहरी विकास कार्यक्रम के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) चूंकि ये दोनों सिफारिशें संविधान के अनुसार राज्य विषयों के अन्तर्गत आती हैं, इसलिए भारत सरकार का राज्य सरकारों से परामर्श करने का विचार है।

चीनी का उत्पादन, बाकी बचा स्टाक, वर्तमान स्टाक, मासिक मांग और मूल्य ढांचा

29. श्री डी०डी० देसाई : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी का उत्पादन, बाकी बचा स्टाक, वर्तमान स्टाक, मासिक मांग और मूल्य ढांचा सम्बन्धी आंकड़े क्या रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को चीनी की अनियमित सप्लाई और उसकी भारी कमी की जानकारी है जिनके कारण उसके मूल्य बढ़ जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चीनी वर्ष (अक्तूबर सितम्बर) 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में पहली अक्तूबर को अथशेष स्टाक, मौसम के दौरान उत्पादन और इतिशेष स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :–

आंकड़े हजार मीटरी टन में

	1969-70	1970-71	1971-72
1. पहली अक्तूबर को अथशेष स्टाक	1306	2090	1410
2. उत्पादन	4262	3740	3112
3. 30 सितम्बर को इतिशेष स्टाक	2090	1410	598
4. औसत मासिक निकासी	271	336	316

इन तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में डी० 29 ग्रेड की लेवी चीनी के मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3634/72]**

(ख) 1970-71 के दौरान चीनी का बहुत कम उत्पादन होने और इसके परिणामस्वरूप 1971-72 में कुल मिला कर चीनी की कमी होने के कारण ही मुख्यत: चीनी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। देश के विभिन्न भागों को चीनी की मासिक निर्मुक्तियां और प्रेषण न्यूनाधिक नियमित रूप से किए जाते रहे हैं।

(ग) संसद के पिछले अधिवेशन में घोषित की गई 1972-73 के लिए चीनी तथा गन्ने की नीति का उद्देश्य चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने का है क्योंकि यही एक प्रभावकारी साधन है जिससे मूल्यों को नीचे लाया जा सकता है।

इसके अलावा चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्हासित करने के लिए चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में उचित छूट देने की प्रणाली भी शुरू की गई है।

सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तथा कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण तथा परिरक्षण के लिये राष्ट्रीय ट्रस्ट

30. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सांस्कृतिक महत्व के स्थलों तथा कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण तथा परिरक्षण के लिय एक राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितनी लागत आयेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख): सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक महत्व की उपयुक्त इमारतों, स्थानों तथा कला वस्तुओं के अधिग्रहण एवं संरक्षण के लिए पंच वर्षीय योजना अवधि में एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना के प्रश्न की जांच कर रही है। इस प्रस्ताव के पूर्ण ब्यौरे मालूम करने तथा इस पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

खाद्य सामग्री में मिलावट

31. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य सामग्री में बड़े पैमाने पर मिलावट बेरोक चल रही है जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य को हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश में खाद्य अपमिश्रण की समस्या के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही और अधिक कठोर बना दिया गया है और राज्यों को कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को ठीक तरह से लागू करें।

सम्बन्धित राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्य अपमिश्रण के आतंक को रोकने के लिय एक केन्द्रीय एकक की स्थापना कर दी गई है। इस एकक का मुख्य कार्य अन्तर्राज्य अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में निर्धारित व्यवस्था को स्थापित करना है। यह राज्य सरकारों को तकनीकी मामलों में सलाह देता है।

गाजियाबाद में खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण की एक नई प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में खाद्य विश्लेषकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्यों के अपने-अपने स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों में खाद्य निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने और खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाओं को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

राज्य सरकारों द्वारा खाद्य निगमों की स्थापना

32. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना एक राज्य खाद्य निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार का अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य खाद्य निगम स्थापित करने का विचार है जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने अलग राज्य व्यापार निगम बनाने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी है।

(ग) मोटे तौर पर, राज्य सरकारों का खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, संचयन और वितरण करने के लिए निगम स्थापित करने का विचार है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

मानदेय आदि प्राप्त करने वाले लोगों को भी शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार

33. श्री एस० सी० सामन्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों को नियमित रूप से मानदेय अथवा वेतन अथवा ऐसी ही किसी राशि के रूप में मासिक परिलब्धियां मिल रही हैं वे केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के उसी प्रकार पात्र नहीं हैं जिस प्रकार की सरकारी कर्मचारी अथवा आयोगों तथा संसद् आदि के सदस्य हैं; और

(ख) मानदेय, वेतन प्राप्त करने वाले बीमार लोगों को भी इसके अन्तर्गत लाने में क्या कठिनाईयां हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख): केन्द्रीय सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे इस योजना में शामिल हों। जो कर्मचारी नियमित मासिक मानदेय लेते हैं और जो केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय के नियमित कर्मचारियों की कोटी में आते हैं, वे भी केन्द्रीय स्वास्थय योजना की सुविधाओं को प्राप्त करने के पात्र हैं बशर्ते कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना द्वारा निर्धारित चन्दा देते हों। जिन आयोगों का गठन सरकारी आदेशों के अन्तर्गत हुआ है, उनके सदस्य भी संसद सदस्यों और अन्य लाभार्थियों की भांति केन्द्रीय स्वस्थ्य योजना की सुविधाओं को प्राप्त करने के पात्र हैं।

गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार सम्बन्धी योजना में नगर निगमों का शामिल किया जाना

34. श्री के० लक्कप्पा :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद् की कार्याकारिणी समिति ने केन्द्रीय सरकार की सभी नगर निगमों की गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार सम्बन्धी योजना में शामिल करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी, हां।

(ख) इस समय वातावरण के सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय योजना उन 11 नगरों की गन्दी बस्तियों पर लागू होती है जिनकी प्रत्येक की जनसंख्या 8 लाख से कम की नहीं है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की वातावरण सम्बन्धी स्थिति को सुधारना है तथा उन पर महत्व पूर्ण प्रभाव डालना है जहां गन्दी बस्तियों की स्थिति खराब है, न कि इसका उद्देश्य उपलब्ध साधनों को सभी नगर निगमों में एक साथ थोड़ा थोड़ा करके बांटना है। योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये वित्तीय सहायता सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी जाती है जो उसको फिर कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों (जिनमें नगर निगम शामिल हैं) दे देती हैं। तथापि, उन राज्यों की राजधानी अथवा उनके दूसरे किसी महत्वपूर्ण नगर में योजना को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जिन में यह फिलहाल लागू नहीं की गई।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की योजना

35. श्री के० लकप्पा :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा ऐसी किसी योजना का प्रस्ताव किया गया है जिससे कृषि उत्पादन तीन गुना बढ़ जायेगा और एक करोड़ 70 लाख ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसी ऐसी योजना का प्रस्ताव नहीं किया है।

सितम्बर, 1972 में आयोजित कृषि उत्पादन आयुक्तों की बैठक

36. श्री के० लकप्पा :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कृषि आयुक्तों की बैठक सितम्बर, 1972 के तीसरे सप्ताह में बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक को बुलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह बैठक रबी-ग्रीष्म 1972-73 के आपातिक उत्पादन कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिये बुलाई गई थी।

(ख) राज्य सरकारों ने प्रायः केन्द्र द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया और विश्वास व्यक्त किया कि लक्ष्य पूरे कर लिये जायेंगे।

दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी रिहायशी मकानों के रख-रखाव की लागत

38. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में सरकारी मकानों का सरकारी कर्मचारियों से कुल कितना किराया प्रति वर्ष प्राप्त हुआ ;

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सरकारी क्वार्टरों के रख रखाव पर सरकार ने कुल कितनी राशि व्यय की; और

(ग) रख रखाव व्यय में कमी करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं या किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से की गई लाइसेंस शुल्क की वसूली का लेखा पृथक पृथक नहीं रखा जाता। 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के वर्षों के दौरान, दिल्ली/नई दिल्ली में इस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित रिहायशी वास के बारे में वसूल की गई कुल राशि क्रमश: 253.67 लाख रुपये, 274.53 लाख रुपये तथा 290.11 लाख रुपये थी।

(ख) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के वर्षों के दौरान, दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी निवास स्थानों के अनुरक्षण पर व्यय की गई कुल राशि 583.37 लाख रुपये थी।

(ग) फिलहाल, सिवाय अपवादात्मक परिस्थितियों में तथा जहां कार्य अनिवार्य समझा जाता है सफ़ेदी, मरम्मत, छोट मोटे निर्माण कार्य तथा रिहायशी या गैर रिहायशी भवनों में परिवर्धनों तथा परिवर्तनों पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों का दिल्ली में अपने ही भवनों में काम करना

39. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या क्या है जो अपने ही भवनों में काम कर रहे हैं; और

(ख) किराये के भवनों में कार्यकर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के विभागीय भवन प्रदान करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 62

अपने निजी भवनों में खुले औषधालयों की संख्या	13
सरकारी रिहायशी मकानों में खोले गये औषधालयों की संख्या	28
खरीदे हुए भवनों में खुले औषधालयों की संख्या	3
किराये के मकानों में खुले औषधालयों की संख्या	18

(ख) किराये के भवनों या अन्य स्थानों में खुले केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए अपने निजी भवनों का निर्माण कार्य किस तारीख तक पूरा हो जायेगा यह बचन देना सम्भव नहीं है तो भी, इस मामले पर पहले ही निम्नलिखित निकायों के साथ बात चीत चल रही है :—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण

(ii) दिल्ली नगर निगम

(iii) निर्माण और आवास मंत्रालय

(iv) पुनर्वास विभाग

हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन प्लाट अर्थात् नारायणा, नांगल राय तथा हौज खास की प्राइवेट कालोनियों में एक एक प्लाट दिया गया है। इन प्लाटों में इमारतें बनाने के लिए जमीन का कब्जा लेने तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है। न्यू राजेन्द्र नगर की प्राइवेट कालोनी तथा अलीगंज और रामकृष्णपुरम सेक्टर 8 की सरकारी कालोनियों में इमारतें लगभग पूरी हो गई हैं और एक अन्य सरकारी कालोनी एण्ड्रयूज गंज में निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। जहाँ तक प्राइवेट कालोनियों में जहां इस समय औषधालय किराए के मकानों में खुले हुए हैं, औषधालयों के लिए इमारतें बनवाने का प्रश्न है, यह मामला धन और समुचित जमीन मिलने पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में डाक्टरों द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या

40. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना औषधालय के एक डाक्टर से प्रतिदिन कितने रोगियों को देखने की आशा की जाती है ;

(ख) क्या रोगियों की अधिक संख्या देखने के लिये प्रत्येक औषधालय में डाक्टरों की पर्याप्त संख्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि डाक्टर नियत समय पर औषधालयों में आयें ताकि डाक्टर द्वारा जांच कराने के अभिप्राय से लम्बी लाईनें न लगें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिन में छः घण्टे के बीच 106 रोगियों को देखने की आशा की जाती है।

(ख) अधिकांश औषधालयों में रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, डाक्टरों की संख्या पर्याप्त है। औषधालयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार ने औषधालयों को कड़े अनुदेश जारी कर रखे हैं कि प्रत्येक डाक्टर नियत समय पर औषधालय पहुंचे। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के निदेशक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि क्या डाक्टर समय का पालन करते हैं प्रतिदिन आकस्मिक रूप से निरीक्षण भी करते हैं।

नगरों में चीनी के नियंत्रित मूल्य

41. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में नगरों की अपेक्षा चीनी के नियंत्रित मूल्य अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अक्तूबर, 1972 से देश भर में नियन्त्रित चीनी समान मूल्य पर बेची जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट

42. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग): जी नहीं । वास्तव में पाठ्यचर्या विकास, उद्योग में व्यावहारिक अनुभव सहित अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण सान्तराल पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान आदि की तरह के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्तरों को ऊंचा उठाया जा रहा है ।

विज्ञान की पुस्तकों का सृजन करने संबंधी राष्ट्रीय आयोग

43. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान की पुस्तकों के सृजन के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसमें कितनी राशि व्यय होगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग): शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में श्री यू० एस० मोहनराव से अनुरोध किया था कि वह भारत में उपलब्ध वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों के संबंध में मुद्रण व प्रकाशन सुविधाओं का सर्वेक्षण करें तथा वैज्ञानिक पुस्तकों के लिए एक मुद्राणलय स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करें । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रतिष्ठान की स्थापना की सिफारिश है जो उच्च स्तर की वैज्ञानिक, चिकित्साशास्त्रीय तथा तकनीकी पुस्तकों की योजना और रूप रेखा बनाये, लेखकों, प्रकाशकों, मुद्रकों तथा उपभोगताओं को नियमित रूप से सलाह व सूचना दे सके तथा चुने विषयों पर पांडुलिपियों का निर्माण तथा प्रकाशन करा सकें जिनमें ऐसी पांडुलिपियां भी सम्मिलित हों जिनके निर्माण तथा प्रकाशन के लिए किसी भी कारणवश गैर सरकारी प्रकाशक सहमत न हों ।

यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में वित्तीय विवरण का ब्यौरा अभी बनाया नहीं गया है ।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का लागू किया जाना

44. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश भर में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1972/73 में केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को किस प्रकार की सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी नहीं । (ख) तथा (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश के लिये ग्रामीण आवास योजना

45. **श्री नरेन्द्र सिंह:**

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य की ग्रामीण आवास योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम जो 1957 में प्रारम्भ की गई थी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना में ग्रामीणों को नये मकान बनाने अथवा वर्तमान मकानों में सुधार करने के लिये उन के निर्माण का 80 प्र० श० जो अधिक से अधिक 4000 रुपये तक प्रति मकान हो सकता है, तथा राज्य सरकारों द्वारा सड़कें तथा नालियां बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। योजना राज्य क्षेत्र में है तथा राज्य सरकारें इसके अधीन भारत सरकार से पूछे बिना परियोजनायें बनाने तथा स्वीकार करने और ऋण देने के लिये स्वयं सक्षम हैं। इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को उनकी समस्त योजनाओं के लिए एक मुश्त दिए गए खण्ड ऋणों खण्ड अनुदानों में सम्मिलित हैं।

2. "ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को वास स्थल देने की योजना" नामक एक अन्य योजना केन्द्रीय क्षेत्र में अक्तूबर 1971 से प्रारम्भ की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को कतिपय शर्तों के पूरा होने पर निःशुल्क वास स्थल के आबंटन के लिए भूमि अर्जन तथा इसके विकास के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवी योजना में शिक्षा का विकास

46. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री शिवचन्द्र लाल सक्सेना :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3,200 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश में शिक्षा का विकास करने की रूपरेखा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए तैयार की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए इस योजना को अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख): जी हां। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए मंत्रालय ने शिक्षा की एक रूप रेखा (ब्लूप्रिंट) तैयार की है। मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस योजना को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपने 36वें सत्र में जो 18-19 सितम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुआ था मोटे तौर पर अनुमोदित कर दिया है। कार्य क्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(1) शिक्षा संबंधी प्रणाली में परिवर्तन

(2) स्तरों में सुधार

(3) विशेषरूप से सामाजिक-दलित वर्गों के लिए पूर्व-स्कूल कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू करना ।

(4) 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 1975-76 तक तथा 6-14 आयुवर्ग के लिये 1980-81 तक सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ।

(5) सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, स्कूल तथा कालेज कक्षाओं की एक समान पद्धति अर्थात् 10+2+3 का अपनाया जाना ।

(6) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण ।

(7) राष्ट्रीय स्कूल छात्रवृत्ति योजना का विकास करना, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथा खासतौर से समाज के अति दलित वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूल तथा विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके ।

(8) 14-25 वर्ष के आयु-वर्ग के लोगों के लिए युवक आन्दोलन शुरू करना ।

(9) कालेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा का पुनर्गठन ।

(10) तकनीकी शिक्षा का विकास ।

(11) राष्ट्रीय समाज सेवा का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना ।

(12) विस्तार तथा कोटि सुधार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

(ग) योजना आयोग द्वारा पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिये, प्रकाशित समय सारिणी के अनुसार पंच वर्षीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप का विवरण 30-4-73 तक तैयार हो जाना चाहिये ।

दिल्ली स्थित सुपर बाजार, को हुई हानि

47. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में दिल्ली के सुपर बाजार को वर्षवार कुल कितनी हानि और इस हानि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इतनी अधिक हानि मुख्य रूप से अत्यधिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा प्रबन्धकों की लापरवाही और अयोग्यता के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति में इस समय नौ सदस्य हैं, जिन्हें स्टोर की उप विधियों के अनुसरण में, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है । उनके नाम विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) गत तीन सहकारी वर्षों में हुई कुल हानियां इस प्रकार हैं :–

1968-69	19.41 लाख रु०
1969-70	18.57 लाख रु०
1970-71	16.93 लाख रु०

(वर्ष 1971-72 के लेखाओं की लेखा परीक्षा अभी नहीं हुई है)

इस हानि के मुख्य कारण ये हैं : प्रारम्भ में किया गया अधिक प्रोत्साहन संम्बन्धी व्यय, प्रारम्भिक वर्षों में स्टाक में कमी और

उठाईगिरी की अधिक घटनाएं होना, कुल बिक्री की तुलना में भारी प्रचालन व्यय, विशेष तौर से स्थापना, इमारतों के किराये और ब्याज की दर के रूप में ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता; तथापि, स्टोर के कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिसके लिए इसकी प्रचालन कार्यविधियों में सुधार किया गया है, किफायत तथा वस्तु-सूची नियंत्रण के उपाय लागू किए गए हैं और बिक्री बढ़ाने के उपाय अपनाए गए हैं ।

विवरण

कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।

1. श्रीमती सविता बहिन, संसद सदस्य, सी० 1/12, हुमायूं रोड, नई दिल्ली-11	अध्यक्ष
2. डा० (श्रीमती) दुर्गा ड्यूलकर, संचालिका, लेडी इर्विन कालिज, नई दिल्ली ।	सदस्य
3. श्री बलराज खन्ना, उप महापौर, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।	सदस्य
4. श्री एम० के० किदवाई, बी-28, वैस्ट एंड कालोनी, नई दिल्ली-23	सदस्य
5. श्री वी० वी० अजमेरा, प्रबंधक निदेशक, अजमेरा वूलन मिल्स (पी) लि० दिल्ली	सदस्य
6. श्री एम० डब्लयू० के० यूसुफजाई, अध्यक्ष नई दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली ।	सदस्य
7. सहकारी सोसायटियों के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।	सदस्य
8. मुख्य निदेशक (उपभोक्ता सहकारी समितियां), सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
9. श्री एम० एम० के० वली, भूतपूर्व सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य

तूतीकारिन पत्तन परियोजना के अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार

48. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 1972 में तूतीकारिन पत्तन परियोजना के कर्मचारियों एवं मजदूरों ने उन्हें परियोजना के कतिपय अधिकारियों द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोग तथा अन्य कदाचारों के आरोपों वाला एक ज्ञापन पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां । तूतीकारिन बन्दरगाह परियोजना के कर्मचारियों और मजदूरों से बिना हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) पत्र में तूतीकारिन बन्दरगाह परियोजना के भूतपूर्व मुख्य इन्जीनियर और प्रशासक के विरुद्ध सरकारी धन का गबन, अधिकारों का दुरुपयोग, मुख्य इन्जीनियर और प्रशासक की अयोग्यता के कारण तूतीकारिन बन्दरगाह परियोजना के निष्पादन में विलम्ब सम्बन्धी आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

चावल, गेहूं, चीनी, कपड़ा, खाने का तेल और मिट्टी के तेल का थोक व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेना

*49. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री समर गुहा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चावल, गेहूं, चीनी, कपड़ा, खाने का तेल और मिट्टी के तेल का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उक्त योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त योजना में एकाधिकार-वसूली को भी शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): सरकार ने गेहूं, चावल और लेवी चीनी का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए निर्णय कर लिया है। सरकार ने नियन्त्रित कपड़े का समूचा उत्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानों, सुपर बाज़ारों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बद्ध उचित मूल्य की दुकानों और मिलों की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचने का भी निर्णय कर लिया है। खाने योग्य तेलों और मिट्टी के तेल के थोक व्यापार को लेने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस योजना की आवश्यक बातें ये हैं कि इन वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण में सरकारी एजेंसियां प्रमुख भूमिका अदा करें और जिससे विचौलियों को समाप्त किया जा सके। इन निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक पग उठाए जा रहे हैं ।

उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल का निर्माण

50. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी पर पुल के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार को ऋण के रूप में कोई राशि स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण की राशि क्या है, उड़ीसा सरकार द्वारा किस तारीख को वह प्राप्त किया गया और उक्त निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) और (ख): जी, हां। अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों से सम्बन्धित केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल के निर्माणार्थ 74 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। उक्त ऋण स्वीकृति दिनांक 22 जनवरी, 1971 के पत्र में की गई थी और बाद में इस बात पर सहमति हो गई है कि उपर्युक्त ऋण सहायता पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों में बराबर-बराबर बांटी जाएगी, हालांकि उड़ीसा सरकार द्वारा निर्माण कार्य किया जाएगा। अनुमान की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए परियोजना, राज्य सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर पड़ती है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने 30 सितम्बर, 1972 को 74.30 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया और टेंडर आमंत्रित किए हैं जिनकी राज्य सरकार की टेंडर समिति द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार की मांग पर उसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कर दी जाएगी।

उड़ीसा में बालासौर स्थित चन्दावली पत्तन के विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि

51. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री उड़ीसा में बालासौर स्थित चन्द्रावली पत्तन के विकास कार्यों पर व्यय की गई धनराशि के बार में 14 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2124 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्र द्वारा नियतन की गई 2.30 लाख रुपये की राशि में से 2.18 लाख रुपये की राशि द्वितीय योजना के दौरान उड़ीसा के बालासौर जिले में चांदवाली पत्तन के विकास के लिए वास्तव में व्यय किया गया है ।

मदवार व्यय सूचित करने वाला विवरण संलग्न किया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 3635/72]**

खाद्य वस्तुओं की मूल्यवृद्धि का अनुमान लगाना और उस पर की गई कार्यवाही

52. श्री समर गुह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि का कोई अनुमान लगाया है; यदि हां, तो खाद्य वस्तुओं की इस मूल्य वृद्धि की मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की समस्या का सामना करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर लागू होने वाली प्रस्तावित राशन प्रणाली में खाद्यान्नों की सीधी वसूली और वितरण प्रणाली सम्मिलित होगी; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों के मूल्य प्रवृत्तियों की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है; अनाजों के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक अप्रैल के अन्त के 209.6 से बढ़कर 9 सितम्बर, 1972 को 237.1 पर पहुंच गया जिससे 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यह बताया गया है कि बहुत से केन्द्रों पर मूल्यों में मौसमी गिरावट आयी है ।

जनवरी—सितम्बर के दौरान मूल्यों में बढ़ोतरी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :–

(1) 1971-72 के दौरान खरीफ के अनाजों की पैदावार में गिरावट आयी ।

(2) मार्च और मई, 1972 के बीच मौनसून पूर्व छींटें न पड़ना जिससे 1971-72 की ग्रीष्म धान की फसल और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों में 1972-73 की शरद धान/अगेती मक्का की फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(3) जून में मौनसून के आने में विलम्ब और जुलाई के मध्य से अगस्त, 1972 के पहले सप्ताह तक लम्बी सूखे की लहर रहने से 1972-73 की खरीफ की फसलों की बुवाई में विघ्न पड़ा ।

(4) आगामी खरीफ के अनाजों के उत्पादन की सम्भावनाओं के बारे में अनिश्चितता के कारण मूल्यों में और वृद्धि होने की प्रत्याशा में बड़े उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा स्टाक रोक लेना ।

(5) बंगला देश को निर्यात; और

(6) जनता के पास अधिक मुद्रा का हो जाना ।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न के सरकारी वितरण को सशक्त बनाएं तथा उसका विस्तार करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे विशेषतया दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में, जहां आवश्यक हो, नई उचित मूल्य की दुकानें खोलें और आदिम जनजाति क्षेत्रों में उन लोगों के लाभ के लिए भी उचित मूल्य की दुकानें खोलें ।

राशन व्यवस्था का विस्तार लागू करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में बांदा की हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार

53. श्री समर गुह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में बांदा के जिलाधीश के समक्ष अनेक हरिजन महिलाओं द्वारा की गई शय की शिकायतों के बारे में अक्तूबर मास के प्रथम भाग में प्रकाशित हुए समाचारों की ओर दिलाया गया है, कि उनके गांव के कुछ समाज विरोधी तत्वों ने उनके साथ बलात्कार किया ।

(ख) यदि हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो उस जांच का ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या है; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उक्त बस्ती की हरिजन महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें कानून तथा व्यवस्था से सम्बन्धित हैं और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जांच की गई है।

(ग) और (घ): राज्य सरकार के अनुसार बांदा जिले के गोहनपुर्वा गांव की 10 हरिजन स्त्रियों और 11 पुरुषों ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट और अनुचित व्यवहार किए जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत की थी। जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा जांच की गई थी और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 और 354 के अधीन दो मामले दर्ज किए गए थे । दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तारियों के बाद गांव में डांट डपट अथवा तंग किए जाने का कोई मामला नहीं हुआ है ।

हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में प्रस्तावित पोत-निर्माण परियोजना

54. श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रस्तावित पोत निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का स्वरूप, क्षमता और कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसूची क्या है; और

(ग) इसे चालू करने के लिए किये गये विदेशी सहयोग का स्वरूप क्या है और वह कितना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं। हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एक शिपयार्ड की स्थापना के प्रश्न पर गहन रूप से अध्ययन करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। किन्तु रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन

55. श्री समर गुह :

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में 10 वर्षीय हाई स्कूल, दो वर्षीय जूनियर कालेज तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस नई योजना को सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) यह नई योजना कब लागू की जायेगी; और

(घ) शिक्षा संस्थाओं के ढांचे में तथा पाठ्यचरयाओं में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां। सिफारिश किया हुआ ढांचा 10+2+3 है, अर्थात् 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम और उसके बाद 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम ।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जिस में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, राज्य शिक्षा मंत्रियों के स्तर पर उपर्युक्त ढांचे को अनुमोदित किया है। ऐसी आशा की जाती है कि शैक्षिक विकास की अपनी योजनाओं को बनाते समय इस निर्णय का अनुसमर्थन करेंगे ।

(ग) क्योंकि शिक्षा राज्य विषय है, इसलिए नए ढांचे को अपनाने का निर्णय करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और केरल सरकारों से प्रस्तावित पद्धति को पहले ही से लागू कर दिया है।

(घ) सारे देश में एक समान पद्धति को कार्यान्वित करने हेतु, व्यावहारिक कदम का सुझाव देने के लिए, भारत सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद भी नई पद्धति के आधार पर पाठ्यचर्या तैयार कर रही है।

केरल को सहायता देने के लिये केन्द्रीय योजना

56. श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि केरल में गैर सरकारी कालेजों के विवाद को हल करने के लिये प्रधान मंत्री की सलाह मान कर, राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ अपने ऊपर लिया है; और

(ख) इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य सरकार भारी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है, क्या केन्द्र सरकार ने इस संकट में केरल सरकार को सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख): केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित अनुदानों के लिए प्रार्थना की है :—

(1) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान दो नए कालेजों से संबंधित व्यय	26,30,000
(2) पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए दो नए कालेजों से संबंधित पूंजीगत व्यय	50,00,000
(3) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान चार जूनियर कालेजों के उन्नयन से संबंधित व्यय	8,27,000
(4) प्राइवेट कालेजों को पुस्तकालय अनुदान प्रयोगशाला अनुदान तथा अनुरक्षण अनुदान और इन कालेजों के अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ को मासिक आधार पर 1972-73 के दौरान किया गया राज्य कोषों से सीधा भुगतान	4,00,00,000
जोड़	4,84,57,000

विश्वविद्यालय शिक्षा सहित शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण पहले तीन मद राज्य सरकार के आम दायित्व के अंतर्गत आते हैं। चौथे मद से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करना

57. श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :
श्री आर बालकृष्ण पिल्ले :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री कोचीन में भाड़ा जांच ब्यूरो का कार्यालय स्थापित करने के बारे में 28 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3743 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय अब कर लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

केरल में नारियल के लिए 'पैकेज प्रोग्राम' की स्वीकृति

58. श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत नारियल के लिए 'पैकेज प्रोग्राम' की योजना को केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक स्वीकार की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) आशा है चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में यह योजना मंजूर हो जाएगी ।

केरल में 'पाम आयल' सम्बन्धी योजना को केन्द्रीय सैक्टर परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित करना

59. श्री इब्राहीम सुलेमान सैट :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **कृषि** मंत्री केरल में 'पाम आयल' सम्बन्धी योजना की क्रियान्विति के बारे में 7 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना को केन्द्रीय सैक्टर परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

फसल बीमा योजना

60. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री पी० वैंकटासुब्बया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख): भारतीय जीवन बीमा निगम गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के सहयोग से गुजरात में संकर-4 कपास के लिये स्वैच्छिक फसल बीमे की एक मार्गदर्शी प्रायोगिक योजना को क्रियान्वित कर रहा है। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने निर्णय किया है कि सामान्य बीमा निगम की स्थापना होने पर उससे अनुरोध किया जायेगा कि वह गुजरात के कुछ चुनींदा क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों पर किये गये प्रयोगों के आधार पर मार्गदर्शी प्रयोगों को क्रियान्वित करें।

चीनी के उत्पादन और गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में कमी

61. श्री एस० ए० मुरुयगन्तम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में कमी हुई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप चीनी के उत्पदान में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में कमी के परिणामस्वरूप गत पांच वर्षों में चीनी के उत्पादन में कितनी कमी दर्ज की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में वर्ष 1967-68 की तुलना में 1968-69 के दौरान गन्ने की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्षेत्र में कमी हुई किन्तु वर्ष 1972-73 में क्षेत्र में फिर कुछ वृद्धि हुई। सम्बन्धित अनुमान निम्न प्रकार है :—

	(दस लाख हैक्टर) गन्ने की खेती के क्षेत्र के अखिल भारतीय अनुमान
1967-68	2.05
1968-69	2.53
1969-70	2.75
1970-71	2.62
1971-72	2.42
अनुमान के अनुसार वर्ष 1971-72 की तुलना में 1972-73 में वृद्धि	4.7 प्रतिशत

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान चीनी के उत्पदान में वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1970-71 व 1971-72 की अवधि में कमी हुई। गन्ने की पिराई अभी शुरू ही हुई है; अतः वर्ष 1972-73 के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1967-68 से 1971-72 तक की अवधि में उत्पादन निम्न प्रकार था।

भारत में चीनी का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन)
1967-68	22.48
1968-69	35.59
1969-70	42.62
1970-71	37.40
1971-72	31.10

Setting up of Farms by State Farms Corporation in Various States

62. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether State Farm Corporation propose to set up some Farms in the various States;

(b) if so, the names of the places where the said farms would be located and the expenditure to be incurred on setting up each of the farms as well as annual expenditure thereon; and

(c) the main purpose of setting up such farms ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal were invited from Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Nagaland and Gujarat Governments.

Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar and Nagaland Governments have indicated certain sites and some more details regarding water availability, terrain etc. are to be received from these State Govts. The expert Committee have visited and approved sites in Purnea District in Bihar and Khammam in Andhra Pradesh. The expenditure for setting up of these farms will very depending upon the extent of area, level, water and other irrigation facilities. The project report for Khammam and Purnea, State Farms envisaged a capital expenditure of Rs. 116 lacs and Rs. 52.50 lacs respectively.

(c) The main purpose of the farms is to make the green revolution a success by the production and supply of high yielding varieties of seeds for production of food-grains, fibre crops, plantation crops, oil seeds, vegetables etc. To ensure economic viability of the farms production of commercial crops is also undertaken. With a view to helping small farmers around the farms, the work of land development on the lands of private parties on payment is also undertaken by the farms.

Jawar sent to Bhamua Sub-Division from F.C.I. Mokhameh, Missing

63. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 17 wagons of jawar were sent to Bhamua Sub-division in September, 1972 from the warehouse of the Food Corporation of India at Mokameh;

(b) whether out of these 17 wagons only empty bags were found in two wagons; and

(c) if so, the enquiry made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a): 20 wagons of maize were rebooked from the Food Corporation of India depot at Mokameh to S.D.O. Bhabua on 7-9-1972.

(b) Out of the above mentioned 20 wagons, one wagon has not yet reached Bhabua station. In two other wagons, each containing 250 bags of maize, 8 bags were found short and 50 bags were empty.

(c) The Bihar State Government has lodged claims for compensation with the Railways.

Visit of Education Minister to Bangladesh

64. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether he had undertaken a three-day tour of Bangladesh during the first week of October ;

(b) whether any agreement on cooperation in the field of education has been entered into between him and the Government of Bangladesh; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : During the discussions, action taken on the decisions reached at the last meeting of the Education Ministers of the two countries held in New Delhi on 10th June, 1972 was reviewed and it was agreed to cooperate in matters of educational reorganisation, provision of educational facilities, scientific and technological collaboration, art & culture, sports and assistance to 'Kavi Guru Museums' at Shelaidah and Shajadpur.

Loss due to Drought and Assistance to States

65. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the loss suffered by the country on account of droughts this year ; and

(b) the number of persons killed and the damage caused to crops as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Firm estimates of loss of kharif crops due to drought are not yet available. However, as a result of improvement in weather later in the season, the crop position in some of the States has considerably improved.

(b) No loss of human lives on account of drought has been reported by the State Governments.

चौथी योजना के अन्त तक तिलहनों के उत्पादन लक्ष्य में कमी

66. **श्री सरजू पांडे :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्त तक तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य से 10 लाख मैट्रिक टन कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट में और क्या बातें कही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक तिलहनों का कितना उत्पदान होगा । फिर भी, पांचवीं योजना में तिलहनों के विकास के लिये प्रस्ताव

तैयार करने के लिये सरकारद्वारा नियुक्त तिलहन विकास अध्ययन दल ने अस्थायी रूप से अनुमान लगाया है कि 105 लाख मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में चौथी योजना के अन्त तक तिलहनों का उत्पादन 94 से 95 लाख मीटरी टन तक हो सकता है।

(ख) तिलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिये पहले से अपनाई गई सघन खेती की विधियों को जारी रखने के साथ साथ, तिलहन और विशेषकर मूंगफली की खेती के क्षेत्र में सिचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। सूरजमुखी और सोयाबीन आदि गैर परम्परागत तिलहनों की खेती का विकास करने के लिये सरकार ने विशेष कर 1971-72 से कुछ उपाय किये हैं। इसके अतिरिक्त बिनौला, चावल की भूसी और वृक्ष मूलक लघु तिलहन आदि के सम्बन्ध में तेल के कुछ ऐसे सम्भाव्य स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये ऐसे व्यावहारिक और प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से काम में नहीं लाया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न स्रोतों से तिलहन/तेल के आयात को भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक द्वारा तैयार किये गये "तिलहन सम्बन्धी अर्थव्यवस्था में सूरजमुखी का स्थान" नामक एक लेख में तिलहनों के उत्पदान में कमी होने के निम्नलिखित कारण बनाये गये हैं :—

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया गया था जिसके कारण परियोजनायें उत्पदान पर कोई प्रभाव डालने की बजाय किसानों में खेती की विकसित तकनीकी के लिये जागृति उत्पन्न करने की साधन मात्र बन कर रह गई।

(2) विकसित किस्म के शुद्ध बीजों की आपूर्ति के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

(3) मूंगफली जैसी फसलों की कमी उपज के कारण योजना काल के मध्य में उपलब्ध होने वाली नई किस्में किसानों तक न पहुंच सकी।

(4) सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मूंगफली के विषय में तैयार की गई उत्पादन टैक्नालौजी को अभी तक बड़े पैमाने पर व्यवहार रूप में अपनाया जाना है।

(5) तिलहनों की खेती के अधिकांश क्षेत्रों की सिचाई वर्षा पर आश्रित है और घटिया किस्म के बीज का उपयोग होने से सामान्य तौर पर खेत में कम पौधे उगते हैं ; और

(6) बुवाई से पूर्व बीज का उपचार करने के लिये वनस्पति लक्षण कार्यक्रम तथा खेत में फसल वृद्धि की आरम्भिक अवस्था में किये जाने वाले रक्षण उपाय पर्याप्त नहीं है।

महानिदेशक के नोट में निम्नलिखित अन्य बातों का भी उल्लेख है :

(क) तिलहन की फसलों और विशेषकर मूंगफली और अरंडी के लिये बीज उत्पादन के एक सक्रिय कार्यक्रम द्वारा पांचवीं योजना के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) विकसित टैक्नालोजी को शीघ्र ही व्यवहार में लाना पड़ेगा।

(ग) देश में वनस्पति तेल के संसाधनों को बहुविध करने की आवश्यकता है जिससे कि कुल उत्पादन को मूंगफली के निष्पादन से विलग किया जा सके।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, नोट में उत्पादन और आवश्यकता के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिये भारत में कृषि फसल के रूप में सूरजमुखी की सम्भाव्यताओं और आर्थिक व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। नोट में पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 8.10 लाख हैक्टर क्षेत्र में इस फसल की खेती करने के लक्ष्य का सुझाव दिया गया है।

इन्द्रपुरी, नई दिल्ली, में दिल्ली दुग्ध योजना क कर्मचारियों द्वारा दूध का टोकन जब्त करना

67. श्री सरजू पाण्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली दुग्ध योजना के एक टोकनधारी की उस शिकायत की ओर दिलाया गया है जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1972 के 'स्टेट्समैन' नई दिल्ली में प्रकाशित हुई है और जिसमें यह बताया गया है कि इन्द्रपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने बिना किसी उचित कारण के दूध का टोकन अचानक जब्त कर लिया;

(ख) यह शिकायत दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) टोकन जब्त करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग): सम्बन्धित व्यक्ति ने, जिसका नाम प्रतीक्षा सूची में था, इस घोषणा के आधार पर कि उस विशेष पारी के लिये उनके और उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के किसी सदस्य के पास दूध का कोई टोकन नहीं हैं अतिरिक्त दूध का टोकन प्राप्त किया था। दुग्ध डिपो संख्या 807 के कार्य की आकस्मिक जांच करने से पता चला कि कुछ व्यक्तियों के पास एक ही नाम अथवा राशन कार्ड में लिखे परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर एक से अधिक टोकन बने हुए हैं।

इन सब ग्राहकों को केवल एक टोकन रखने की अनुमति है। पहला टोकन उनके पास रहने दिया गया और बाद के टोकन रद्द करने के लिए एकत्रित कर लिये गये। फिर भी, यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान टोकन के कोटे से अधिक दूध चाहिए तो वह आवेदन देकर अपना नाम रजिस्टर्ड करवा कर प्रतीक्षा सूची में लिखवा सकता है। ग्राहक उसी कार्ड पर अतिरिक्त कोटा प्राप्त कर सकता है। ग्राहकों द्वारा किसी नियमित ढंग से प्राप्त किये गये बाद के टोकन रद्द करने के लिये जब्त कर लिये गये हैं परन्तु इन ग्राहकों की अतिरिक्त मांग को रजिस्टर कर लिया गया है और उन्हें अपनी बारी पर दूध का अतिरिक्त कोटा मिल जायेगा।

कृषि नीतियों क बारे म राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा बनाया गया कार्यकारी दल

69. श्री वी० मायावन :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भविष्य में देश की कृषि नीतियों के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय, राज्यों और गांवों के स्तरों पर किसान संगठन बनाने के लिये योजनायें तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ग) क्या ये संगठन गैर राजनीतिक होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): राष्ट्रीय कृषि आयोग ने हाल ही में कृषकों और अन्य देहाती संगठनों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। यह दल मौजूदा संगठनों और आगे के लिये राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आवश्यक संगठनों की किस्म, उनके मुख्य ध्येय और कार्य, विभिन्न स्तरों पर उनके सम्बन्ध, जिसमें सदस्यता की किस्में भी शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के विकास और कल्याण कार्य जिनमें वे लगे हुए हैं, आदि का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

आयोग उसकी सिफारिशों पर विचार करेगा और भारत सरकार को दी जाने वाली मुख्य रिपोर्ट में उसे समाविष्ट कर दिया जाएगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम से बड़े किसानों को लाभ

70. श्री वी० मायावन :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किये गये पूंजी निवेश से बड़े किसानों को लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले 250 करोड़ रुपये के ऋण में से 60 प्रतिशत से अधिक राशि उन क्षेत्रों के लिए है, जहां बड़े किसानों का बहुमत है;

(ग) कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम उन सब योजनाओं के लिए धनराशि देता है जिनके अन्तर्गत छोटे कृषकों समेत वे समस्त कृषक लाभान्वित हो सकते हैं जो अपनी बढ़ने वाली आय से ऋण चुका सकें।

(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम ने 30 जून, 1972 तक 404.75 करोड़ रुपये की लागत की 711 योजनाएं स्वीकृत की थी। इसमें से 350.79 करोड़ रुपये के लिए निगम ने वचन दिया हुआ था। इसकी तुलना में उपरोक्त तारीख तक निगम से 124.69 करोड़ रुपये लिये गए। विभिन्न आकार की जोतों के राज्यवार वितरण की स्थिति संलग्न विवरण (विवरण I) में बताई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3636/72]** निगम ने छोटे कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए शर्तों को उदार बनाने का प्रयत्न किया है। निगम लघु कृषक विकास एजेन्सी के क्षेत्रों में शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 75 से 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण (विवरण II) में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 3636/72]**

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिथि नियंत्रण आदेश का क्रियान्वित किया जाना

71. श्री वी० मायावन :
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से कहा है कि वे अतिथि नियन्त्रण आदेश को सख्ती से लागू करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई आदर्श आदेश परिचालित किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जारी किये गये इस आदर्श आदेश की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): जी हां।

(ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए भेजे गए आदर्श अतिथि नियन्त्रण आदेश के अनुसार अनाजों तथा दालों से बने खाद्य पदार्थों और सभी मिठाइयां परोसने के लिए व्यक्तियों (मेजबान या मेजबानों सहित) की संख्या साधारण पार्टियों में 25 और शादियों तथा अन्तिम संस्कार के समय 100 तक प्रतिबन्धित कर दी गई है। ये प्रतिबन्ध निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं :—

(1) विदेशी राजनयिक के मुख्यालयों या सरकारी मिशनों में पार्टियां आदि।

(2) आवासीय स्थापनों, संस्थागत स्थापनों या खान पान स्थापनों के मालिक आदि जो कि अपने नियमित कारोबार के दौरान उपभोक्ताओं या आवासियों को किसी पार्टी, मनोरंजन आदि से सम्बंधित न होकर खाद्यान्न परोसते हैं, और

(3) किसी मन्दिर, मसजिद, गुरूद्वारा, चर्च या धार्मिक पूजा स्थान पर मान्य धार्मिक संस्कार के रूप में 'भोग' या 'प्रसाद' के रूप में निषिद्ध खाद्य पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों का वितरण।

राज्य सरकारें आदि लिखित रूप में बताए गए कारणों के लिए कुछेक मामलों में छूट दे सकती हैं। वे परिसर में दाखिल होने और छानबीन करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर सकती हैं और वे उन वस्तुओं को पकड़ सकते हैं जिनके बारे में आदेश का उल्लंघन होना पाया गया है/हो रहा है।

चीनी के विनियंत्रण से उसके मूल्य पर प्रभाव

72. श्री वी० मायावन :

श्री सी०टी० दण्डपाणि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का विनियन्त्रण करने सम्बन्धी नीति सफल नहीं रही है;

(ख) क्या चीनी की उक्त विनियन्त्रण सम्बन्धी नीति से व्यापारियों को चीनी की कमी की स्थिति उत्पन्न करने में प्रोत्साहन मिला है और जिससे चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार चीनी पर पूर्ण नियन्त्रण करने के बारे में विचार कर रही है जिससे चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : 1969-70 में रिकार्ड उत्पादन के संदर्भ में जबकि खुले बाजार में चीनी के मूल्य बहुत गिर गए थे और कुछेक क्षेत्रों में लेवी मूल्यों से भी नीचे चले गए थे, सरकार ने चीनी के मूल्य और उसके वितरण से नियन्त्रण उठा लिया था। तथापि, बाद में 1971-72 मौसम में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने और उत्तर भारत में बाढ़ों तथा दक्षिणी क्षेत्र के कुछ भागों में लम्बे सूखे के कारण गन्ने की खड़ी फसल को क्षति पहुंचने से चीनी के मूल्य बढ़ने शुरू हो गए थे।

(ग) सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के दीर्घ कालिक उपाय के रूप में चीनी की आंशिक नियन्त्रण की नीति को जारी रखने का निश्चय किया है। इससे अन्ततः खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट आएगी।

Trips missed by D.T.C. Buses during last three years

73. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the number of trips missed by the D.T.C., buses plying in Delhi during the last three years, the main reasons therefor and the routes on which maximum and minimum number of trips were missed, separately ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : The number of trips missed during the last three years are given below :—

1969-70	10,57,405
1970-71	14,75,695
1971-72	13,60,422

2. The main reasons for the missing of the trips are :

i. Over-aged fleet.

ii. Late outshedding from depots on account of minor repairs.

iii. Breakdowns on the road.

iv. Late running on account of congestion and traffic hold-ups.

The compilation of the information required for the last three years will take a very long time, however, the details for the three months August, September and October, 1972, are being worked out and will be laid on the Table of the Sabha, when ready.

D.T.C. Buses introduced on new Routes

74. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the remedial steps taken by the Delhi Transport Corporation during the last one year; and

(b) the new routes on which buses were introduced during the last year and the number of trips made by them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) After the formation of the Delhi Transport Corporation with effect from 3rd November, 1971, the following improvements have been effected in the bus services in the capital :—

I. (i) The daily average number of buses on road during November, 1971 to October, 1972 increased to 1203 as compared to 1121 during the period from November, 1970 to October, 1971.

(ii) Nine new routes (six city and three rural) have been introduced. The details of these routes are given in reply to part (b).

(iii) Route Guide Boards and Time Table Boards have been installed at important loading and unloading points *e.g.* Central Secretariat, Rakab Ganj Gurdwara, Regal, Kashmere Gate, Dhaula Kuan etc.

(iv) 591 special trips are being operated for students between University/Colleges and various localities of the city as against 408 in May, 1972 and 515 in July, 1972.

(v) 136 return trips have been provided from the Willingdon & Safdarjang Hospitals in the evening for the convenience of visitors.

II. The total revenue of the Corporation increased to Rs. 933.65 lakhs during the period from Nov., 1971 to Oct., 1972 as compared to Rs. 781.75 lakhs during the period from Nov., 1970 to October, 1971.

III. In order to augment the services of the Corporation, orders were placed last year for 294 new buses (including 30 mini buses). Of these, 268 had been received upto 31-10-72. In addition, an order for another 425 new buses has been placed, out of which 250 are expected to be received during the current financial year and the remaining 175 in the next year.

IV. Steps have been taken to convert the sub-depot at Bawana into a full-fledged depot. Construction of two new depots at Shahdara is also under way. Negotiations with D.D.A. for a piece of land are also going on for construction of a depot at Wazirpur. Land at Najafgarh has also been acquired for construction of a 100-bus depot.

(b) The details of the new routes introduced and the daily number of scheduled trips on them are given below :—

Rt. No.	Description of Route	Scheduled trips per day
A. CITY		
58A	Suraj Parbat—Regal	32
56E	Hamdard Drug Instt.—Ajmeri Gate	24
11-H	Vivek Vihar—Connaught Circus/C. Sectt.	29
14-B	Vasant Vihar—Connaught Circus	28
1-H	Kingsway Camp—Wazirpur Village	30
1-H Spl.	Balak Ram Hospital—Wazirpur Village	62
B. RURAL		
41-H	Mukhmelpur—Fatehpuri	12
1-G	Rithala—Fatehpuri	12
49-B	Mehrauli—Aya Nagar	24

Discussions Re : Transport Problem in Delhi

75. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Minister of State in the Ministry of Transport had discussions with the students and their Unions recently in regard to the transport problem in Delhi ;

(b) if so, whether such discussions were held with other sections of society such as businessmen, leaders of Government employees or their Unions;

(c) if so, the broad outlines thereof; and

(d) if not, the reasons for not having discussions with other sections of Society ?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : Meetings were held with the Members of Parliament, Metropolitan Council Members and representatives from rural areas. Steps to improve the bus services were discussed at these meetings. Discussions will be held with other sections also, as and when considered necessary.

शिक्षा संस्थाओं का वाणिज्यीकरण समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन

76. श्री वेकारिया :

श्री डी०पी० जदेजा:

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओं का वाणिज्यीकरण समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी कोई ज्ञापन गुजरात के माध्यमिक और विश्वविद्यालय अध्यापकों से प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) जी हां।

(ख) गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवाशर्तों को सुरक्षित करने के लिए, गुजरात विधान सभा के पिछले सत्र में एक माध्यमिक शिक्षा विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक को प्रवरण समिति को सुपुर्द कर दिया गया था, जो 30 नवम्बर, 1972 को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

जहां तक गैर सरकारी कालेज अध्यापकों का सम्बन्ध है, गुजरात विश्वविद्यालय ने एक संकल्प पारित किया था जिस में गैर सरकारी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज बनाने के लिये गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से एक अधिसूचना जारी करने के हेतु अनुरोध किया था। जबकि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली किसी प्रकार की कार्रवाई की रोकथाम के लिए गैर सरकारी कालेजों के प्रबन्धकों ने गैर सरकारी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए गुजरात हाई कोर्ट में एक विशेष दीवानी अर्जी दायर कर दी। क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त

77. श्री वेकारिया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम सीमा लागू होने के पश्चात् अधिग्रहीत की जाने वाली अतिरिक्त भूमि के लिए मुआवजे के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) जी हां। तारीख 23 जुलाई, 1972 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के आधार पर भूमि की अधिकतम सीमा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में मार्ग दर्शी सिद्धांत बनाए गए थे जिसमें फालतू भूमि के लिये मुआवज़े का भुगतान भी सम्मिलित था।

(ख) (i) फालतू भूमि के लिए दिया जाने वाला मुआवजा सम्पत्ति के बाजार मूल्य से काफी कम निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कि नए आबंटक, जो मुख्यत: भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं, इसका भुगतान कर सकें।

(ii) मुआवजा क्रमिक वर्गों में, और विशेषकर भूमि के लिए दिए जाने वाले लगान के अनेक गुणजों में, निर्धारित किया जा सकता है।

(iii) मुआवजा देने की योजना को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिये जिससे केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर कोई वित्तीय भार न पड़े।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

78. श्री वेकारिया :

श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में व्यापक कानून बनाने के लिए किन किन राज्यों ने संसद को अधिकार दे दिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०डी०पी०चट्टोपाध्याय) : (क) निम्नलिखित राज्य इस विषय पर एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिये सहमत हो चुके हैं:—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) गुजरात
(4) हरियाणा
(5) हिमाचल प्रदेश
(6) केरल
(7) महाराष्ट्र
(8) उड़ीसा
(9) पंजाब
(10) राजस्थान
(11) त्रिपुरा
(12) उत्तर प्रदेश
(13) पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत अपनी अपनी राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां भेजी हैं जिस में उन्होंने संसद को कानून बनाने का प्राधिकार दिया है :—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) हरियाणा
(3) गुजरात
(4) हिमाचल प्रदेश
(5) महाराष्ट्र
(6) उड़ीसा
(7) पंजाब
(8) पश्चिम बंगाल

(ख) संसद् के वर्तमान अधिवेशन में विधेयक पेश करने की कार्यवाही की जा रही है।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अनाज के वितरण की व्यवस्था

79. श्री पम्पन गौंडा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अनाज का कम भंडार अथवा धन की कमी उन क्षेत्रों की मुख्य समस्या नहीं है बल्कि मुख्य समस्या यह है कि वहां विद्यमान सरकारी वितरण व्यवस्था जरूरत मन्द लोगों को उनके लिए उचित मूल्यों पर अनाज नहीं दे पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख) : केन्द्रीय तथा राज्य सरकार देश में सूखे की स्थिति के बारे में बराबर निगरानी रखती हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया गया है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार करें और उसे सुदृढ़ करें तथा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करें ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न मिल सके। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या अगस्त में लगभग 1,25,000 से बढ़कर अक्तूबर, 1972 के अन्त में लगभग 1,58,000 हो गई थी।

प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय निर्देश

80. श्री पम्पन गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिवृष्टि के कारण जिन लोगों को विशेषकर मैसूर राज्य में नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें भूमि सुधार और तकावी ऋण देने के बारे में भारत सरकार ने राज्यों को निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख): जी नहीं। अतिवृष्टि अथवा किसी प्राकृतिक विपत्ति से राहत की व्यवस्था करना प्रमुखता राज्यों का उत्तरदायित्व है। यदि राहत तथा पुनर्वास आदि से सम्बन्धित व्यय की व्यवस्था करना, राज्य सरकारों के साधनों से सम्भव न हो तो वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को कहते हैं। तथापि, कृषि मंत्रालय उर्वरक, बीज तथा कीटनाशी औषधियों की खरीद तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों को तकावी सहित अल्पावधि ऋण सहायता प्रदान कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मैसूर सरकार को आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.00 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया है।

उड़ीसा में रूरूबान और नारायणा पटना ब्लाकों में जनजातियों की दशा का अध्ययन

81. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान ने उड़ीसा के रूरूबान और नारायणा पटना ब्लाकों में जनजातियों की दशा का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) अध्ययन से पता लगी दशा में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मूल्यांकनात्मक अध्ययन की टिप्पणियां अनुबन्ध में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3637/72]**

(ग) उत्तर में बिहार से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा को अस्थायी रूप में दो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

सूखे की स्थिति और इस के लिए केन्द्रीय सहायता

82. श्री शिवचन्द्र लाल सक्सेना :

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में, अलग अलग, किन किन राज्यों में सूखा पड़ा तथा अन्य दैवी विपदाएं आईं;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में इनका कितना प्रभाव पड़ा और वहां कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(ग) विभिन्न राहत कार्यों पर प्रत्येक राज्य ने कितना धन (i) अपने राजस्व में से, (ii) केन्द्रीय सहायता में से 31 अक्तूबर, 1972 तक या इससे निकटतम सम्भव तिथि तक खर्च किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न दैवी विपदाओं से प्रभावित राज्यों और 1972-73 में अब तक सूखे से प्रभावित राज्यों को बताने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3038/72]**

(ख) विभिन्न दैवी विपदाओं के कारण फसल और सम्पत्ति को हुई क्षति के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बहुत से मामलों में 1971-72 और 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अब तक किए गए खर्च के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर अपनाई गई खर्च की सीमा और वर्ष 1971-72 और 1972-73 में दी गई सहायता को बताने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3638/72]**

31-10-72 को गन्ने की बकाया देय राशि

83. श्री शिब्बन लाल सक्सेना:

श्री डी० के० पण्डा:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1972 या इससे निकटतम सम्भव तारीख को प्रत्येक राज्य में गन्ने के मूल्य के रूप में कितनी कितनी देय राशि बकाया थी; और

(ख) भीषण प्राकृतिक विपदाओं के इस वर्ष में इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1971-72 मौसम के दौरान खरीदे गए गन्ने का कुल देय मूल्य, दिया गया मूल्य, बकाया देय तथा पिछले मौसमों में 30-9-72 को गन्ने के मूल्य के बकायों की राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3639/72]**

(ख) सरकार द्वारा बकायों को समाप्त करने के लिए उठाये गए निम्नलिखित पगों से अच्छे परिणाम निकले हैं और ये इस वर्ष के दौरान भी उठाए जाते रहेंगे :—

(1) राज्य सरकारों को समय समय पर यह परामर्श दिया जाता है कि वे कारखानों द्वारा गन्ने के बकायों का शीघ्र भुगतान करवाएं और चूककर्त्ता कारखानों के विरूद्ध, आवश्यकता पड़ने पर उनका चालान करने सहित कड़े उपाय करें ।

(2) जिन राज्य सरकारों के कानून में गन्ने के मूल्य को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं है उनको परामर्श देना कि वे ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करें ।

(3) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारत के रिजर्व बैंक के निर्देशों के बारे में अवगत कराते रहना कि वे लेखे अलग अलग रखें ताकि चीनी कारखानों को चीनी के स्टाक के प्रति दिए गए अग्रिमों के पर्याप्त भाग को गन्ना उत्पादकों के गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए रखा जा सके ।

सिल्वर जुबली टी०बी० अस्पताल, दिल्ली

84 डा० जी०एस० मेलकोटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्वर जुबली टी० बी० अस्पताल, दिल्ली के स्टोर में औषधियां प्रयोग होने की अन्तिम तिथि बीत जाने के कारण बेकार हो गई है;

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच-रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): जी हां । म्युनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रारम्भिक जांच पड़ताल की थी । अब दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को दिये जाने वाले सवारी भत्ते में पुनरीक्षण की मांग

85. डा० जी० एस० मेलकोटे:
श्री पी० वेंकटासुब्बया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों ने मांग की है कि उनके सवारी भत्ते का पुनरीक्षण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय

86. डा० श्री० एस० मेलकोटे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में प्राय: पर्याप्त उपकरण और विशेष औषधियां नहीं होती हैं और उनमें भारी भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में साज-सामान पर्याप्त मात्रा में है । कुछ औषधालयों में अधिक कार्यभार वाले घण्टों में तथा उन महीनों (जुलाई, अक्तूबर) में जब आमतौर पर रोग अधिक फैल जाते हैं भीड़-भाड़ हो जाती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जैसे बड़े संगठन में यह भी संभव है कि किसी किसी समय मैडिकल स्टोर डिपो में कुछ विशेष औषधियां उपलब्ध न हों ।

(ख) भीड़-भाड़ की समस्या को हल करने के लिये 1973-74 में अधिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । औषधालयों में विशेष औषधियां उपलब्ध न होने की स्थिति में उनकी पूर्ति के लिये 6 कैमिस्टों की नियुक्ति करके पर्याप्त वैकल्पिक प्रबन्ध कर दिये गये हैं । यदि हितग्राहियों को दवा खरीदने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, तो कैमिस्टों द्वारा उन्हें दवा की रकम की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रि-मैडीकल पाठ्यक्रम का समाप्त किया जाना

87. डा० जी० एस० मेलकोटे:
श्री राम सहाय पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रि-मेडिकल पाठ्यक्रम को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले की मुख्य समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग): दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रि-मेडिकल पाठ्यक्रम एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के साथ जुड़ें

हुए कोर्स के रूप में मेडिकल कालेजों में न चलाकर विज्ञान कालेजों में चलाया जाता है। एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या और प्रि-मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिलों की संख्या का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इस पाठ्यक्रम का "प्रि-मेडिकल" नाम उन छात्रों में, जो इसमें प्रवेश पाते हैं यह गलत फहमी पैदा कर देता है कि उनका आगे चलकर मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाना निश्चित है। अतः जब वे प्रि-मेडिकल परीक्षा में अच्छे नम्बरों से पास हो जाते हैं और इस पर भी उन्हें एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखिला नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। इस असंगति के कारण को दूर करने के लिए सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को यह सुझाव दिया था कि प्रि-मेडिकल कोर्स का नाम बदलकर बी० एस० सी० (आनर्ज) पार्ट I कोर्स रख दिया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद् ने जुलाई, 1973 से प्रि-मेडिकल पाठ्यक्रम को समाप्त करके उसके स्थान पर बी०एस०सी० (सामान्य)/बी०एस०सी०/(आनर्ज) का एक मिश्रित पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। ताकि इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों की आधारभूत विज्ञान सम्बन्धी विषयों और दूसरे वर्ष में केवल विशिष्ट विषयों को पढ़ाया जा सके। अकादमी परिषद् ने आगे यह भी निर्णय किया है कि इस मिश्रित बी०एस०सी० (सामान्य)/बी०एस०सी० (आनर्ज) पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या, विषय सामग्री आदि सम्बन्धी प्रस्तावों पर तदनन्तर विचार किया जाएगा ।

नेत्रहीनों की संख्या

88. डा० जी० एस मेलकोटे: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े देशों की तुलना में हमारे देश में नेत्रहीनों की संख्या सब से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं नितान्त अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए नये चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० बी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां ।

(ख) भारत में रोहे और चेचक अंधेपन के मुख्य कारण हैं, जो बड़े देशों में विद्यमान नहीं हैं ।

(ग) वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं बहुत बढ़िया नहीं समझी जाती हैं। फिर भी, देश के अधिकांश जिला अस्पतालों और सभी मेडिकल कालेजों में नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(घ) नेत्र विशेषज्ञों/क्लिनिकों की संख्या प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ रही है। साथ ही राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम और रोहे नियंत्रण कार्यक्रम चल रहे हैं जिन्होंने अब तक स्थानिकमारी क्षेत्रों के क्रमशः 5223 और 900 ब्लाकों में अपना अपना काम पूरा कर लिया है ।

कोचीन शिपयार्ड परियोजना का पूरा होने में विलम्ब

89. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड परियोजना से सम्बन्धित सभी प्रमुख कार्य जैसे गोदी का निर्माण, हाल शाप, रेलवे साइडिंग और प्रशिक्षण शाप का निर्माण निर्धारित अवधि से काफी पीछे है;

(ख) क्या शिपयार्ड में लगाई जाने वाली क्रेनों के लिए अभी तक क्रयादेश नहीं दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विलम्ब के इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

[संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ग): निर्माण गोदी, हलशाप का निर्माण कार्य, रेलवे साईडिंग तथा ट्रेनिंग स्कूल शाप जैसे कुछ मुख्य कार्यों की प्रगति कुछ दृष्टि से कार्य क्रमानुसार नहीं हुई है। अपेक्षित प्रकार एवं इस्पाती खंडों की अनुपलब्धता तथा ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं की तकनीकी तौर से अस्वीकार्य और इस परिणामस्वरूप ऐसे निविदाओं को पुनः जारी करने की आवश्यकता जैसे कारण हलशाप के निर्माण

तथा निर्माण गोदी कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के लिये उत्तरदायी है। खंबों में अदृष्ट कठिनाइयों के कारण प्रशिक्षण स्कूल के नीचे का कार्य यथा संभावित नहीं हुआ है। रेलवे साईडिंग पर कार्य अभी तक शरू नहीं हुआ है। क्योंकि राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपेक्षित भूमि नहीं सौंपी गई थी। भूमि की शीघ्र ही उपलब्ध किये जाने की संभावना है।

(ख) कुल 52 क्रेनों में से 16 क्रेनों के लिए आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं। लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत की 5 मुख्य क्रेनों की विविधाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही आदेश दिये जाने की संभावना है।

(घ) कंपनी ने 2 करोड़ रुपये की लागत के चादरी लठ्ठे (शीट पाईलेज) क्रेन रेले टाई शेड उपस्कर आदि की प्राप्ति के लिए जापान को ही आदेश दे रखे हैं। कंपनी को सिविल कार्यों के लिए अत्यन्त आवश्यक लगभग 6000 टन के संरचनात्मक इस्पात एवं राउन्ड की आयात करने की अनुमति भी दी गई है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

90. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के उस दल ने, जिसे शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में सिफारिशों के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था, अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख): शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में सिफारिशों के अध्ययन के लिए मंत्रियों के दल में हुई चर्चा के आधार पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक को संसद् में इसके वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कोचीन पत्तन में तेल वाहक जहाजों के लिये घाट का स्थान

91. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन में तेलवाहक जहाजों के लिये घाट के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) विप्पीन में प्रस्तावित घाट के निर्माण के लिये पुनरीक्षित अनुमानों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने केरल के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है कि यह निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा, और यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) परामर्षदाताओं द्वारा जिस स्थान की मूल रूप से सिफारिश की गई थी, अनुपयुक्त पाया गया है। मामला सिंचाई एवं विद्युत मंत्री को भेजा गया था जिन्होंने आवश्यक जांच के पश्चात वालघाटी खाड़ी में वैकल्पिक स्थान का प्रस्ताव रखा है। इस वैकल्पिक प्रस्ताव पर सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है।

(ख) परामर्शदाताओं ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में उपरोक्त वैकल्पिक स्थान पर योजना की 34 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में निकर्षण की लागत कम करने की दृष्टि से उसी स्थान पर अध्ययन के लिये कुछ अन्य वैकल्पिक अभिन्यासों का सुझाव भी दिया था। इस पहलू तथा अनुमानों की लागतों की सिंचाई एवं विद्युत मंत्री द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने अब वालघाटी में वैकल्पिक स्थल के लिये लगभग 27.3 करोड़ रु० की निर्माण लागत का अनुमान लगाया है। लागत लगभग 25.8 करोड़ रु० होगी, जिसमें एर्नाकुलम को बालघाटी तथा वालघाटी को वास्लारपट से जोड़ने वाले दो सड़क पुलों की लागत जो कि लगभग 1.5 करोड़ रुपये है, शामिल नहीं है। यह विचार है कि यह लागत

वैध रूप से किसी अन्य लेखाशीर्ष में डाली जा सकती है क्योंकि इन पुलों की तेल पाईपलाइन ढोने के लिए आवश्यकता नहीं है। इस अनुमान की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

	रुपये करोड़ों में
(1) 80,000 डी० डब्लू० टी० के तेलवाही जहाजों के लिये आवश्यक चौड़ायी तथा गहराई के लिये पहुंच खाड़ी, भीतरी खाड़ी तथा घाट पर मुख्य निकर्षण एवं भूमिसुधार	13.9
(2) 100,000 डी० डब्लू० टी० तक के तेलवाही जहाजों को लेने के लिए तेल जेटी	1.8
(3) मौजूदा लाइन से जोड़ने हेतु वूस्टर सहित क्रूड आयल पाइपलाइन एवं उद्धार पद्धति	1.7
(4) पाइपलाइन के लिये सहायता	0.7
(5) निकर्षित माल को रखने के लिये रोड़ी सुधारक दीवार	0.7
(6) बन्दरगाह जलयान तथा दिक्चालन साधन	0.8
(7) भूमि अधिग्रहण प्रतिपूर्ति अग्निशमन प्रणाली, सड़कें भवन आदि	1.5
(8) अदृष्ट मद एवं आकस्मिक व्यय	1.6
(9) इंजीनियरी, पर्यवेक्षण तथा विभागीय प्रभार एवं पूर्व परियोजना व्यय	0.8
(10) वित्तीय प्रभार	2.3
	25.8

दूसरी वैकल्पिक योजना (पुराने स्थान में छोटी द्वीप योजना) जोकि पर्यावरण के विचार से अस्वीकार्य है, की लागत, सिंचाई एवं विद्युत मंत्री द्वारा पुनः मूल्यांकन करने पर लगभग 21.5 करोड़ रुपये पायी गई है। उन्होंने 4.3 करोड़ का अन्तर निम्नलिखित कारणों से उचित ठहराया है :—

(1) इस योजना के अंतर्गत उन द्वीपों में तथा उनके चहूं ओर बहुमूल्य भूमि का सुधार करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि लगभग 250 हैक्टेयर है, उपलब्ध हो जायेगा। बन्दरगाह कार्यों तथा सड़क आदि के लिये 100 हैक्टेयर भूमि घटाकर भी एर्नाकुलम में भूमि पर अत्यधिक दवाव कम करने के लिये 150 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी। प्रति हैक्टेयर भूमि की लागत प्रचलित मूल्य के अनुसार अनुमानतया 5 लाख रुपये है, जिससे, पत्तन के अपने कार्यों के लिए पर्याप्त भूमि छोड़ने के अतिरिक्त 150 हैक्टेयर से 7.5 करोड़ रुपये की आय होगी।

(2) एर्नाकुलम पश्चजल के मध्य में दायीं ओर कृत्रिम द्वीप बनाने से एर्नाकुलम पश्च जल की खूबसूरती तथा पर्यावरण खराब नहीं होगा।

(3) एर्नाकुलम के घनी आबादी वाले अग्रिम तटों से तेल घाट की दूरी काफी होगी जिससे आग का खतरा कम होगा यह भी अपने आप में विचारार्थ काफी सामग्री प्रदान करता है।

(4) मुख्य भूमि द्वीप से पुलों को जोड़कर उत्तर में वोलघाटी तथा वालारपट द्वीप क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय जनता की जो चिरकालीन अभिलाषा थी, वह पूरी हो जायेगी।

(ग) सिंचाई एवं विद्युत मंत्री ने उपरोक्त वोलघाटी द्वीप योजना को अंगीकार करने की पुरजोर सिफारिश की है। इस पर सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है और यह आशा है कि कार्य जितनी जल्दी हो सकेगा शुरू कर दिया जायेगा।

पश्चिमी तट पर छोट पत्तनों का विकास एवं विस्तार

92. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी तट पर छोटे पत्तनों के विकास एवं विस्तार की संभावना का पता लगाने के लिये जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो अजहीकल, तेल्लीचेरी, बेपुर और एलप्पी में इन पत्तनों के विकास की कितनी गुंजाइश है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित चार पत्तनों में से बेपुर पत्तन को केन्द्रीय प्रतायोजित योजना के अंतर्गत विकास के लिये चुना गया है। इस पत्तन के विकास का क्षेत्र, जैसा कि अब तैयार की गई योजना में निर्धारित किया गया है, 4.5 मीटर डुबाव तक के पोतों के लिए एक वाणिज्यिक बन्दरगाह है। शेष तीन पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी केरल सरकार की हैं। इन तीन पत्तनों का विकास क्षेत्र नीचे दिया गया हैं।

अजहीकल : शक्यता अध्ययन/यातायात सर्वेक्षण आदि करने के बाद राज्य सरकार का विश्वास है कि इस पत्तन का एक मध्यम आकार की बन्दरगाह के रूप में विकास किया जा सकता है जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और मध्यम आकार के माल वाहक जहाजों तथा सभी पाल जहाजों के लिए सभी मौसमों में सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

तिल्लीचेरी : केरल सरकार ने सूचित किया है कि निवेश और लाभ को दृष्टिकोण में रखते हुये, इस पत्तन का कोई बड़ा विकास करना शक्य नहीं समझा जाता।

अलेप्पी : केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि इस पत्तन को कोचीन का एक सहायक पत्तन बनाया जा सकता है। हाल ही में इस मामले के बारे में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से बात चीत की गई है। जिसके परिणामस्वरूप इस बात पर सहमति हो गई कि राज्य सरकार भारत सरकार के विचारार्थ एक स्पष्ट और स्वतः पूर्ण प्रस्ताव तैयार करेगी। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्यों द्वारा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेना

93. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को खाद्यान्न के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेने का निदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेने के लिए अब तक कितने राज्यों ने कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): भारत सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं और चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना नीति के रूप में मान लिया है। राज्य सरकारें ऐसे आवश्यक पग उठा रहीं है ताकि सरकारी एजेन्सियां खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण में प्रमुख भूमिका अदा कर सकें और जिससे विचौलियों को हटाया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

94. **श्री एम०एस० संजीवी राव :** क्या स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में 28 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना लागू करने के लिए सभी राज्यों से पुनरीक्षित योजनाएं प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय समिति ने पुनरीक्षित योजना की जांच कर ली है; और

(ग) उच्चस्तरीय समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख): 2 नवम्बर, 1972 को हैदराबाद में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और राज्यों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई थी। आमतौर पर यह महसूस किया गया कि विशेषकर एम० बी० बी० एस० डाक्टरों/स्वदेशी चिकित्सा पद्धति/मिश्रित पद्धति के चिकित्सकों/स्वास्थ्य सहायकों आदि की भरती करने के मामले में राज्यों को छूट देने के लिए इस योजना को और अधिक लचीला बनाया जाए। इस चर्चा को ध्यान में रखकर इस योजना को अब संशोधित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

95. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक परियोजनायें आरम्भ करने के लिए प्रत्येक राज्य में चुने गए जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) जिलों के चयन का आधार क्या है; और

(ग) योजनाओं में राज्य कितना भाग ले रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन प्रायोगिक परियोजना को चालू करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिलों का चयन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है ।

(ख) जिलों आदि के चयन के लिए कोई निर्देशिकाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य में उपलब्ध स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिलों का चयन करने की आशा की जाती है ।

(ग) इस योजना को कारगर ढंग तथा तेजी से चलाने के लिए योजना आयोग से यह सिफारिश करने का विचार है कि कम से कम प्रथम 10 वर्षों में इस योजना को शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जाए । इसके बाद इसे राज्य सरकारों के वचनबद्ध खर्च के रूप में चलाये जाने की संभावनाओं पर पुन: विचार किया जाए ।

दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने के मामले में दलालों को हटाया जाना

96. श्री० एम० एस० संजीवी राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने में ठेकेदारों तथा दलालों को हटाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे राजधानी में उपभोक्ताओं के लिये दूध के मूल्यों में कितनी कमी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ठेकेदारों तथा दलालों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को कम करने और प्राय: ऐसी प्रणाली से फैलने वाले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई के लिए दूध उत्पादकों की सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन देने के लिये कदम उठाये हैं ।

(ख) निम्नलिखित कुछ ऐसे उपाय हैं जो अपनाए गए हैं या जिन्हें अपनाने का प्रस्ताव है :--

(1) निर्दिष्ट मात्रा में दूध की सप्लाई करने के लिए सहकारी संस्थाओं के साथ किये गये करारों के अनुसार ठेकेदारों की तुलना में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों के लिये जमानत की राशि कम करना;

(2) ठेकेदारों की तुलना में गर्मी तथा वर्षा के मौसम में सप्लाई का कोटा पूरा करने वाली सहकारी समितियों को अधिक कमीशन देना;

(3) ग्रीष्म तथा वर्षा कालीन ऐसे कोटों के सम्बन्ध में सप्लाई की शर्तों में रियायत देना, जो ठेकेदारों की तुलना में सहकारी समितियों के लिये कम दर पर निर्धारित किये जाते हैं;

(4) ठेकेदारों की तुलना में सहकारी समितियों से न्यूनतम सप्लाई के निम्न स्तर को स्वीकार करना; तथा

(5) केवल सहकारी समितियों से ही दूध इकट्ठा करने के लिए कुछ क्षेत्र सुरक्षित रखे जा रहे हैं ताकि दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने के लिये उन्हें और प्रोत्साहन दिया जा सके ।

(ग) दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों से दूध की अधिप्राप्ति में सम्भावित वृद्धि करने तथा वर्तमान दुग्ध परिसंस्करण सुविधा बढ़ाने से दिल्ली दुग्ध योजना ठीक ढंग से मितव्ययता लाने व अपनी क्षमता बढ़ाने में सफल हो सकेगी। उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले दूध के मूल्य पर इस मितव्ययता का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में अभी कुछ बताना संभव नहीं है ।

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संस्थाओं का चयन

97. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 100 स्नातकोत्तर कालेजों और संस्थाओं का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो कालेजों और संस्थाओं का चयन करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) इस बारे में कितनी सहायता दी जायेगी और किस प्रकार दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, अवर स्नातक विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के दृष्टिकोण से, कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए अब तक 117 कालेजों को चुना है ।

(ख) आयोग द्वारा नियुक्त की गई स्थायी विशेषज्ञ सलाहकार समिति, कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम में भाग लेने के हेतु कालेजों में उपलब्ध भौतिकी सुविधाएं स्टाफ आदि जैसे शैक्षिक आकलनों तथा अवर स्नातक विज्ञान शिक्षा सुधार के लिए क्रियाकलापों/परियोजनाओं को हाथ में लेने से संबंधित उनकी क्षमता के आधार पर कालेजों का चयन करती है। इस संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सुझाव भी मांगे जाते हैं ।

(ग) प्रत्येक कालेज को दी जाने वाली सहायता की मात्रा उसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं/क्रियाकलापों के आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए 3,00,000 रु० की उच्चतम सीमा की शर्त पर निर्धारित की जाती है । कालेजों को अनुदान उनके द्वारा क्रियन्वित किए गए कार्यक्रमों के आधार पर दिए जाते हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए 93 कालेजों को भुगतान के लिए अभी तक 2,56,08,000 रु० का भुगतान स्वीकृत किया गया है ।

बिहार में चीनी मिलों की स्थिति

98. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चीनी मिलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है;

(ख) क्या अनेक चीनी मिलें बहुधा बन्द रहती हैं;

(ग) क्या चीनी मिल मालिकों द्वारा करोड़ों रुपये किसानों को देय है; और

(घ) क्या सरकार इन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं । वे अनुकूलतम कार्यक्षमता की नहीं हो सकती हैं लेकिन उनकी दशा बहुत खराब नहीं है ।

(ख) बिहार की 30 चीनी मिलों में से इस वर्ष 27 मिलों के काम करने की आशा है जबकि पिछले वर्ष 25 मिलों ने काम किया था ।

(ग) जी नहीं । 30-9-72 को बिहार की चीनी मिलों के बारे में गन्ने के मूल्य के बकायों की स्थिति इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

1971-72 मौसम	15.83	देय राशि 1491.31 में से।
1970-71 मौसम	14.58	
1969-70 और पहले के मौसमों की राशि	21.30	

(घ) सरकार ने विशेषकर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन का ब्यौरेवार और विस्तृत अध्ययन करने के लिये पहले ही चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में विचार किया जाएगा ।

भारतीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा जहाजरानी नीति के पुनः निर्धारण के लिये अनुरोध

99. श्री यमुना प्रसाद मंडल: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि जहाजरानी नीति को व्यापारिक हित में पुनः निर्धारित किया जाये और इस बारे में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग): अखिल भारतीय पोतवणिक परिषद और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ ने नौवहन नीति के पुनर्मूल्यांकन के लिये कुछ सुझाव दिये हैं । सिफारिश केवल सामान्य प्रकार की थी । भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ के ज्ञापन और बातों के साथ साथ पोतवणिकों की कठिनाइयों से संबंधित है । महासंघ से और विचार विमर्श के लिये अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है। अखिल भारतीय पोतवणिक परिषद के सुझावों की जांच की जा रही है ।

बहरे और गूंगे व्यक्तियों के लिए स्कूल खोलना

100. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बहरे और गूंगे व्यक्तियों के लिए अधिक स्कूल खोलने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां पर खोले जायेंगे ; और

(ग) वर्ष 1972-73 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इन स्कूलों को स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । भारत सरकार अपना सम्बन्ध मुख्यतया बधिरों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के साथ रखती है, जो इस समय हैदराबाद में स्थित है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय फसल योजना बोर्ड की स्थापना में प्रगति

101. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय फसल योजना बोर्ड की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

102. श्री डी०के० पंडा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में वनस्पति की कीमतों में पुनः वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि, इन कीमतों में कुल वृद्धि, उक्त अवधि के दौरान वनस्पति की उत्पादन लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है और उत्पादन लागत में यह वृद्धि किस हद तक उपभोक्ता द्वारा वहन की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वनस्पति के मूल्य सभी क्षेत्रों में 9 नवम्बर, 1972 को 10 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़ाए गए थे ।

(ख) पिछले पखवाड़े के दौरान वनस्पति में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वनस्पति के मूल्यों में समय समय पर वृद्धि और कमी की गई है; वृद्धि/कमी से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवल वृद्धि 1.01 से 1.10 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच हुई है। उसी अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के उत्पादन की लागत में भी वनस्पति में प्रयुक्त होने वाले कच्चे तेलों की लागत सहित 0.92 रुपये से 1.21 रुपये प्रति किलोग्राम तक वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये। संख्या एल०टी० 3640/72]

वर्तमान चीनी सम्बन्धी नीति की आलोचना

103. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में अखिल भारतीय चीनी उत्पादक संघ के मुख्य सचिव द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह शंका व्यक्त की गई है कि सरकार की वर्तमान चीनी सम्बन्धी नीति से आगामी वर्ष के दौरान भी चीनी की कमी बनी रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने चीनी सम्बन्धी नीति में क्या संशोधन करने का सुझाव दिया है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उनके प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :—

चीनी की उपलब्धि से गन्ने का मूल्य अलग रखना, 11 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य निर्धारित करना और खेती आदि की वास्तविक लागत का पता करने के लिए अध्ययन करना। इन सुझावों पर सरकार के विचार इस प्रकार हैं :—

1—**उपलब्धि से चीनी का मूल्य अलग रखना:** गन्ने का न्यूनतम मूल्य 1962-63 से उपलब्धि के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है ताकि गन्ना उत्पादकों को बेहतर किस्म का गन्ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। यह टैरिफ आयोग (1961) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ही है।

2—**11 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य निर्धारित करना:** गन्ने का न्यूनतम मूल्य चीनी उत्पादक राज्यों की सरकारों, गन्ना उत्पादक संघों और चीनी उद्योग, कृषि मूल्य आयोग आदि से प्राप्त सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य को निर्धारित करते समय गन्ने की उत्पदान लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि की जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति, उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी सुलभ करना और वह मूल्य जिस पर गन्ने से चीनी तैयार कर चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है, जैसे विभिन्न तथ्य ध्यान में रखे जाते हैं। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 11 रुपये निर्धारित करने से मुद्रा स्फीति की स्थिति बिगड़ने के अलावा लेवी चीनी के मूल्य में असाधारण वृद्धि होती।

3—**गन्ने की खेती की वास्तविक लागत का पता लगाने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के संबंध में अध्ययन करना :** 1970-71 से सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक योजना के अंतर्गत गन्ना सहित विभिन्न प्रमुख फसलों की खेती को लागत के अध्ययन एक वर्ष के लिए बारी बारी से किये जा रहे हैं और बाद में आगामी वर्षों में उप नमूने का अध्ययन किया गया था ताकि मूल्य नीति तैयार करने में सुविधा हो।

4—**चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण:** सरकार ने विशेषकर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन का ब्यौरेवार और विस्तृत अध्ययन करने के लिए पहले ही चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में विचार किया जाएगा।

5—**वितरण प्रणाणी पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण:** कमी के समय में चीनी पर पूर्ण नियंत्रण करने से गन्ना उत्पादकों जिन्हें अपने गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य नहीं मिल सकता है को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। दूसरी ओर, आंशिक नियंत्रण की योजना जिसे सरकार ने जारी रखने का निर्णय किया है, के अधीन चीनी कारखाने खुले बाजार में चीनी बेचने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धनराशि से गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य देने और उससे गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में हैं।

सूखाग्रस्त उड़ीसा की अकाल राहत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

104. श्री डी० के० पंडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की अकाल राहत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि देना मंजूर किया है; और

(ख) उक्त राज्य में अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी सहायता देना मंजूर किया है और राज्य सरकार ने कितनी सहायता का अनुरोध किया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): केन्द्रीय दलों, जिन्होंने पहले राज्य का दौरा किया था, सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विभिन्न राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए निम्नलिखित सीमा निर्धारित की थी जिसमें क्रमश: अप्रैल जून, 1972 और जुलाई अक्तूबर, 1972 की अवधि की सूखा संबंधी राहत भी शामिल है :—

(लाख रुपयों में)

	राहत उपाय	अप्रैल-जून, 72 के लिए सीमा	जुलाई अक्तूबर, 72 के लिए सीमा
1.	घरों की मरम्मत के लिए हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों को अनुदान देने सहित भवन निर्माण अनुदान	30	15
2.	शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान	40	—
3.	परिवहन खर्च सहित विधि आकस्मिक खर्च	20	70
4.	टैस्ट राहत कार्य	100	325
5.	सड़कों तथा पुलों की मरम्मत	15	—
6.	सिचाई तथा बाढ़ नियंत्रण वर्क्स और बांधों की मरम्मत	100	—
7.	मुफ्त सहायता	—	100
8.	सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय	—	25
9.	मछियारों, दस्तकारों आदि को अनुदान	—	10
10.	पशु खरीदने के लिए ऋण	—	25
11.	मछियारों, दस्तकारों आदि को ऋण	—	10
12.	लघु सिचाई योजनाए	—	53
	जोड़	305	633

राज्य सरकार ने पिछले केन्द्रीय दल जिसने स्थिति का जायजा लेने के लिए अक्तूबर, 1972 में राज्य का दौरा किया था, के सामने विभिन्न दैवी विपदाओं के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की मांग रखी थी। इस दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इसी बीच 4 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को दे दी गई है।

आपात उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विशिष्ट लघु सिचाई योजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त 6.40 करोड़ रुपये की राशि में से 1.595 करोड़ रुपये दिये गए हैं। इसके अलावा, कृषि संबंधी आदानों के लिए 5.00 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण भी दिया गया है।

सामान्य बीमा कम्पनियों को फसल बीमा करने के सम्बन्ध में निदेश

105. श्री डी० के० पंडा :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमा कंपनियों से कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे प्रयोगात्मक आधार पर भिन्न राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में फसल बीमा करना आरंभ कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सामान्य बीमा कम्पनियों को दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख): सरकार ने फैसला किया है कि सामान्य बीमा नियम की स्थापना होने पर निगम से अनुरोध किया जाये कि वह प्रायोगिक आधार पर चुनींदा जिलों में कुछ चुनी हुई फसलों के लिए फसल बीमा की एक मार्गदर्शी योजना तैयार करे जैसा कि जीवन बीमा निगम गुजरात में संकर-4 कपास के लिए पहले से ही कार्यन्वित कर रहा है ।

देश में उचित मूल्यों की दूकानें खोलना

106. श्री डी० के० पंडा :
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को निदेश दिए हैं कि वे उचित मूल्यों की दुकानें खोलें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुकानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में मूल्य सूची क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3641/72]**

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

1971 और 1972 में आयोजित डैरी कांफ्रैंस की सिफारिशों की क्रियान्वित

107. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा: क्या **कृषि** मंत्री फरवरी, 1971 में आयोजित डेरी कांफ्रैंस की सिफारिशों के बारे में 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 में आयोजित डेरी कांफ्रैंस की सिफारिशों की जांच करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई तथा उसके लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई और उपयोग की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) फरवरी, 1971 में हुए 8वें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशों पर इस मन्त्रालय ने विचार किया है । ये सिफारिशें सामान्य प्रकार की हैं और इनमें डेरी उद्योग के आयोजन और विकास के मुख्य सिद्धांत दिये गये हैं जिन्हें योजनायें बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय डेरी निगम को भी ये सिफारिशें भेज दी गई हैं जिससे कि वे इन्हें यथासम्भव क्रियान्वित कर सकें ।

सरकार को हाल ही में भारतीय डेरी विज्ञान संघ से मार्च, 1972 में हुए 8वें डेरी उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें भी प्राप्त हुई हैं । सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

(ख) 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :

(1) राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के परामर्श से 'आपरेशन फ्लड' का कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए फरवरी, 1970 में 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी से भारतीय डेरी निगम नामक एक सरकारी कम्पनी की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय बड़ौदा में था ।

(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपहार रूप में दिये गये 23,936 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण और 8,839 मीटरी डन 'बटर आयल' का अक्तूबर, 1972 तक आयात किया गया था ताकि उस से पुनः तरल दुग्ध तैयार करके उसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित सरकारी क्षेत्र के तरल दुग्ध संयंत्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जा सके । इन जिन्सों के विक्रय से लगभग 12.62 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई है ।

(3) निम्नलिखित मदों की क्रियान्विति पर सितम्बर, 1972 के अन्त तक 9.75 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं :

मद संख्या	विषय	रकम (करोड़ रुपयों में)
1.	चार नगरों के 'दुग्ध संयंत्रों' का विस्तार;	1.29
2.	चार नगरों में नई डेरियों की स्थापना	0.87
3.	भण्डारण और लम्बी दूरी से दूध लाने के लिये परिवहन की व्यवस्था;	--
4.	दुग्ध एकत्रीकरण और प्रशीतन केन्द्र	0.03
5.	फीडर/सन्तुलन दुग्ध संयंत्र	4.64
6.	नगरों में रहने वाली गाय और भैंसे रखने के लिये व्यवस्था करना;	0.80
7.	तकनीकी आदान उपलब्ध करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना	0.59
8.	उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का विकास	0.18
9.	गांवों से दूध प्राप्त करने की व्यवस्था	--
10.	प्रोजक्ट की योजना बनाना, उनका क्रियान्वियन और मानव जन शक्ति का विकास	0.45
11.	विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त जिन्सों के देश में भण्डारण, लाने ले जाने पर और अन्य विविध प्रभार	0.72
	किया गया व्यय, जो अभी विभिन्न कार्यों के मदों में डाला जाना है	0.90
	कुल	9.75

आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले भारतीय डेरी निगम को विभिन्न बाहरी एजन्सियों से निम्नलिखित मात्रा में सहायता प्राप्त हुई है :—

(i) **विश्व खाद्य कार्यक्रम :** अक्तूबर, 1972 के अन्त तक विश्व खाद्य कार्यक्रम से 23,936 मीटरी टन 'स्किम' दुग्ध चूर्ण और 8,839 मीटरी टन 'बटर आयल' प्राप्त हुआ था। इसमें से 16,331 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण और 4,812 मीटरी टन 'बटर आयल' बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास की सरकारी क्षेत्र की योजनाओं और उनकी 'फीडर' वैलसिंग डेरियों को फिर से तरल दुग्ध के रूप में परिणित करके उपभोक्ताओं में सप्लाई करने के लिए भेजा गया था।

(ii) **यूनिसेफ :** 'आपरेशन फ्लड' प्रोग्राम के पहले चरण के लिए यूनिसेफ ने 24.4 लाख अमरीकी डालर के मूल्य के डेरी विद्यायन उपस्कर, कल पुर्जे और स्टेन्लेस स्टील का साज सामान देने की स्वीकृति प्रदान की है । समस्त उपस्करों के लिए यूनिसेफ को मांग पत्र भेज दिया गया है और इसमें से कुछ सामान प्राप्त भी हो चुका है ।

(iii) **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तकनीकी सहायता:** आपरेशन फ्लड के आयोजन और कार्यन्वयन सम्बन्धी तकनीकी पहलूओं के लिये सहायता देने के लिए 7 विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं। इनमें एक प्रबन्ध और विपणान विशेषज्ञ, दो डेरी डिजाइन इंजीनियर और चार डेरी संस्थान इंजीनियर शामिल हैं। उनकी सेवायें डेरी विधायन संयंत्रों के आयोजन और संस्थापन और आपरेशन फ्लड के अधीन फीडर वैलेन्सिग डेरियों के लिए उपयोग की जा रही है।

(iv) **विदेशी ऋण** : डेरी विधायन उपस्कर, कल पुर्जे और स्टेन्लेस स्टील के साज सामान के आयात के लिए 3.33 करोड़ रुपये के मूल्य के विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में करार तय किये जा चुके हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी, मक्खन और आइसक्रीम का (महीनेवार) उत्पादन और वितरण

108. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा: क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन इकट्ठा किये जाने वाले तथा वितरित किये जाने वाले दूध और उस में अतिरिक्त चिकनाई के उपयोग के बारे में 24 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना ने गत तीन वर्षों में (महीनेवार) कितनी मात्रा में घी, मक्खन और आइसक्रीम तैयार किया और कितनी मात्रा का वितरण किया ;

(ख) राजधानी में दूध की भारी कमी के होते हुए भी नागरिकों को सप्लाई के लिए समस्त चिकनाई से स्टैंडर्ड दूध तैयार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रतिमास दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इकट्ठा किए गए दूध में औसतन चिकनाई कितनी थी, तथा स्टैंडर्ड दूध बनाने के लिए कितने चूर्ण और बटर आयल का उपयोग किया गया और कुल कितना दूध उपलब्ध हुआ, कितनी चिकनाई बेकार गई तथा कितने खराब दूध/दूध उत्पादों का निपटान किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) एक विवरण (विवरण संख्या I) सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3642/72]**

(ख) चिकनाई मुख्यत: दूध की सप्लाई करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और केवल फालतू चिकनाई ही घी, मक्खन तथा आइसक्रीम जैसे पदार्थ बनाने के काम में लाई जाती है। तरल दूध को प्राथमिकता दी जाती है। सीमित सप्लाई का कारण चिकनाई की अनुपलब्धि नहीं है, बल्कि दूध की डेरी की सीमित कार्य क्षमता उसका कारण है। निकट भविष्य में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) एक विवरण (विवरण संख्या II) सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3642/72]**

दुग्ध उत्पादों के आयात को कम करने के लिए कार्यवाही

109. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या कृषि मंत्री दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और आयात के बारे में 1 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए एककों की स्थापना करने अथवा वर्तमान एककों का विस्तार करने की अनुमति देकर दुग्ध उत्पादों के निर्यात को उत्तरोत्तर कम करने तथा स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सहायता मिल सके ;

(ख) चौथी योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादों के लिए नए एककों की मंजूरी, दुग्ध उद्योग के लिए उपकरणों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है तथा नए एककों की स्थापना तथा वर्तमान एककों के विस्तार के लिए दिये गये आवेदन पत्रों के निपटान का विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख): अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से डेरी उद्योग के प्रगतिशील विकास के फलस्वरूप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित दुग्ध पदार्थों पर निर्भर रहना कम हुआ है। इस समय स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य दुग्ध पदार्थ आयात नहीं किए जाते। दूध की कमी और सप्लाई पर्याप्त होने की अवधियों के दौरान दुग्ध उत्पादन के असन्तुलन को दूर करने के लिए थोड़ी मात्रा में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण हर वर्ष आयात किया जा रहा है।

स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के आयात को उत्तरोत्तर कम करने और देशीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में जहां विपणन के लिए फालतू तरल दूध उपलब्ध है, नए एकक स्थापित करके या मौजूदा एककों का विस्तार करके क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे एकक सहकारी पद्धतियों पर ग्रामीण दुग्ध एकत्रण एवं प्रशीतन केन्द्रों के साथ सम्बद्ध किए जा रहे हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

Conference held in Rome during May, 1972 for improving variety of Rice

110. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an International Conference was held in Rome from the 10th May to 12th May, 1972 for improving the varieties of rice;

(b) whether the subject under consideration of the Conference was connected with technical experts; and

(c) the names of the experts who participated in the conference on behalf of the Government of India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Seventh Session of the Sub Group of the Food and Agricultural Organisation on Rice Grading and Standardisation was held at Rome from 10th to 12 May, 1972.

(b) The agenda included consideration of the draft proposals for a revised model system of grading rice in International Trade, possible objective tests for determining the degree of milling and related matters; it was necessary to depute an officer, who was conversant with these subjects and had practical experience in dealing with the matter.

(c) Accordingly Deputy Director General of Food in the Food Department was deputed on behalf of Government.

केरल से प्राप्त खाद्य उत्पादन योजना

111. श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में केरल से खाद्य उत्पादन का विकास करने सम्बन्धी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब प्राप्त हुई थी तथा उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य में बेमौसमी मानसून के कारण उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अगस्त, 1972 के अन्तिम सप्ताह में केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये प्रस्ताव (1) समस्त जिलों में बकाया उठाऊ सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करना (2) पम्पसैटों का विद्युतीकरण (3) खेतों में नालियां बनाना और (4) किसानों को डीजल और बिजली के पम्पसैट सप्लाई करने के लिए कृषि उद्योग निगम को ऋण देने के सम्बन्ध में हैं। कृषि मंत्रालय में इन योजनाओं पर विचार करने पर यह पाया गया कि इनमें पूरी तफसील नहीं दी गई।

(ख) 28 और 29 सितम्बर, 1972 को केरल के लिए नियुक्त किए गए क्षेत्र अधिकारी ने खरीफ मौसम के दौरान बेमौसमी मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन की हुई हानि का अनुमान लगाने और कमी पूरी करने के उपाय सुझाने केलिए राज्य का दौरा किया। उनकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीचे लिखे लघु सिंचाई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया है : -

	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1. लघु सिंचाई योजनायें (ये योजनायें अधिकतर जलाशयों को सुधारने के लिए लघु सिंचाई निर्माण कार्यों को जारी रख रही हैं ताकि और अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सके,	100.00
2. पम्प सैटों का विद्युतीकरण (यह ऋण अतिरिक्त 2000 पम्पसैटों को बिजली लगाने के लिए केरल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को दिया गया है)	50.00
3. पंचायतों के लिए पम्पसैटों की व्यवस्था (इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों को 400 पम्पसैट मुफ्त सप्लाई किए जायेंगे)	50.00
	200.00

(ग) 2.0 करोड़ रुपयों में से 25 प्रतिशत अर्थात 50 लाख रुपये पहली किश्त के रूप में दे दिए गए हैं। बाद की किश्तें समय समय पर खर्च की प्रगति और कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर पुनर्विचार करके दे दी जायेंगी। ये कार्यक्रम 31 मार्च, 1973 तक पूरे किए जाने हैं ताकि ये रबी व ग्रीष्म मौसम, 1972-73 के दौरान फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो सकें।

इसके अतिरिक्त, बीज उर्वक तथा कीटनाशक औषधियों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए 1.25 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण की राशि भी राज्य सरकार को दे दी गई है।

Financial assistance to States for Construction of Bridges over inter-state roads

112. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of the States which have been given financial assistance for the construction of bridges over-Inter-state roads by the Central Government during the Fourth Five Year Plan period, if so, the amount allocated to each of these states;

(b) whether Madhya Pradesh is one of these States, whether the area and perimeter (which is 7200 k.m.) of Madhya Pradesh have been taken into consideration while taking decision in regard thereto; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) A statement is enclosed.

(b) & (c): A loan of Rs. 44 lakhs has been approved for Madhya Pradesh. Loan assistance for individual States is decided on the basis of available resources, total demands received from the various States and the inter-se priority of individual schemes indicated by the State Governments themselves keeping in view the basic objectives of the programme to promote inter-State communication facilities and to help in the economic development of the areas served by the roads.

STATEMENT

List of States provided with loan assistance under the Fourth Five-Year Plan for the construction of bridges over inter-State roads under the Central Aid Programme of State roads of inter-State or economic importance

S. No.	Name of State	Amount of loan approved for inter-State Bridges
		Rs. in lakhs
1.	Assam	30.00
2.	Bihar	38.00*
3.	Gujarat	10.00
4.	Haryana	100.00
5.	Madhya Pradesh	44.00*
6.	Maharashtra	50.00
7.	Mysore	70.00
8.	Orissa	46.00*
9.	Rajasthan	155.00*
10.	Uttar Pradesh	84.00
11.	West Bengal	37.00**

जयंती शिपिंग कम्पनी और श्री धर्म तेजा को दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों की वसूली

113. श्री सेझियान : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी और श्री धर्म तेजा को दिये गए ऋणों और अग्रिम राशियों की वसूली के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने निधियों के गबन करने में श्री धर्म तेजा के साथ सांठ गांठ करने वाले सरकारी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व नियत करने के लिये कोई जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ।

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) डा० धर्म तेजा को नौवहन विकास निधि समिति ने कोई ऋण नहीं दिया है । उक्त समिति द्वारा जयन्ती शिपिंग कंपनी को दिये गये ऋण, ऋण समझौतों के अनुसार वसूल किये जा रहे हैं ।

(ख) ऐसी सांठ गांठ के लिये कोई सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*This includes, *inter alia*, 50% cost of some bridges whose cost is being shared on 50 : 50 basis by the neighbouring States as the bridges concerned fall on the boundary of the two States.

**represents 50% of the cost of a bridge whose cost is being shared on a 50 : 50 basis between West Bengal and Orissa.

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए स्वास्थ्य उपकर लगाना

114. श्री सेझियान :

श्री एम० कतामृतु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए स्वास्थ्य उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) स्वास्थ्य उपकर से कितनी धनराशि जुटाए जाने की संभावना है, और

(ग) उपकर से प्राप्त धनराशि को खर्च करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग): 25 और 26 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

"यह मानते हुए कि लोगों की कम से कम ठीक चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करने के लिए भी अत्यधिक साधनों की आवश्यकता है, यह महसूस करते हुए कि सभी देशों में और भारत के कुछ भागों में स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है, यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य उपकर लगा कर अथवा प्रत्यक्ष शुल्क ले कर अथवा स्थानीय स्थितियों के अनुरूप कोई अन्य तरीका अपना कर अपने साधनों को बढ़ाने के उपाय कर सकती हैं।"

इस मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए इस प्रस्ताव को सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

गांवों में पीने के पानी की योजना

115. श्री सेझियान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सब गांवों में पेय जल प्रदान करने की उचित व्यवस्था के बारे में क्या प्रगति हुई है,

(ख) इस बारे में योजना का लक्ष्य क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है, और

(ग) क्या इस बारे में समयबद्ध द्रुतकार्यक्रम पर विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन 31 मार्च, 1972 तक लगभग 22171 ग्रामों में नलों अथवा नलकूपों द्वारा पानी की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा सामुदायिक विकास तथा समाज कल्याण विभागों द्वारा कुआं निर्माण कार्यक्रम और पिछड़े वर्गों आदि के लिए चलाए गए कार्यक्रम जैसी अन्य योजनायें भी हैं, जिनके अंतर्गत देहातों में पीने के पानी की सुविधायें दी जाती हैं।

(ख) राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन चौथी योजना अवधि में 10369 ग्रामों में नलों द्वारा पानी की व्यवस्था की जानी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4060 ग्रामों को ला दिया गया है ।

(ग) जी हां, इस वर्ष से ग्राम जलपूर्ति त्वरित कार्यक्रम की एक केन्द्रीय योजना चलाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजना में निर्धारित रकम के अलावा शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया है ।

प्रत्येक राज्य के ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में जहां या तो पानी के स्रोत हैं ही नहीं या उन क्षेत्रों में जहां हैजा स्थानीय रूप में फैलता हो, जो नहरूआ ग्रसित हों और अत्यधिक फ्लूओरिड आदि जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों से पीड़ित हों या जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता हो, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य है ।

Supply of Foodgrains to Drought affected States

116. Shri G.P. Yadav : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have supplied foodgrains inadequate quantity to the various States to face the situation arising out of drought; and

(b) if so, the quantity of foodgrains supplied to the Bihar State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Supply of foodgrains are being made to various States to meet their reasonable requirements keeping in view the level of stocks in the central pool and the relative needs of the States.

(b) The Government of Bihar has been supplied the following quantities of foodgrains from January to September, 1972 :

	('000 tonnes)
Rice	6.9
Wheat	474.8
Coarse grains	15.7
Total	497.4

Besides, 1,35,000 tonnes of wheat, 30,000 tonnes of coarse grains, and 5,000 tonnes of rice have heen allotted for the months of October and November, 1972.

नई दिल्ली में तिमंजला कार पार्क

117. श्री सी० चितिबाबू : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के बीच स्थित तिमंज्ला कार पार्क 18 महीने से भी अधिक समय से वीरान और अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) क्या यह कार पार्क दिल्ली वृहद् योजना का उल्लंघन करके बनाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली वृहद् योजना के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं । तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित 10 मंजिले भवन की प्रथम तीन मजिलें तथा तहखाना वाहन ठहराने के लिए निर्धारित किया गया है । कमेटी ने तहखाना तथा दूसरी मंज़िल, भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों को आबंटित कर दी है । प्रथम तथा दूसरी मंज़िलों पर वाहन ठहराने का स्थान वैयक्तिक तौर पर आबंटित किये जाने के लिये निर्दिष्ट है । प्रथम मंजिल पर लगभग 50 प्र०श० स्थान का पहले ही लाइसेंस दिया जा चुका है । शेष स्थान यथा संभव शीघ्र आबंटित कर दिया जायेगा :

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड को दिए गए अपूर्ण क्रयादेशों को रद्द करना

118. श्री सी० चित्तिबाबू: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड को दिये गए 1 करोड़ रुपये के क्रयादेश को रद्द किये जाने के कारणों का पता लगा लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है कि खम्बों के लिए नये क्रयादेश क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(ग) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड को इस बारे में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रयादेश रद्द करने का कारण यह है कि कुछ स्थानीय प्राईवेट निर्माताओं ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी से सस्ती दरों पर खम्बे सप्लाई करने की पेशकश की थी ।

(ख) जी, हां। खम्बों के लिये नये क्रयादेश उतने नहीं आ रहे हैं जितने कि पहले आ रहे थे, क्योंकि कुछ स्थानीय निर्माता अब हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी से सस्ती दरों पर खम्बे देने का प्रस्ताव कर रहे हैं ।

(ग) सम्बन्धित निकटवर्ती राज्य विद्युत मंडलों से मूल्यों में कुछ परीयता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है विशेषतया इसलिए कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा बनाए गए खम्बे बढ़िया किस्म के हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड को मिले क्रयादेश

119. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड को 1974 के बाद कोई क्रयादेश मिलने के आसार दिखाई नहीं देते,

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम द्वारा जिन 39 जहाजों का क्रयादेश दिया गया है। उनमें से केवल 7 जहाजों का निर्माण ही देश में होना है, और

(ग) यदि हां, तो शेष 32 जहाजों के क्रयादेश देश के बाहर क्यों दिए गए हैं ?

संसदीयकार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम० मेहता) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के वर्तमान आर्डर बुक स्थिति के अनुसार आदेशित अंतिम जहाज की जून, 1972 में सुपुर्दगी का कार्यक्रम है, परन्तु इस शिपयार्ड में निर्माण का वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार घाट में पहली रिक्ति 1974 के प्रारम्भ में होने की संभावना है और आदेशों के लिये इंडियन शिपिंग लाइसेन्स के साथ बातचीत प्रगति पर है,

(ख) जी, हां ।

(ग) देशी शिपयार्डों की क्षमता, सुपुर्दगी कार्यक्रमों और नौवहन टनभार के चौथी योजना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये विशेष प्रकार के और अन्य जहाजों को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखने के बाद विदेशों से जहाजों की खरीद मंजूर की गई है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रवेश

120. श्री सी चित्तिबाबू : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संहिता के अध्याय 10, रा० 89 के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के पात्र नहीं हैं;

(ख) क्या इस नियम के अन्तर्गत बबीना स्थित केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया था; और

(ग) क्या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की इस कठिनाई को दूर करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला के लिए भूतपूर्व सनिकों के बच्चों पर विचार किया जाता है ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का गायब होना

121. श्री सी० चित्तिबाबू: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्थित भारतीय खाद्य निगम के खरीद और भण्डारण एजेण्टों के गोदामों से लगभग 75 लाख रुपए मूल्य का 7,000 टन खाद्यान्न गायब हो गया है ;

(ख) क्या भण्डारण के बारे में तत्सम्बन्धी कागजात भी गायब हैं; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उड़ीसा में स्थित भारतीय खाद्य निगम के मिलर क्रय एजेंटों और भण्डारण एजेंटों के गोदामों में धान और चावल की 7,000 मी० टन से अधिक मात्रा कम पाई गई थी । इन स्टाकों का मूल्य 60 लाख रुपये बताया गया हैं ।

(ख) पता चला है कि कोई भी कागज़ात गायब नहीं हैं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित कार्यवाही की हैं:—

(1) पकड़ी गई कम मात्रा के बारे में बीमा कम्पनियों के पास दावे दायर किये गए हैं ।

(2) जिन मामलों में पेशगियां बाकी थीं उनके बारे में भी बीमा कम्पनियों के पास दावे दायर किये गए हैं।

(3) निगम चूककर्ता एजेंटों के साथ किये गए करारों की शर्तों के अनुसार उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर रहा है।

(4) उड़ीसा सरकार ने भी उड़ीसा चावल तथा धान नियंत्रण आदेश, 1965 के अधीन कार्यवाही शुरू की है और बताया जाता है कि स्टाकों की प्रत्यक्ष जांच के फलस्वरूप बोलनगीर और सम्बलपुर जिलों में स्टाक कम पाये जाने के कारण 15 मिल मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

म्यूनिख में अरब-गुरिल्लों द्वारा इजरायली खिलाड़ियों को गोली से मारने पर भारत की प्रतिक्रिया

122. श्री प्रसन्नभाई मेहता:
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष म्यूनिख के खेलों के दौरान अरब के गुरिल्लों ने इजरायली खिलाड़ियों को गोली से मारा था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अरब गुरिल्लों की इस कार्यवाही की निन्दा नहीं की;

(ग) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है; और

(घ) क्या भारत इसका कोई हल पेश करेगा और यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति में किस प्रकार का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां, ।

(ख) भारत सरकार के एक अधिकृत खिलाड़ी ने 6 सितम्बर 1972 को एक वक्तव्य जारी किया था ; जिसमें इस दु:खद घटना पर शोक प्रकट किया गया था तथा उसकी निन्दा की गई थी ।

(ग) और (घ): भारतीय ओलम्पिक संघ ने जिससे परामर्श किया गया था सूचना दी है कि भाग लेने वालों की सुरक्षा सहित खेलों के आयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं उस नगर द्वारा की जाती हैं । जो समारोह का आतिथ्य करता है । अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति स्थिति से पूर्णत: परिचित है ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1972-73 के लिये सुझाये गये धान और चावल के वसूली मूल्य

123. श्री प्रसन्न भाई मेहता:
श्री पुरुषोत्तम काकोडकार:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1972-73 के लिये धान और चावल के अधिक वसूली मूल्य का सुझाव दिया था, यदि हां, तो उसमें कितनी वृद्धि का सुझाव दिया गया था;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग के उक्त प्रतिवेदन पर हाल ही में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी और यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इसकी सिफारिशों पर सहमत नहीं हुए थे ; और

(ग) उनमें क्या मतभेद थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग ने 1972-73 के लिए खरीफ अनाजों की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि 1972-73 में धान की मानक किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य जहां 54 रुपये प्रति क्विंटल या कम है वहां 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए और जहां 55 रुपये प्रति क्विंटल है वहां एक रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए । जिन राज्यों में इस समय धान की मानक किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 56 रुपये प्रति क्विंटल या अधिक है उन राज्यों में कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य में वृद्धि करने की कोई सिफारिश नहीं की थी। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि अन्य किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य सामान्य किस्म सम्बन्धी अन्तरों को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जा सकते हैं । जहां तक चावल के मूल्यों का सम्बन्ध है, कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी कि धान के मूल्यों में वृद्धि के साथ चावल के अधिप्राप्ति मूल्यों में तदनुरूप वृद्धि की जा सकती है ।

(ख) और (ग) : कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर 30-9-72 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । मुख्य मन्त्रियों ने आयोग द्वारा धान और चावल के अभिस्तावित अधिप्राप्ति मूल्यों को सामान्यता स्वीकार कर लिया था ।

दिल्ली में अक्तूबर 1972 में हुआ खाद्य और कृषि संगठन का सम्मेलन

124. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 17 अक्तूबर 1972 को खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या क्या निर्णय लिये गये ;

(ग) सम्मेलन में कितने तथा किन किन देशों ने भाग लिया ; और

(घ) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन की सिफारिशों की जांच कर ली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ): नई दिल्ली में खाद्य और कृषि संगठन का ग्यारहवां प्रादेशिक सम्मेलन 17 से 27 अक्तूबर 1972 तक हुआ था। भाग लेने वाले सदस्य देशों की सूची और वह कार्य सूची जिस पर सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था, सभा पटल पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3643/72]** कार्यवाही की सरकारी प्रति खाद्य और कृषि संगठन के रोम के प्रधान कार्यालय से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

देश में योजनाबद्ध खेती

125. श्री प्रसन्न भाई मेहता:

श्री पुरुषोत्तम काकोडकार:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे।

(क) क्या भारत में योजनाबद्ध खेती के क्षेत्र में चालू वर्ष एक परीक्षण का वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने यह कहा है कि इस वर्ष की योजना बद्ध खेती में जितनी सफलता मिलेगी उससे केवल राष्ट्र के संकल्प का ही पता नहीं चलेगा वरन् उसमें कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि की मात्रा का भी पता चलेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष की योजनाबद्ध खेती की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग ने भारतीय कृषि के भविष्य को अन्धकारपूर्ण बताया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। खरीफ के मौसम में असामान्य मौसमी परिस्थितियां मौजूद होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में होने वाली सम्भावित कमी को रोकने के लिए इस वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर कारगर प्रयत्न किए गए हैं।

(ख) असामान्य मौसम के लिए फसल आयोजना विषय पर अपने बिना तैयार किए हुए भाषण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने असामान्य मौसम के कारण हुई कुछ क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु फसल आयोजना में वर्ष के मध्य में परिवर्तन करने के लिए मौजूदा नयी सम्भावनाओं का उल्लेख किया था। मिसाल के तौर पर यदि खरीफ के मौसम के दौरान मूंगफली की फसल को क्षति पहुंचती है, तो सूरजमुखी, जाफरान और ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। डा० स्वामीनाथन ने बताया कि हमारे विशाल देश में सघन खेती की सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं तथा अवसर मौजूद हैं अतः हमें खरीफ के मौसम के दौरान हुइ क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए रबी के मौसम के दौरान और अधिक खाद्य उत्पादन करने के लिए प्रयत्न करने चाहिएं। उन्होंने आगे बताया कि आपातिक कार्यक्रम की सफलता कार्यक्रम की व्यापक क्रियान्विति के राष्ट्रीय संकल्प और राज्य सरकारों के विस्तार और विकास अभिकरणों की दक्षता पर निर्भर है।

(ग) इस वर्ष की फसल योजना की मुख्य बातें हैं--अधिकतम प्रति यूनिट उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपलब्ध आदानों, विशेषकर उर्वरक और सिंचाई का सदुपयोग करके आपातकालीन ग्रीष्म रबी उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से खरीफ मौसम में होने वाली कमी को पूरा करना।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

बम्बई नगर योजना सम्बंधी परियोजना के अन्तर्गत बेघर हुए निर्धन किरायेदारों को सस्ते मकान देने के लिए वित्तीय सहायता

126. श्री मधु दण्डवते: क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार और बम्बई नगर के किरायेदारों के संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बम्बई नगर योजना सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत बेघर हुए निर्धन किरायेदारों को सस्ते मकान जुटाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख): महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा बम्बई नगर की टेनेंट्स आर्गेनाइजेशन से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस बारे में एक अभ्यावेदन संताकुज टेनेन्ट्स तथा सिविल वैल्फेयर एसोसिएशन, बम्बई 29 से प्राप्त हुआ है। क्योंकि मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है, अतः अभ्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्राध्यापकों के लिए वेतनों के "रनिंग ग्रेडों" की मांग

127. श्री मधु दण्डवते: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्राध्यापकों के संगठनों से वेतनों के 'रनिंग ग्रेडों' की मांग के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विश्वविद्यालय तथा कालेज अभिशासन समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। समिति की रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध होने की संभावना है।

म्युनिख ओलिम्पिक खेलों में अनधिकृत भारतीयों के शामिल होने का आरोप

128 श्री सी० जनार्दनन:
श्री पीलू मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस आशय के आरोप लगाए गए हैं कि अभी हाल में हुई ओलिम्पिक खेलों के दौरान म्युनिख ओलिम्पिक ग्राम में भारतीय आवास में अनधिकृत व्यक्तियों को रखा गया था ;

(ख) क्या ये आरोप भी लगाये गए हैं कि ओलिम्पिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के मार्च पास्ट में अनेक अनधिकृत व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी के समाचार पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया था कि भारतीय शिविर में भारी भीड़भाड़ होने के कारण भारतीय पहलवानों को फर्श पर सोना पड़ा था; और

(घ) क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई जांच पड़ताल की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग): जी, हां।

भाग (क) और (ग) में दिए गए आरोपों की जांच की गई थी तथा वे आरोप निराधार पाए गए थे।

भाग (ख) में दिए गए आरोप के सम्बन्ध में भारतीय ओलिम्पिक दल के शिष्टमण्डल के अध्ययन (चीफ-डे मिशन) ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उन्होंने अपने स्वयं के विवेक पर दो व्यक्तियों का सलामी (मार्च पास्ट) में भाग लेने को अनुमति दी थी जो भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य नहीं थे परन्तु जो भारतीय ओलिम्पिक संघ से सम्बन्धित थे उन्होंने उसका जो कारण दिया है वह यह है कि सलामी (मार्च पास्ट) के पूर्वाभ्यास में "ब्लैंक फाईल" था तथा मनुष्यों का वितरण भी असमान था जो भद्दा लगता था। इस कारण की वजह से उन्होंने उपरोक्त दो व्यक्तियों को भाग लेने का निदेश दिया।

जहाजों द्वारा सामान्य माल की ढुलाई में कमी

129. श्री सी० जनार्दनन: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालाबार स्टीमशिप कम्पनी ने सरकार से यह शिकायत की है कि सभी पत्तनों, विशेषकर कलकत्ता पत्तन पर पत्तन तथा लदान व्यय के अत्यधिक होने के कारण जहाजों से सामान्य माल की ढुलाई में कमी होती जा रही है,

(ख) क्या कलकत्ता से अन्य पत्तनों को सामान्य माल की ढुलाई नगण्य है,

(ग) क्या बम्बई और मालाबार के पत्तनों के बीच भी सामान्य माल की ढुलाई में उल्लेखनीय कमी हुई है, और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) इस मामले में मालाबार स्टीमशिप म्पनी लिमिटेड से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कलकत्ता से अन्य तटीय पत्तनों को सामान्य माल की ढुलाई में कमी होने प्रवृत्ति है।

(ग) जी, हां।

(घ) बम्बई और मालाबार पत्तनों के बीच और विलोमत सामान्य-माल की ढुलाई 1967 में 1,58,000 टनों से घट कर 1971 में 59,000 टन रह गई है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का पुनरीक्षण

130. श्री सतपाल कपूर:
श्री एन० शिवप्पा:

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के सम्बन्ध में 31 जुलाई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों से, विभागीय समिति की रिपोर्ट के बारे में, जो उन्हें अक्तूबर, 1971 में भेजी गई थी, उनके सुझाव इस बीच सरकार को प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच कर ली गई है,

(ख) यदि नहीं तो, क्या सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा अपने सुझाव तथा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नियत की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति की सिफरिशें क्या थीं, सलाहकार समिति ने उन पर क्या सुझाव दिये और उन पर तत्काल निर्णय के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी, नहीं। निर्माण और आवास मन्त्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) जी, नहीं। निर्माण और आवास मन्त्रालय की सलाहकार समिति को पहले दिनांक 12 अक्तूबर 1971 को लिखा गया था, तत्पश्चात् अनुस्मारक भेजे गए थे। सलाहकार समिति के सदस्यों से कोई भी टिप्पणियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) यदि अगला अनुस्मारक भेजने के पश्चात् भी सलाहकार समिति के सदस्यों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती तो सिफारिशों पर विचार करने के लिए आगे की अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में अधूरे आठ मंजिले फ्लैटों का निर्माण कार्य

131. श्री सतपाल कपूर: क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली के टाइप चार के आठ मंजिले अधूरे फ्लैटों का अग्रेतर निर्माण कार्य करने हेतु कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो किस व्यक्ति को ठेका दिया गया है;

(ख) क्या नया ठेकेदार उस पुराने ठेकेदार का रिश्तेदार है जिसने कि कार्य रोक दिया था, और इस ठेकेदार को कार्य के लिए चुनने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन क्वार्टरों के निर्माण कार्य को पूरा करने की संशोधित निर्धारित तिथि क्या है और उनके निर्माण की संशोधित लागत क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य को निर्धारित समय तक करवाने तथा लागत को पुनः न बढ़ने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): शेष कार्य के लिए प्राप्त टेण्डर विचाराधीन हैं; तथा अभी तक किसी भी ठेकेदार को कार्य नहीं दिया गया है।

(ग) कार्य की समाप्ति की संशोधित अन्तिम तिथि का निर्धारण कार्य को प्रदान करते समय किया जाएगा। निर्माण की संशोधित लागत का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) शेष कार्य को उचित दरों पर प्रदान करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चौथी योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र की सफलता

132. श्री प्रभुदास पटेल:
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सहकारी क्षेत्रों में विशेषतया कृषि एककों का कार्य, जिन्हें चौथी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आशा से कम हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सहकारी समितियों के कार्य में किस सीमा तक कमी रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) परिमाणात्मक रूप में सहकारी क्षेत्र का कार्य कुछ कार्यक्रमों में दूसरों की अपेक्षा अधिक सन्तोषप्रद रहा है। यह आन्दोलन अभी तक कुछ मूल समस्याओं पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका है, जैसे प्राथमिक ऋण ढांचे की संगठन सम्बन्धी कमजोरियां, प्रबन्धकीय अपर्याप्ताएं, सहकारी बैंकों द्वारा साधनों का अपर्याप्त ऐकत्रीकरण, पिछले ऋणों की कम वसूली तथा अतिदेयों में वृद्धि। कुछ बाह्य कारणों का भी सहकारी सोसाइटियों के कार्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध न होना, उर्वरकों का वितरण मार्जिन पर्याप्त न होना, नाशिकीटमार दवाओं के लिए तकनीकी ग्रेड सामग्री पर्याप्त न होना, कृषि उपकरण बनाने के लिए लोहे और इस्पात की कमी होना और यूनिटों को चलाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों का अभाव होना। खाद्यान्नों और चीनी पर नियंत्रण ढीला किये जाने का भी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के कार्य पर प्रभाव पड़ा है। सहकारी आन्दोलन का विस्तार तथा जोर देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहा है ; उदाहरणार्थ पूर्वी राज्यों में सहकारी सोसाइटियों के विकास में अभी कुछ करना रहता है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सतत रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन कठिनाइयों तथा कमियों के बावजूद भी सहकारी आन्दोलन के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3644/72]**

डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ट इंजीनियरों को अग्रिम वेतनवृद्धि देना

133. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्: क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ट इंजीनियरों को डिग्री प्राप्त करने पर छः अग्रिम वेतन वृद्धि देने के सिद्धांत को, चाहे रु० 180-380 के वेतन मान में वे कितना ही वेतन मान ले रहे हों, स्वीकार कर लिया गया है

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने तृतीय वेतन आयोग को उनका मामला सौंपने में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर ने तृतीय वेतन आयोग से यह सिफारिश की है कि डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा अपने सेवा काल में डिग्री की योग्यता प्राप्त करने पर उन्हें वेतनमान की छः अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाएं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान अल्पकालीन ऋण सम्बन्धी लक्ष्य के संबंध में 'अपरोच पेपर'

134. श्री प्रभुदास पटेल:

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने पांचवीं योजना के दौरान सहकारी समितियों के सम्बन्ध में "अपरोच पेपर" तैयार किया है और वर्ष 1978-79 तक 1200 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण के लक्ष्य पूरे किए जाने की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय द्वारा सहकारी समितियों के सम्बन्ध में तैयार किये गए "अपरोच पेपर" की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चौथी योजना के दौरान सहकारी समितियों के लिए कुल लक्ष्य कितना था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) इस मन्त्रालय ने पांचवीं योजना के लिए सहकारिता के सम्बन्ध में 'अपरोच पेपर' तैयार किया है और वर्ष 78-79 के लिए 1200 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण के लक्ष्य की सिफारिश की है।

(ख) और (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3645/72]**

बर्मा से खाद्यान्नों की सप्लाई

135. श्री प्रभुदास पटेल:

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश की अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बर्मा सरकार से 50,000 टन अनाज देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अनाज देना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब और कितने मूल्य पर ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

1970-71 और 1971-72 में चीनी का उत्पादन

136. श्री प्रभुदास पटेल:
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के अनुसार 1971-72 की फसल के दसवें महीने जुलाई में चीनी का उत्पादन शून्य था जबकि पिछली फसल में इसी मास में 21,000 मिटरी टन का उत्पादन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो 1971-72 तथा 1970-71 की फसल के पहले 10 महीनों में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां। तथापि, यह सही नहीं है कि जुलाई, 1972 में वास्तविक उत्पादन 16,000 मी० टन हुआ था जबकि जुलाई, 1971 में 21,000 मी० टन उत्पादन हुआ था।

(ख) 1971-72 के पहले 10 महीनों में चीनी का कुल उत्पादन 30.62 लाख मी० टन हुआ था जबकि 1970-71 की उसी अवधि में 37.07 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था

गुजरात में दुर्भिक्ष राहत

137. श्री प्रभुदास पटेल: क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के 19 जिलों में से 11 जिले दुर्भिक्ष से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां भुखमरी से कोई मौत भी हुई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने दुर्भिक्ष राहत कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की कोई योजना बनाई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 19 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने भूख से हुई मौत के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ): एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था। राज्य सरकार ने उन्हें बताया था कि चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान राहत कार्य गठित करने के लिए 37 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। केन्द्रीय दल ने खर्च के लिए 6.90 करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है जिसे भारत सरकार ने मान लिया है ।

अस्पतालों में मृतकों की शव परीक्षा

138. श्री सरोज मुखर्जी: क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय का विभाग इस तथ्य से अवगत है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए अस्पतालों में मृत्यु होने वाले सभी रोगियों की शव परीक्षा अपेक्षित है जिससे कि मृत रोगियों के रोग निदान का औचित्य निश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रोगियों के सम्बन्धियों को इस कार्य के लिए शिक्षित बनाया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मन्त्रालय को इस तथ्य का भी पता है कि सभी सभ्य देशों में रोगियों के सम्बन्धियों को उपचार के दौरान रोगी की मृत्यु हो जाने पर शव परीक्षा करार फार्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) जी हां। किन्तु इसके लिए लोगों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया है।

(ग) जी हां, किन्तु शव की चिकित्सीय परीक्षा का मामला विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है जो मृतकों के उत्तराधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है। अनिवार्यरूप से शव परीक्षा कराने के लिए कोई कानून नहीं बना है।

देश में उचित दर की दुकानों का कार्यकरण

139. श्री सरोज मुखर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों में से 20 प्रतिशत से अधिक दुकानें काम नहीं कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे उनमें ठीक से काम होने लगे?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैपटिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता को सरकारी अधिकार में लेना

140. श्री सरोज मुखर्जी: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैपटिस्ट मिशन प्रेस, 41 ए, ए० जे० बोस रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) को विदेशी मालिकों के हाथ से अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत और बंगला देश के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी संधि प्रारूप

141. श्री सरोज मुखर्जी: क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और आसाम को जोड़ने के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में भारत और बंगला के बीच संधि के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीयकार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) संधि की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच वाणिज्यिय के लिए अपने जलमार्गों के उपयोग के लिए दोनों के अनुकूल प्रबन्ध करने और दूसरे के क्षेत्र से होकर एक देश के दो स्थानों के बीच माल ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं।

(2) प्रत्येक देश अपने क्षेत्र में पड़ने वाले नदी मार्गों को नौगम्य दशा में रखेगा और रात में जहाजों को चलाने के लिए सहायता की व्यवस्था करेगा।

चौथी योजना की अवधि के दौरान भारतीय नौवहन टन भार में वृद्धि

142. श्री एम० कतामुतु: क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की अवधि के दौरान भारतीय नौवहन टनभार में वृद्धि की प्रगति शिथिल रही है।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय टनभार में तीव्रगति से वृद्धि सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख): चौथी योजना में आदेशित जहाजों सहित 40.00 लाख जी०आर० टी० टनभार का लक्ष्य है। 1-10-1972 को, भारतीय रजिस्टर में 25.87 लाख जी०आर०टी० परिचालनात्मक टनभार था और इसके अलावा लगभग 14.98 लाख जी०आर०टी० के जहाजों के पक्के आदेश दिये गए हैं। पुराने जहाजों को रद्द कर देने के पश्चात् भी केवल लगभग 1·13 लाख जी०आर०टी० के आदेश चौथी योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिये जाने हैं।

चौथी योजना में 35 लाख जी०आर०टी० के लक्ष्य की तुलना में चौथी योजना के अन्त में परिचालनात्मक टनभार 30 लाख जी०आर०टी० हो जाने की संभावना है। बाकी आदेश पांचवीं योजना के आरम्भ में ही परिपक्व हो जायेंगे इसका कारण यह है कि शिपयार्डों में अधिक आदेशों के फलस्वरूप नए जहाजों की सुपुर्दगी आदेश दिए जाने के उसे 4 वर्षों तक के समय में होती रही है।

(ग) भारतीय टनभार का विकास तीव्रगति से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपाय निम्न-लिखित हैं:—

1. भारतीय नौवहन कम्पनियों को अतिरिक्त जहाज प्राप्त करने के लिए रियायती शर्तों पर ऋण देना।
2. जहाजों की प्राप्ति के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना।
3. मई 1974 तक उपलब्ध जहाजों की लागत के 40 प्रतिशत की विकास घटौती देना।
4. जहाजों की लागत के 10 से 20 प्रतिशत तक की मुक्त विदेशी मुद्रा की विमोचन करना।
5. सरकार द्वारा नियन्त्रित माल के नियतन में भारतीय जहाजों को अधिमान्य देना।

भारत स्थित व्यापारिक और जहाजरानी हितों वाली कम्पनियों द्वारा स्वेज और सिकन्द्रिया के बीच भूमि पुल चालू करने और उसका उपयोग करने सम्बन्धी अपनी योजना के बारे में मिश्र का सुझाव

143. श्री एम० कतामुत्तु: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र की सरकारी "नहर जहाजरानी एजेंसी कम्पनियों" ने भारत स्थित व्यापारिक और जहाजरानी हितों वाली कम्पनियों द्वारा स्वेज और सिकन्द्रिया के बीच भूमि पुल चालू करने और उसका उपयोग करने की एक योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने योजना का उपयोग करने का निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) जी, हां।

(ख) स्थल पुल को लाल सगर पर स्वेज पत्तन को भूमध्यसागर पर एलकजंड्रिया पत्तन से जोड़ना है । स्वेज पत्तन से आने वाला माल लारियों द्वारा एलकजेंड्रिया को भेजा जायेगा, जहां ढुलाई के लिये इसे फिर जहाजों में लादा जाएगा। केनाल शिपिंग एजेंसी कम्पनी ने स्थल पुल पर से लाये ले जाए गए सारे माल के लिए प्रति लदान टन बिल, 12 डालर की समान दर पर नियत किया गया है। इस प्रभार में जहाजों के साथ माल प्राप्त करने, उनके पड़ाव धरा उठाई, भण्डार, परिवहन, स्वेज और एलकजेंड्रिया के बीच स्थल, सीमा शुल्क की देय राशियों, निकासी आदि जैसे प्रभारों का शामिल होना भी बताया गया है। इसमें युद्ध स्थल बीमा और स्थल परिवहन जोखिम भी शामिल होगा। परन्तु इन प्रभारों में संगरोध प्रभार, जान्तव और कृषि उत्पादनों पर निरीक्षण शुल्क और 200 किलोग्राम से अधिक पैकेटों के बारे में तटीय क्रेन भाड़ा शामिल नहीं होगा। स्थल पुल द्वारा पारगमन की अवधि लगभग 3 दिन है।

(ग) योजना के ब्यौरे का, भारत में नौवहन में दिलचस्पी लेने वाली पार्टियों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है जिन्होंने कैनाल शिपिंग एजेंसी कम्पनीज़ आफ एजिप्ट से कुछ और सूचना मांगी है।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून

144. श्री एम० कतामुत्तु:

श्री वालदण्डायुतम:

क्या कृषि मन्त्री राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के बारे में 31 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेष राज्यों में भी इसी तरह के कानून कब तक बनाए जाने की आशा है;

(ख) ऐसे नये कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितनी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो सकेगी;

(ग) क्या नए कानून को लागू करने के लिए राज्यों में कोई विशेष विभाग बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) 31 जुलाई ,1972 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 64 के उत्तर में बताया गया था कि केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में नए कानून लागू हैं।

भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिए कानून बनाने के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

(1) केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में अधिकतम सीमा के बारे में संशोधित अधिनियम लागू हैं :

(2) जम्मू और कश्मीर ने भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में एक नया कानून पास किया है।

(3) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने अपनी विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं।

(4) मैसूर और उड़ीसा की विधान सभाओं में विधेयक पेश कर दिये गए है।

(5) आशा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात राज्य अपने अपने विधान मण्डलों में शीघ्र ही विधेयक पेश कर देंगे।

(6) हमें शेष राज्यों से अभी तक कोई विधेयक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिक उत्पादन वाली फसलों में महामारी का फैलना

145. श्री एम० कतामुत्तु: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एकादमी आफ साइंसेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अधिक उत्पादन वाले बीजों की फसलों में महामारी फैलने की अधिक संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसी किसी सम्भावित महामारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि अमरीका की अकैडमी आफ सांइसेज की एक रिपोर्ट एक स्थानीय दैनिक पत्र में एक समाचार के रूप में प्रकाशित हुई थी जिसमें लिखा था कि फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों का और अधिक विस्तार होने से कीटों और महामारियों को संभावना है।

(ख) कृषि विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि किसी क्षेत्र में अनेक प्रकार की किस्में उगाने के बजाय यदि समान अनुवांशिकी तथा एक ही किस्म को एक संहत क्षेत्र में उगाया जाये तो उस समस्त क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की महामारी या कीटों के फैलने का अधिक खतरा रहता है। विभिन्न अनुवांशिकी की तथा विभिन्न किस्में अपनाने से किसी एक ही

प्रकार की महामारी का खतरा कम हो जाता है। इस पहलू की ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ध्यान दे रही है और भारत में वैकल्पिक अधिक उत्पादनशील किस्मों का विकास करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी विस्तृत संहत क्षेत्र में कोई एक ही किस्म न उगाई जाए।

भारत में कीटनाशी औषधियों के प्रयोग का हानिकर प्रभाव

146. श्री राम प्रकाश: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि समस्त विश्व में उपयोग की जाने वाली कीटनाशी औषधियों का विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों पर हानिकर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में वर्ष 1970 से पूर्व पंजीकृत की गई सहकारी समितियों को मकान बनाने हेतु भूमि का आबंटन

147. श्री राम प्रकाश: क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या हैं जो वर्ष 1970 से पूर्व पंजीकृत की गयी थीं और जिन्हें अभी तक दिल्ली में भूमि आबंटित नहीं की गई हैं; और

(ख) कितनी और कौन कौन सी सहकारी समितियों ने समूह आवास योजना को स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) कृपया संलग्न सूची को देखें। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3646/72]**

(ख) 20 सोसाइटियों ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम को स्वीकार किया है। सूची में उनके नामों को तारांकित किया गया है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के समन्वय और उसके विकास को गति देने के लिए एक निकाय की स्थापना

148. श्री राम प्रकाश : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन के समन्वय और उसके विकास को गति देने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय निकाय की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके क्या कार्य होंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां।

(ख) स्थापित केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड की संरचना और कार्य जो निम्न प्रकार से हैं:—

संरचना :

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
नौवहन और परिवहन राज्य मन्त्री भारत सरकार, नई दिल्ली।	उपाध्यक्ष

आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोआ, दमन और दीव, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारी के अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रभारी मन्त्री ।	सदस्य
तीन संसद सदस्य या अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान रखने वाले अन्य गैर सरकारी अधिकारी यथा समय नामांकित किये जाने हैं ।	सदस्य
निदेशक (परियोजना) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।	सदस्य सचिव

कार्य—देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए सामान्य नीतियों और निर्देशिका निर्धारित करना ।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ असहयोग

149. श्री राम प्रकाश: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन के विरुद्ध जांच कार्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये अधिकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मांगी हुई जानकारी एवं मांगे गए कागजात प्रस्तुत करने में जानबूझ कर देरी लगाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे में अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): आरम्भ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रिकार्ड प्राप्त करने में कुछ कठिनाई हुई थी । 26-8-1972 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इन्हें अब प्राप्त कर लिया है ।

खेलों का स्तर सुधारने हेतु कार्यवाही

150. श्री के० बालतडयुतम:
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में खेलों का स्तर सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): देश में खेलों की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न प्रकार से सलाह तथा सहायता देती रही है । पिछले ओलम्पिक खेलों में भारतीय निष्पादन को देखते हुए, सहायता क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है । यह मामला विचाराधीन है ।

राजस्थान में लगातार सूखे की स्थिति को रोकने के लिए कार्यवाही करना

151. डा० हरि प्रसाद शर्मा: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने हाल ही में प्रधान मन्त्री से भेंट करके उन्हें राजस्थान में इस वर्ष की सूखे की भीषण स्थिति और सामान्यता प्रति वर्ष रहने वाली सूखे की स्थिति से अवगत कराया था;

(ख) क्या उनके अनुरोध पर प्रधान मन्त्री ने राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था; और

(ग) क्या उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगातार पड़ने वाले सूखे की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिए कोई तर्क दिया था और यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । प्रधान मन्त्री राज्य का अभी दौरा नहीं कर पायी हैं ।

(ग) जी हां ?

प्रत्यक राज्य द्वारा चावल की वसूली

152. डा० हरि प्रसाद शर्मा: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल के लिए 1 नवम्बर, 1971 से प्रारम्भ की गई चावल की वसूली, लक्ष्य से 25 प्रतिशत कम रही है, और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य क्षेत्र में कुल कितनी कितनी वसूली हुई और उनमें से प्रत्येक के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त वर्ष के दौरान चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ और वह पहले वर्ष के चावल के उत्पादन की तुलना में कैसा था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) 1971-72 के विपणन मौसम में चावल की अधिप्राप्ति में लगभग 25 प्रतिशत की कमी हुई है। 1971-72 मौसम में प्रत्येक राज्य में चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य और चावल की वास्तविक अधिप्राप्ति को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) मुख्यत: कुछेक राज्यों में पहले से की गई प्रत्याशा की अपेक्षा चावल का कम उत्पादन होने, अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित किये गए मूल्यों से खुले बाजार के मूल्य काफी अधिक होने के कारण कम अधिप्राप्ति हुई थी।

(ग) 1971-72 में खरीफ के चावल के अखिल भारतीय उत्पादन के अन्तिम अनुमान 393.391 लाख मी० टन थे जबकि 1970-71 में संशोधित अनुमान 395.588 लाख मी० टन थे।

विवरण

1971-72 विपणन मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्थावित चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य और अब तक (पहली नवम्बर, 1971 से आगे) वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा।

(हजार मीटर टन में)

राज्य	चावल की अधि-प्राप्ति का लक्ष्य	चावल की वास्तविक अधिप्राप्ति	निम्नलिखित तारीख तक स्थिति
आंध्र प्रदेश	350	268	29-10-72
असम	150	87	30-9-72
बिहार	50	28	30-9-72
गुजरात	30	*नगण्य	30-9-72
हरियाणा	360	*316	30-9-72
जम्मू तथा कश्मीर	45	@41	30-9-72
केरल	100	61	31-10-72
मध्य प्रदेश	600	428	30-10-72
महाराष्ट्र	240	184	21-10-72
मैसूर	60	42	30-9-72
उड़ीसा	350	169	30-9-72
पंजाब	750	*863	14-9-72
राजस्थान	—	*नगण्य	30-9-72
तमिलनाडु	500	*169	30-9-72
उत्तर प्रदेश	300	295	21-10-72
पं० बंगाल	325	253	9-10-72
संघ शासित प्रदेश	40	10	30-9-72
जोड़	4250	3214	

*नगण्य 500 मी० टन से कम *1-10-71 से @16-10-71 से

भूमिहीन किसानों की संख्या और उनमें भूमि का वितरण

153. डा० हरि प्रसाद शर्मा:

[श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमिहीन किसानों की संख्या क्या है?

(ख) इस समय भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने एकड़ (i) सिंचित और (ii) असिंचित भूमि उपलब्ध है तथा भूमि सुधारों को लागू करने के बाद कितने-कितने एकड़ भूमि उपलब्ध होगी; और

(ग) भूमिहीनों को भूमि देने के लिए अब तक चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है ; और की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) विभिन्न राज्यों में भूमिहीन कृषकों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सिंचित और असिंचित श्रेणियों की फालतू भूमि के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि राज्य सरकारों ने इससे पहले भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी जो कानून बनाए थे उनके अन्तर्गत फालतू घोषित की गई या अधिकार में लेकर बांटी गई भूमि का विवरण संलग्न है। यह सूचना एकत्रित की जा रही है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानून लागू करने के बाद कितनी भूमि प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) राज्य सरकारों को इसका ब्यौरा देने की सलाह दी गई है।

विवरण

मौजूदा जोतों की अधिकतम सीमा (हजार एकड़ों में)

राज्य	घोषित या अधिकार में लिया गया फालतू क्षेत्र	बांटा गया फालतू क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	74	कुछ नहीं
आसाम	68	1
बिहार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
गुजरात	50	25
*हरियाणा (पैप्सू क्षेत्र)	170	65
जम्मू और काश्मीर	450	450
केरल	10	18
मध्य प्रदेश	84	13
महाराष्ट्र	271	123
मैसूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उड़ीसा	कुछ नहीं	कुछ नहीं
*पंजाब (पैप्सू क्षेत्र)	178	64
राजस्थान	कुछ नहीं	कुछ नहीं
तमिलनाडु	25	17
उत्तर प्रदेश	241	121
पश्चिम बंगाल	794	375

*हरियाणा और पंजाब के गैर पैप्सू क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं है।

रबी के मौसम में खाद्यान्न के उत्पादन का 'द्रुत कार्यक्रम'

154. डा० हरि प्रसाद शर्मा: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबी के मौसम के दौरान 150 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन के लिए एक 'द्रुत कार्यक्रम' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): जी हां। इस वर्ष असामयिक वर्षा होने के कारण खरीफ के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने 1972-73 के रबी/ग्रीष्म के मौसम के दौरान लगभग 150 लाख मीटरी टन अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन संबंधी अभियान तेजी से चलाने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है आपाती कार्यक्रम में गेंहूं, रबी की ज्वार, दालें (मुख्यत: चना) आदि महत्वपूर्ण फसलें सम्मिलित की गई हैं:—

	लाख मीटरी टन
गेहूं	84
रबी/ग्रीष्म कालीन चावल	35
रबी की ज्वार	11
दालें (मुख्यत: चने की)	20
	150

उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है:-

(i) कम तथा असामान्य वर्षा के कारण खरीफ मौसम के दौरान प्राय: मरती रहने वाले क्षेत्रों से रबी की फसलों की खेती के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना ।

(ii) अधिक उत्पादनशील किस्मों (विशेषकर गेहूं) के क्षेत्र का विस्तार करना; इसके अतिरिक्त, समय पर उर्वरकों का उपयोग करके तथा वनस्पति-रक्षण उपाय अपनाकर 'पैकेज प्रणाली' के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने का विचार है।

(iii) सब उपलब्ध साधनों से सिंचाई की व्यवस्था करना और विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित तथा सुझाए गए मिश्रणों का उचित मात्राओं में प्रयोग करके उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों से अधिकतम अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करना ।

भारत सरकार अब तक लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 140.54 करोड़ रुपए के ऋण की प्रशासनिक स्वीकृति दे चुकी है। इन कार्यक्रमों को 31 मार्च 1973 तक कार्यरूप दिया जाना चाहिए ताकि रबी तथा ग्रीष्म की फसलों को लाभ पहुंच सके। लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत किए गए 140.54 करोड़ रुपयों में से सब राज्यों को 25 प्रतिशत प्रथम किस्त में के रूप में 46.28 करोड़ रुपए की रकम दी जा चुकी है और काफी प्रगति करने तथा धन की आवश्यकता अनुभव करने वाले राज्यों को दूसरी किस्त के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है। अनुवर्ती किस्तें समय-समय पर व्यय की प्रगति तथा कार्यक्रमों के कार्य निष्पादन के पुनरीक्षण पर निर्मुक्त की जानी है।

सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की योजनाओं के अतिरिक्त आपाती उत्पादन कार्यक्रमों में बीजों की सप्लाई (विशेषकर मध्यवर्ती, रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए) कीटनाशी औषधि तथा वनस्पति रक्षण उपकरणों की सप्लाई, हवाई छिड़काव तथा उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था करना सम्मिलित है। अब बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधि आदि

आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए और बड़े पैमाने पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब तक राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋण के रूप में 74.50 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है।

राज्य सरकारों ने समस्त स्तरों पर क्रियान्वयन के कार्य को गतिमान कर दिया है ताकि आपाती उत्पादन कार्यक्रम समय पर पूर्ण हो सके। कृषि उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न विकास विभागों तथा अन्य एजेन्सियों के संसाधनों एवं प्रयत्नों का पूर्ण समन्वय करने के लिए राज्य, जिला तथा निचले स्तरों पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं। क्षेत्र अधिकारी के रूप में नियुक्त कृषि मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं ताकि क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में पूरी तरह से निगरानी रखी जा सके। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में भारत सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें।

1972-73 के दौरान चावल का आयात

155. श्री जगन्नाथ मिश्र: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के दौरान चावल का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और किन किन देशों से चावल आयात करने का विचार है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख): इस समय किसी देश विशेष से चावल का आयात करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में अनियमित बस सेवा का विरोध

156. श्री जगन्नाथ मिश्र:
श्री आर० पी० उलगनम्बी:

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में दिल्ली अनियमित बस सेवा के विरुद्ध जनता और विशेषकर छात्रों द्वारा रोष और विरोध प्रकट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में बस सेवा का सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और उठाने का विचार है ?

संसदीयकार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख): दिल्ली परिवहन निगम की बसों को कभी कभी बहुत हद तक उन कारणों से दंगई और उग्र तत्वों के आक्रमणों का निशाना बनाया गया है, जिनका बस सेवाओं की प्रकृति या स्वरूप के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था और कभी उक्त सेवाओं के बारे में शिकायतों के तथाकथित आधारों पर भी ऐसा किया गया है।

जहां तक विद्यार्थी समुदाय का सम्बन्ध है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों कालेजों के प्रिंसिपलों और विद्यार्थी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। इस विचार विमर्श के दौरान और बाद में विद्यार्थियों द्वारा अतिरिक्त परिवहन के लिए की गई मांगों को यथासम्भव पूरा किया गया है। दिल्ली परिवहन निगम मई, 1972 में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 408 विशेष फेरों का परिचालन कर रहा था। जुलाई, 1972 में कालेजों के फिर से खुलने के बाद इन फेरों की संख्या बढ़ाकर 515 कर दी गई। विद्यार्थियों के लिए विशेष फेरों की संख्या को और भी बढ़ाकर 591 कर दिया गया है।

जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है, संसद सदस्यों, महानगर परिषद के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं, जिनमें बस सेवाओं को सुधारने के लिए कदम उठाने हेतु विचार विमर्श किया गया, कुछ रिहायशी कालोनियों की कल्याण संस्थाओं के साथ भी विचार विमर्श किया गया है और यथा संभव उनकी परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की मांगों को पूरा किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े की शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। 3-11-71 से निगम की स्थापना के बाद, 294 बसों के लिए आर्डर दिए गए हैं। इनमें से 31 अक्तूबर, 1972 तक 268 बसें प्राप्त की जा चुकी थीं। दूसरी 425 बसों के लिए भी निर्माताओं को आर्डर दिये गए हैं। इनमें से 250 बसों की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और शेष 175 की अगले वर्ष में प्राप्त होने की आशा है। जब इन सब बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा तो विद्यार्थियों सहित यात्री जनता की सुविधा के लिए अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था करना संभव हो जाएगा।

'अमान' फसल बेकार हो जान क कारण देश के पूर्वी भाग में चावल की सप्लाई

157. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश के पूर्वी भाग में सूखे की स्थिति के कारण गत वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत भी 'अमान' फसल का उत्पादन नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन की पूरी कमी को केन्द्रीय भण्डार से पूरा किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार देश के पूर्वी भाग को कितने चावल की सप्लाई करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे): (क): देश के पूर्वी भाग में 'अमान' फसल की पैदावार में सम्भावी कमी का ठीक ठीक अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों की उचित जरूरतों को पूरा किया जायेगा।

1972 के दौरान चीनी का निर्यात तथा उसका उत्पादन-लक्ष्य और देश में उसकी कमी

158. श्री प्रियरंजन दास मुंशी:

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस वर्ष चीनी के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1972 तक भारत से कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) क्या मन्त्रालय ने देश में चीनी की हाल ही में हुई कमी और उसके ऊंचे मूल्य के सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क): मौजदा संकेतों के अनुसार इस वर्ष लगभग 36 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन होने की आशा है।

(ख) 98,027 मी० टन।

(ग) चीनी की मौजूदा कमी गन्ने के क्षेत्र में कमी होने और उत्तर भारत में बाढ़ों और दक्षिण भारत के कुछ भागों में सूखे से गन्ने की फसल को क्षति पहुंचने के कारण मुख्यत: 1971-72 में इसके उत्पादन में कमी होने से हुई है।

खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) चीनी के उत्पादन में कमी;

(2) द्रुत शहरीकरण और चीनी के लिए उपभोक्ताओं की तरजीह के कारण चीनी की मांग में वृद्धि होना;

(3) गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर आधारित नियंत्रित मूल्य पर चीनी का अधिकांश भाग अधिग्रहण करना और उद्योग को खुले बाजार में बिकने वाली चीनी से अपनी वास्तविक उत्पादन लागत के अन्तर को पूरा करना; और

(4) व्यापारियों द्वारा कमी की स्थिति का फायदा उठाना जिससे बाजार मूल्यों में बढ़ोत्तरी का रुख आना।

ओर हैन्डलिंग प्लान्ट, विशाखापटनम पत्तन के कर्मचारियों को डस्ट एलाउन्स देना

160. श्री समयर मुखर्जी : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम पत्तन के ओर हैण्डलिंग प्लान्ट के कर्मचारियों को डस्ट एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है,

(ख) क्या पारादीप पत्तन के इसी श्रेणी के कर्मचारियों को डस्ट एलाऊन्स दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशाखापटनम पत्तन के ओर हैण्डलिंग कर्मचारियों को डस्ट एलाउन्स देने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) उन्हें डस्ट एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है।

(ख) जी हां, उन्हें मार्च, 1972 से जून 1972 तक डस्ट एलाउन्स दिया गया।

(ग) अपने ओर हैण्डलिंग प्लान्ट के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए विशाखापटनम पत्तन न्यास ने व्यापक उपाय किये हैं और यह काफी आवर्ती और अनावर्ती व्यय कर रहा है। इन उपायों की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि उनमें और सुधार किया जा सके। एक विशेषज्ञ समिति जिसने गोदी मजदूरों में सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का सर्वेक्षण किया और यह विचार व्यक्त किया है कि नकद भत्ते के रूप में कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे भत्ते से किसी जोखिम का प्रतिकार नहीं हो सकता। अतः सरकार कोई डस्ट एलाउन्स देने की अपेक्षा आवश्यक बचाव उपायों की व्यवस्था करने की इच्छुक है। पारादीप में ऐसे एलाउन्स दिये गए क्योंकि डस्ट बला के नियंत्रण के सभी उपाय अभी नहीं किए गए हैं। उनको सभी बचाव उपाय के अनुपालन के लिए कहा गया है।

खाद्यान्नों एवं खाद्य तेलों की उचित मूल्य पर सप्लाई

161. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रतिवेदनों के कर्मचारियों को अधिक बोनस तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की घोषणा से खाद्यान्नों के भाव और बढ़ गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्नों और खाद्य तेलों को लोगों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है जिससे कि मूल्यों में वृद्धि रोकी जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने, मानसून के असफल रहने, बड़े उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा स्टाक रोक लेने, बंगला देश को निर्यात करने और जनता के पास अधिक मुद्रा हो जाने के कारण हुई है।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों के सरकारी वितरण को सशक्त बनाएं तथा उसका विस्तार करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे विशेषतया दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों, में, जहां आवश्यक हो, नई उचित मूल्य की दुकानें खोलें और आदिम जनजाति क्षेत्रों में उन लोगों के लाभ के लिए भी उचित मूल्य की दुकानें खोलें। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश उपभोक्ता सहकारी समितियां उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य कर रही हैं। ये उपभोक्ता सहकारी-समितियां नियंत्रित जिन्सों के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा खाद्यान्न, दालें और खाद्य तल बेचती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी विपणन समितियां और सेवा समितियां उचित मूल्य की दुकानें चला रही हैं।

खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि की सीमा निर्धारित करना

162. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:

श्री राम कंवर:

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों में खुले बाजार में बिक्री के लिए दी गई चीनी के भाव उचित मूल्य की दुकानों पर बेची जाने वाली चीनी के भावों से दुगने से भी अधिक हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी के भावों में सहसा इतनी तेजी आने के कारण का विश्लेषण किया है;

(ग) क्या सरकार ने खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के भावों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विचार किया है जिससे कि व्यापारी अधिक मूल्य न बढ़ा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और यदि यह सीमा निर्धारित की जानी है तो कब तक की जायेगी?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) यह ठीक है कि खुली बिक्री की चीनी के मूल्य जो कि इस समय 336 रुपए और 342 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं, लेवी चीनी के मौजूदा मूल्य से काफी अधिक हैं यह मूल्य समान रूप से 200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ): जी नहीं, चीनी की आंशिक नियंत्रण की मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियन्त्रित करना सम्भव नहीं है। इस प्रणाली को जारी रखना चीनी के उत्पादन में दीर्घकालिक आधार पर वृद्धि करने के हित में है।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल शिक्षा

163. श्री पी० वेंकटासुब्बया:
श्री एम० के० कृष्णन:

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल शिक्षा लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसमें कितना धन व्यय होगा और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव) (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 तक 6–11 वर्ष आयुवर्ग और 1980-81 तक 11–14 व आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) लगभग 1600 करोड़ रुपये के कुल खर्चे का अनुमान है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में से इस खर्चे को वहन करने का प्रस्ताव है। तथापि, पांचवीं पन्चवर्षीय योजना से सम्बन्धित नीतिका अंतिम रूप से निर्णय होने के बाद ही निधियों की उपलब्धि के बारे में पता चल सकेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों का मूल्य

164. श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के मकानों का निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत लागत मूल्य कितना कितना है तथा उनका विक्रय मूल्य क्या है, (1) मकान पर हुआ व्यय (2) भूमि पर आयी लागत (3) संस्थापना तथा लखा परीक्षा सम्बन्धी व्यय (4) औजार तथा मशीनों आदि पर व्यय (5) बिजली लगान पर व्यय (6) विभागीय तिशतता; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों का विक्रय मूल्य बम्बई के आवासीय बोर्ड द्वारा रखे गए विक्रय मूल्य से अधिक है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग में निर्मित मकानों की कीमत 12,000 रुपए से 23,500 रुपए प्रति मकान है, तथा मध्यम आय वर्ग में यह 22,500 रुपए से 40,000 रुपए तक है। हाल ही में इन वर्गों के बेचे गए मकानों की कीमत का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किये जाने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा बनाई गई निम्न तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत बम्बई का आवास बोर्ड मकान बना सकता है। निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत एकमकान के निर्माण की अधिकतम लागत 18,000 रुपए है (जिसमें विकासित भूमि की लागत शामिल नहीं है) तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 42,000 रुपए हैं जिसमें (विकासित भूमि की लागत शामिल नहीं है।)

आवास-बोर्ड, बम्बई तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के मकानों के विक्रय मूल्य की तुलना करने का कोई अवसर नहीं मिला।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्यम आय वर्गों की आवास योजनाओं के अन्तर्गत हाल ही में बेचे गए मकानों की कीमतों का ब्यौरा।

	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग
	रुपए	रुपए
(1) भवन की लागत	14,343	24,246
(2) भूमि की लागत	2,600	5,600
(3) संस्थापना की लागत (लेखा परीक्षा को छोड़कर)	533	880
(4) उपकरणों तथा संयन्त्रों की लागत	(जो मद संख्या (6) में सम्मिलित है)	
(5) बिजली लगाने की लागत	1,205	2,150
(6) विभागीय प्रभार टी० एण्ड पी० तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रभार	2,319	3,825
(7) निर्माण के दौरान राशि पर ब्याज	2,000	3,299
कुल लागत जिसमें बेचे गए:	23,000	40,000

जनकपुरी रिहायशी बस्ती, दिल्ली

165. श्री महादीपकसिंह शाक्य: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित रिहायशी बस्ती, जनकपुरी को अभी तक दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने अन्तर्गत नहीं लिया गया है और नागरिक सुविधाओं, जैसे, सड़कों, पार्कों, और पानी के सम्भरण के कार्य की देखभाल दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा की जाती है परन्तु न तो नगर निगम और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण सफाई कार्यों की देखभाल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम को इन अलाटियों पर गृह कर लगाने का अधिकार है ?

स्वास्थ्य और परिवारनियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस कालोनी को सेवाएं दिल्ली नगर निगम ने अभी तक अपने अधिकार में नहीं ली हैं। सड़कों, पार्कों, जल सप्लाई तथा मल निकास की सेवाओं के अनुरक्षण की देखभाल दिल्ली विकास प्राधिकरण करती है। हाल ही में निगम ने कुछ सफाई स्टाफ की स्वीकृति दी है, जो इन पदों को भरने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है।

(ख) जी, हां, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 114(1) के अन्तर्गत। तथापि, सफाई कर तथा जलकर उस स्थिति में लगाए जाते हैं जब ये विशेष सेवाएं उपलब्ध हों, जैसा कि अधिनियम की धारा 115(1) तथा उसके अधीन बनाए गए उपनियमों में व्यवस्था है।

वृद्धावस्था पेंशन

166. श्री महादीपक सिंह शाक्य: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में 29 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन का भुगतान करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है, यदि हां, तो किस तिथि से; और

(ख) कितने मामलों में पेंशन का भुगतान अभी आरम्भ नहीं किया गया है और विलम्ब के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (प्रो० डी०पी० यादव) : (क) और (ख) : वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 1972 से अनुमोदित की गई थी। उससे पहले वृद्धावस्था पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती थी, जो पंजाब में यह पेंशन प्राप्त कर रहे थे और कुछ इलाकों के हिमाचल प्रदेश में मिल जाने के कारण उसके अन्तर्गत आ गए थे। उस 260 व्यक्तियों के अतिरिक्त जो पंजाब सरकार से पहले ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे, 1568 मामलों को वृद्धावस्था पेंशन की अदायगी के लिए नई योजना के अधीन मंजूर किया गया था। पर्याप्त धन न होने के कारण वास्तविक अदायगी नहीं की जा सकी। हिमाचल प्रदेश विधान मण्डल द्वारा जब पूरक मांग पास कर दी जाएगी तो पूर्वप्रभावी रूप से अदायगी की जाएगी।

झगड़ों के कारण विश्वविद्यालयों का बंद होना

167. श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झगड़ों के कारण हाल के महीनों में कौन कौन से विश्वविद्यालय समय से पूर्व ही बन्द कर दिये गए थे, और

(ख) उनमें से कितने विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप से कार्य आरम्भ हो गया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नरुल हसन): (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में वनस्पति कारखानें की स्थापना

168 श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र में एक वनस्पति कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, यदि हां तो उसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है;

(ख) इस उदेश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इस कारखाने में अनुमानतः कितना उत्पादन होगा और उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) देश में सरकारी क्षेत्र में वनस्पति कारखाना स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

हारवेस्टर कम्बाइन्स का आयात

169. श्री मुख्तियार सिंह मलिक:
श्री आर० पी० उलगनम्बी:

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'हारवेस्टर कम्बाइन्स' आयात किए हैं अथवा उन्हें आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) किन देशों से इनका आयात किया गया है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): वर्ष 1971 के शुरू से जो कम्बाइन हारवेस्टर आयात किय गए उनकी स्थिति इस प्रकाय है:—

जिस देश से आयात किये गए	मेक	संख्या	लगभग विदेशी मुद्रा
पूर्वी जर्मनी	ई 512	50	50.00 लाख रुपए
पश्चिम जर्मनी	जान डीरी	50	44.29 ,, ,,
जापान	आइसेकी	15	2.85 ,, ,,
रूस	सी०के०—4	6	4.29 ,, ,,
रूस	एस०के०पी०आर०—4	3	उपहार स्वरूप प्राप्त

पश्चिम जर्मनी से 50 जान डीरी कम्बाइन हारवेस्टर, रूस से 40 एस० के०पी०-4ए कम्बाइन हारवेस्टर और पूर्वी जर्मनी से 100 ई० 512 कम्बाइन हारवैस्टर और आयात सम्बन्धी प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किय जा चुके हैं। रूस से धान व गेहूं के लिए 4 हारवैस्टर कम्बाइन आयात करने का भी प्रस्ताव है। इसमें खर्च आने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में ठेकों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही पता चलेगा।

विश्व बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत कुछ राज्यों के लिए कम्बाइन हारवैस्टर आयात करने का भी विचार है।

सरकारी ऋण से दिल्ली में गृह निर्माण योजना की क्रियान्विति में धीमी प्रगति

170. श्री मुख्तियार सिंह मलिक: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गृह निर्माण के लिए पंजीकृत गृह निर्माण समितियों तथा व्यक्तियों को ऋण देकर आवास योजनाओं की कार्यान्विति में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) समितियों और व्यक्तियों को इस उद्देश्य के लिए ऋण देने की गति को कब तक तेज किया जा सकेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय : (क) तथा (ख): दिल्ली प्रशासन निम्नलिखित आवास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें लोगों को तथा उनकी सहकारिताओं को दिल्ली में मकान बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है:—

(1) मध्यम आय वर्ग आवास योजना;

(2) निम्न आय वर्ग आवास योजना; तथा

(3) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।

उपरोक्त योजनाओं का कार्यान्वियन मुख्यत: वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जो कि सीमित हैं। इस नियन्त्रण को देखते हुए व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में इन योजनाओं के कार्यान्वियन में हुई प्रगति की गति को कम नहीं समझा जाता। तथापि, वित्तीय साधनों की कमी के कारण सहकारिताओं को अभी तक ऋण देना सम्भव नहीं हो सका

है। "दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति सीमित" नाम से एक वित्त प्रबन्ध करने वाली समिति अब पंजीकृत कराई गई है ताकि इस समिति से सम्बद्ध आवास सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जा सके तथा इस उद्देश्य से ऋण लेने के लिए यह समिति जीवन-बीमा निगम से बातचीत कर रही है।

2. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना नाम की एक दूसरी योजना के अन्तर्गत जिसमें व्यक्ति विशेष को ऋण देने की व्यवस्था नहीं है, औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारिताएं मकान बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन से ऋण प्राप्त करती हैं।

देश में चीनी के कारखानों की स्थिति

171. श्री मुख्तियार सिंह मलिक: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी के कुछ कारखानों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या चीनी के अनेक कारखाने बन्द पड़े हैं,

(ग) इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या देश में चीनी के ऐसे कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख): 1971-72 मौसम के दौरान 229 चीनी कारखानों में से केवल 9 कारखानों ने काम नहीं किया। इस वर्ष की स्थिति दिसम्बर तक मालूम हो सकेगी जबकि पेराई मौसम परे यौवन पर होगा।

(ग) नौ चीनी कारखानों ने मुख्यत: गन्ने की अनुपलब्धि और वित्तीय कठिनाइयों के कारण काम नहीं किया।

(घ) सरकार ने विशेषकर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में उसके कार्यचालन का विस्तृत और व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए पहले ही चीनी उद्योग जांच आयोग नियुक्त कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

बिहार में दुर्भिक्ष और सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता

172. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह:

श्री एम० एस० पुरती:

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को भारी सूखे का सामना करना पड़ा था और इसकी आधी जनसंख्या दुर्भिक्ष की स्थिति का सामना कर रही है, और क्या राज्य में भूख के कारण 300 मौतें हुईं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार राज्य में 250 करोड़ रुपए की लागत की फसलों की हानि हुई है; और

(ग) केन्द्र ने बिहार राज्य को कितनी सहायता दी और भूख के कारण मौतों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के लगभग 1.92 करोड़ जनसंख्या वाले 13 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भूख के कारण मौतों के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) सूखे के कारण हुई क्षति के पक्के अनुमान बताना बहुत जल्दबाजी होगी। तथापि राज्य में खरीफ की फसल की सम्भावनाओं में जो कि पहले बहुत कम दिखाई देती थी, मौसम के उत्तरार्ध में वर्षा होने के परिणामस्वरूप सुधार हुआ है।

(ग) सूखे से सम्बन्धित राहत उपायों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन हेतु 3.45 करोड़ रुपए के खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आपातिक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 17.17 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है जिसमें से 4.295 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। दुर्लभ कृषि आदानों के लिए भी 7.00 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

राज्य सरकार ने कई राहत उपाय शुरू किए हैं जिनमें टैस्ट राहत कार्य खोलना, जनसंख्या के दुर्बल वर्गों को मुफ्त सहायता देना और उनके लिए मुफ्त आहार कार्यक्रम शुरू करना शामिल हैं। इसके अलावा, सामान्य विभागीय कार्यों में भी वृद्धि कर दी गई है। राज्य में सरकारी वितरण प्रणाली में विस्तार कर दिया गया है और राज्य सरकार की खाद्यान्न संबन्धी सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

युवक रेली का आयोजन

173. श्री एम० एस० पुरती: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय नवम्बर, 1972 को अखिल भारतीय आधार पर एक युवक रैली का आयोजन करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या ऐसे समय पर जबकि देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट है इस कार्यक्रम का आयोजन करने के विरुद्ध माता-पिताओं और जनता से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सम्पूर्ण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या महत्व है और राज्यवार इस कार्यक्रम के लिए कुल कितना रुपया निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख): जी, हां। मन्त्रालय को ऐसी किसी भी शिकायत के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) शारीरिक स्वस्थता के प्रदर्शन के एक ऐसे समान कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का विचार है, जिसमें रैली में बड़ी संख्या में युवकों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लेना, विभिन्न प्रकार के समूह व्यायाम, सामुहिक गान तथा लोक नृत्य प्रस्तुत करने का प्रस्ताव शामिल है और जिसमें 5,000 (छोटे राज्यों के लिए 2,000 तथा दिल्ली के अलावा अन्य संघ क्षेत्रों के लिए 1,000) युवक भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों को सभी राज्यों में एक ही समय यथा एक ही दिन आयोजित करने का यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से शारीरिक शिक्षा के महत्व और उसकी उपयोगिता की विशिष्टता सिद्ध होगी तथा आत्म विश्वास की भावना का विकास होगा और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। राज्य सरकारों को जो कि राज्यों की राजधानियों में रैली आयोजित करने के लिए उत्तरदायी हैं, प्रत्येक को एक एक लाख रुपए (जिन रैलियों में 2,000 बच्चे भाग रहे हैं, उन्हें 40,000 रुपए तथा जिनमें 1,000 भाग लेने वाले हैं, उन्हें 20,000 रुपए) का अनुदान दिया जा रहा है। दिल्ली की राष्ट्रीय रैली में जो कि मन्त्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जा रही है, 15,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है।

युवक रैली कार्यक्रम क पूर्वाभ्यास के समय नेशनल स्टडियम, दिल्ली में झगड़ा

174. श्री एम० एस० पुरती: क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1972 को युवक रैली कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास के समय नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में झगड़ा हो गया था जिसके परिणामस्वरूप उड़न दस्ते को बुलाना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उचित अनुशासन बनाए रखने में असफल रहने वाले कार्यक्रम के अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग): दिल्ली प्रशासन से पता चला है कि 12 अक्तूबर, 1972 की दोपहर को जब राष्ट्रीय स्टेडियम के अहाते में भारतीय

व्यायाम संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवक रैली तथा व्यायाम प्रतियोगिता का पूर्वाभ्यास हो रहा था, तब अचानक उन छात्रों में झगड़ा उत्पन्न हो गया, जो इस प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे थे। व्यायाम संघ के एक अधिकारी ने पुलिस को सूचित किया, जो बाद में स्टेडियम में शीघ्र पहुंच गई।

प्राप्त सूचना के अनुसार एक छात्र की आंख में मामूली चोट आई है। उसे शीघ्र अस्पताल ले जाया गया, तथा प्रथम उपचार कराने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। छात्र को न तो इस बात की जानकारी थी कि उसे यह चोट कैसे आई अथवा किस छात्र ने उसे यह चोट मारी न ही वह इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहता था।

अधिकारी तो सभी नियंत्रण करते हैं, किन्तु उत्तम प्रबन्ध करने के बावजूद यह झगड़ा हो गया। सरकार इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।

Demand by All India Farmers' Conference with regard to ceiling on Agricultural Land

175. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether All India Farmers' Conference has demanded that ceiling on agricultural land may not be fixed without any reference to income and the general policy in regard to prices;

(b) the other suggestions made to Government by this Conference; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of India is not aware of any such demand having been made by the All India Farmers' Conference.

(b) & (c): Does not arise.

भारत में कैंसर रोग के मामलों का सवक्षण

176. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:
श्री ई०वी० खिडे पाटिल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कैंसर रोग के मामलों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस घातक रोग का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): मैनपुरी जिले में किए गए कार्य के अतिरिक्त मुंह के कैंसर के विषय में अभी तक कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस जिले में प्रति वर्ष एक लाख की आबादी के पीछे 21.4 व्यक्तियों को मुंह का कैंसर हुआ है तथा यही अनुपात तम्बाकू चबाने और पीने तथा मुंह के कैंसर के बीच भी है।

(ग) कैंसर की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 55 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चितरंजन राष्ट्रीय कसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता तथा कैंसर संस्थान, मद्रास, की सहायता की जा रही है।

देश में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की स्थापना करने हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत में बच्चों की खुराक

177. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किये गए सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में बच्चों की खुराक में पोषक तत्वों की बहुत कमी रहती है; और

(ख) यदि हां, तो बच्चों की और विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों की खुराक में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) स्कूल पूर्व बच्चों में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि अल्प आयु वाले वर्गों के बच्चों के आहार में बहुत से पौष्टिक तत्वों खासकर, कैलोरी, विटामिन ए, राइबोफ्लीविन, लौह और प्रोटीन की कमी होती है।

(ख) बच्चों के भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं चलाई हैं जो इस प्रकार हैं:—

अल्पकालिक उपाय :

(1) विशेष पोषण कार्यक्रम,

(2) विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली अन्धता की रोकथाम के उपाय

(3) माताओं और बच्चों में व्याप्त पोषणज अरक्तता के उपचार की व्यवस्था।

दीर्घकालिक उपाय:

(1) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम,

(2) मिश्रित पोषण कार्यक्रम,

(3) बच्चों का दूध छुड़ाने के लिए स्थानीय रूप मे उपलब्ध खाद्यान्नों के आधार पर उनके भोजन की व्यवस्था करना और उसे लोक प्रिय बनाना,

(4) बाल वाड़ियों के माध्यम से पूरक भोजन कार्यक्रम,

(5) विटामिनों के उचित परीक्षण तथा पौष्टिक खनिज पदार्थों से बने भोजनों की मार्गदर्शी परियोजना।

(6) राज्य पोषण प्रभागों द्वारा गहन संचार एवं विस्तार (पोषण शिक्षा) की मार्गदर्शी परियोजना।

(7) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

तट रक्षक सेवा की स्थापना

178. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट रक्षक सेवा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्या बातें क्या हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर): (क) एक नभ-जल रक्षा संगठन पहले ही से मौजूद है, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, व्यापारी पोत और पत्तन जलयान भाग ले रहे हैं। अतएव एक अलग तट रक्षक सेवा चालू करने से संगठन के कार्य की आवृत्ति ही होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिलावटी तल से पक्षाघात का रोग

179. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

डा० रानेन सेन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1972 के 'हिन्दू' नामक समाचार पत्र में 'मिलावटी तेल से पक्षाघात का रोग' (अडल्ट्रेटड आयल कॉजिंग पैरालासिस) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई अनुसन्धान या सर्वेक्षण कराया है, यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) सरसों का मिलावटी तेल बेचने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जनता को मिलावटी वस्तुओं के उपयोग से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि सरसों के तेल में त्रि-क्रीसिलफोस्फेट मिलाया गया है ।

(ग) दक्षिणी दम-दम नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है।

(घ) सरकार इस पर निरन्तर निगरानी रखे हुए है। खाद्य नमूनों की बार-बार जांच करने पर वहां खाद्यानों में कोई मिलावट नहीं मिली है ।

सड़क परिवहन कम्पनियों के लिए संयुक्त कराधान की क्षेत्रीय प्रणाली

180. श्री एम० रामागोपाल रेड्डी: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन कम्पनियों के लिये संयुक्त कराधान की क्षेत्रीय प्रणाली चालू करने का एक प्रस्ताव है । और इसके अन्तर्गत क्या उन्हें प्रत्येक राज्य को कर की निश्चित राशि देनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीयकार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मोहता): (क) जी हां ।

(ख) माल गाड़ियों के लिए अन्तर्राज्यीय परमिटों की मंजूरी राज्य सरकारों में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय करारों द्वारा विनियमित की जाती है । द्विपक्षीय करारों के मामले में मोटर गाड़ी के परिचालक को पारस्परिक आधार पर उस राज्य में जिसमें उसने जाना है, मोटर गाड़ी कर से राहत मिलती है । अन्तर्राज्यीय लम्बे मार्गों में, जिसमें दो से अधिक राज्य पड़ते हों, सड़क करों की अदायगी के सम्बन्ध म सामान्य नियम यह है कि सीमावर्ती राज्य वाहरी परिचालक को मोटर गाड़ी कर से छूट देता है परन्तु पारगमन राज्य माल कर एवं मोटर गाड़ी कर दोनों वसूल करता है। अतः इन करों की अदायगी परिचालकों पर भारी बोझ सिद्ध होता है । यहां करों की दर वसूल करने की एजेन्सी, अदायगी का ढंग आदि में भी एकरूपता नहीं है । सम्बधित जोन में एकल स्थान पर कर के भुगतान के आधार पर तथा परमिटों के बिना प्रति हस्ताक्षर के माल गाड़ियों के बिना रुकावट आवागमन में परिचालकों की सहायता करने हेतु अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने दक्षिणी,पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी तथा केन्द्रीय जोन जैसी कई जोनल परमिट योजनाएं शुरू की हैं । जोनल योजना के अन्तर्गत, एक संयुक्त परमिटधारी को "गृह" राज्य के मालगाड़ी कर और माल कर को छोड़कर मोटर गाड़ी कर और माल कर दोनो की अपेक्षा गृह राज्य को छोड़कर परिचालन के लिए चयन की गई प्रत्येक राज्य को चुकाना होता है ।

गैर सरकारी मेडिकल कालिजों को सरकारी अधिकार में लेना

181. श्री बी० के० दास चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैपीटेशन फीस लेने वाले गैर सरकारी मेडीकल कालेजों को अपने अधिकार में लेने का विचार छोड़ दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) और (ख) : ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद तथा भारी खर्च को देखते हुए भारत सरकार ने

कैपीटेशन फीस लेने वाले गैर सरकारी मेडिकल कालेजों को अपने अधिकार में लेने का विचार छोड़ दिया है। फिर भी, राज्य सरकारों आदि से अनुरोध किया गया है कि वे कैपीटेशन फीस लेने वाले और कोई चिकित्सा कालेज न खुलने दें।

प्रत्यक राज्य के बड़े शहरों में गंदी बस्तियों के सुधार के लिये मंजूर की गई राशि

182. श्री बी० के० दास चौधरी: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बड़े शहर में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): गन्दे क्षेत्रों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना फिलहाल देश के उन 11 शहरों की गन्दी बस्तियों पर लागू है जिनकी जनसंख्या 8 लाख से कम नहीं है। योजना के अधीन पेय जल, नालियों, सामूहिक स्नानघर तथा शौचालय, वर्षा के पानी के लिए नालियां, सड़कों पर रोशनी तथा वर्तमान गलियों को चौड़ी करने तथा पक्की बनाने के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की जाती है। योजना के अधीन चालू वर्ष में विभिन्न शहरों के लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्था की गई है :

शहर का नाम	राशि (करोड़ रुपयों में)
1. कलकत्ता	3.5
2. बम्बई	2.5
3. दिल्ली	2.5
4. मद्रास	2.5
5. हैदराबाद	1.5
6. अहमदाबाद	1.5
7. बंगलौर	1.5
8. कानपुर	1.5
9. पूना	1.0
10. नागपुर	1.0
11. लखनऊ	1.0

उन शेष राज्यों की राजधानी अथवा किसी अन्य प्रमुख शहर में स्कीम लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है, जिन के किसी भी शहर को फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया।

दिल्ली के सरकारी इमारतों में सफेदी करना

183. श्री बी० के० दास चौधरी:

श्री शंकर देव:

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के लिए दिल्ली में बने सरकारी मकानों में इस वर्ष सफेदी न कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार बहुमंजिले मकानों के लिये अलग से विचार करेगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) : बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन से पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए, किफायत के तौर पर 18-11-1971 को सरकार ने रिहायशी तथा गैर-रिहायशी सभी भवनों में सफेदी, मरम्मत, छोटे निर्माण तथा परिवर्धन/परिवर्तन करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

दिसम्बर, 1971 में इस प्रतिबन्ध में यह रियायत दी गई थी कि रिहाशी भवनों के स्नानगृहों तथा रसोईघरों में, किराएदार के बदलने पर विभागीय तौर पर सफेदी करवाई जाए।

मार्च, 1972 में इस प्रतिबन्ध में यह और ढील देने का निर्णय किया गया कि (i) जिन भवनों में 1971-72 के वर्ष में सफेदी नहीं हुई थी उनमें सफेदी कर दी जाए; तथा (ii) राज्य सभा के नये निर्वाचित सदस्यों को आबंटित निवास स्थानों में सफेदी/डिस्टेम्परिंग कर दी जाए।

(ग) जी, नहीं। सफेदी के मामले में, बहुमंजिले तथा अन्य भवनों में भेदभाव करना सरकार वांछनीय नहीं समझती।

डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में चाय की अनधिकृत दुकान

184. श्री बी० के० दास चौधरी: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में बनाई गई चाय की अनधिकृत दुकान को हटा दिया गया है और ठेकेदार को काम पूरा होने का प्रमाणपत्र' (क्लीअरेंस सर्टिफिकेट) जारी कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख): चाय के स्टाल को नहीं हटाया जा सका क्योंकि स्टाल के मालिक ने न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिया है। कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को वांछित प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

देश में सांस्कृतिक केन्द्र

185. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे सांस्कृतिक कन्द्रों क नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) निकट भविष में देश में खोले जाने वाले नए केन्द्रों के नाम क्या हैं और कहां कहां पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) : दिल्ली में एक सांस्कृतिक उप भवन की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

देश क कुछ सांस्कृति केन्द्रों की एक सूची, राष्ट्रीय एकादमियों से संबंधित खोसला समिति की रिपोर्ट में दी गई हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तथापि, मौजूदा सांस्कृतिक केन्द्रों के नाम और स्थान तथा देश में खोले जाने वाले नये केन्द्रों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार ग्रामीण आवास योजना

186. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण आवास के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए कुल कितनी राशि आबंटित की है; और

(ग) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग): ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम राज्य क्षेत्र में है। राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता अब किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष के साथ सम्बन्ध किए बिना खण्ड ऋणों तथा 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएं बनाने तथा उनके लिए व्यय की स्वीकृति देने में स्वतन्त्र हैं, तथा उन्हें केन्द्रीय सरकारों को योजनाएं भेजनी नहीं पड़तीं।

2. तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की एक दूसरी योजना अर्थात 'ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना' के बारे में बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 63.14 लाख रुपए के खर्च के इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

फरीदाबाद, हरियाणा में सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना

187. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद, हरियाणा में स्थापित किये जा रहे सोयाबीन परिष्करण संयंत्र परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): भारतीय खाद्य निगम यूनिसेफ के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में सोयाबीन विधायन संयंत्र की स्थापना कर रहा है।

इस परियोजना पर अनुमानत: कुल लगभग 2.0 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा जिसमें से यूनिसेफ उपकरणों की लागत और तकनीकी परामर्श के लिए 8.79 लाख डालर (60.0 लाख रुपये) सुलभ करेगा।

इस संयंत्र की प्रारम्भिक क्षमता 100 मीटरी टन प्रति दिन होगी जिसे बढ़ा कर 250 मीटरी टन प्रति दिन किया जा सकेगा।

इस विधायन संयंत्र का प्रमुख उत्पादन खाने योग्य वसारहित और पूर्णतया वसायुक्त सोया आटा होगा जिसे पौष्टिक आहार का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और इसके अन्य उत्पादन सोया तेल, वाणिज्यिक किस्म का आहार और सोया भूसी होंगे।

'ओपन युनिवर्सिटी' की स्थापना

188. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी:

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक 'ओपन युनिवर्सिटी' स्थापित करने की योजना पर विचारा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्या बातें क्या हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो०एस०नुरुल हसन): (क) और (ख) : देश में 'खुला विश्वविद्यालय' स्थापित करने का प्रस्ताव अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उस पर विचार हो रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम की स्थापना के बाद दिल्ली में बस सेवा का बिगड़ना

189. श्री सुखदेव प्रसाद बर्मा: क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डरटेकिंग के दिल्ली परिवहन निगम में बदलने के बाद बस सेवा और भी अधिक बिगड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो बस सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार कौन से उपाय कर रही है ?

संसदीयकार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं। दिल्ली परिवहन निगम 3 नवम्बर 1971 को अस्तित्व में आया। निम्नलिखित आंकड़े यह सूचित करेंगे कि इसके केन्द्रीय सरकार के हाथ में आने के बाद निगम की बस सेवाओं में सुधार हुआ है:—

अवधि	सड़क पर बसों की दैनिक औसत संख्या	परिचालित कुल कि०मी० (लाखों में)	कुल राजस्व (रु० लाखों में)
नवम्बर 70 से अक्तूबर 71 तक	1121	727.40	781.75
नवम्बर 71 से अक्तूबर 72 तक	1203	831.92	933.65

(ख) अपनी सेवाओं में और वृद्धि करने के लिए निगम ने 1971-72 में 294 नयी बसों (30 मिनी बसों सहित) के लिए आदेश दिया। इनमें से 31.10.72 को 268 बसें प्राप्त हो गई हैं। इसके अलावा 425 और नयी बसों के लिए आदेश दिये जा चुके हैं जिसमें से 250 बसों की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और शेष 175 के आगामी वर्ष में प्राप्त होने की संभावना है।

गया नगर के लिए जल सप्लाई योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

190. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गया नगर में जल की कमी है;

(ख) क्या जल सप्लाई योजना की क्रियान्विति के लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) से (ग): बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात में मद्य निषेध के सम्बन्ध में अमरीकन बिजनेसमन रिसर्च फाउन्डेशन से भारत आने वाली समिति के विचार

191. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **शिक्षा और समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले 23 अगस्त, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'गुजरात में मद्य निषेध में सफलता' (प्राविशन ए सक्सेस इन गुजरात) नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित, अमरीकन बिजनेसमेन रिसर्च फाउन्डेशन, यू० एस० ए० के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वाल्टर एस० क्रूश तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एडमंड डबल्यू० टर्नली के दौरे के प्रतिवेदन पर आधारित, समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): जी, नहीं। अलबत्ता उल्लिखित समाचार टाइम्स आफ इंडिया के अहमदाबाद संस्करण में 23 अगस्त, 1972 को छपा था। इस प्रश्न द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। बताया गया है कि समाचार पत्र ने कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए मतों का उल्लेख किया है, जिन पर किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

उत्पादन मूल्य और खाद्यान्नों का आयात

192. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, वर्ष 1970 और वर्ष 1971 की तुलना में चालू वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) 1969, 1970 और 1971 के वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) 1970, 1971 और 1972 के वर्षों में कुल कितना खाद्यान्न आयात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972-73 में हुए खाद्यान्नों के उत्पादन का अभी ठीक-ठीक अनुमान लग सकना सम्भव नहीं है। वर्ष 1969-70 के दौरान 995.00 लाख मीटरी टन और 1970-71 में 1084.2 लाख मीटरी टन की तुलना में 1971-72 के दौरान 1046.6 लाख मीटरी टन खाद्यान्न

पैदा हुआ था । पिछले दो वर्षों की अपेक्षा 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा कमी नीचे दी गई है ।

(i) 1970-71 की अपेक्षा	(--)	3.5
(ii) 1969-70 की अपेक्षा	(+)	5.2

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध—i) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०3647/72]

(ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध–ii) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०3647/72]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां देने के लिये आय सीमा में वृद्धि

193. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए 3600 रु० की आय सीमा में वृद्धि करना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम के आधीन अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए विहित की गई आय सीमा 6000 रु० प्रतिवर्ष है । अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के सम्बन्ध में कोई आय सीमा नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे सभी छात्रों को जो छात्रवृत्तियां पाने के पात्र है, छात्रवृद्धियां दी जाती हैं । पांचवीं योजना के लिए छात्रवृत्तियों की दरों को, जहां कहीं आवश्यक हो, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की दरों के बराबर लाने का प्रस्ताव है ।

न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेंशन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध न्यायायिक जांच

194. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू दिल्ली साउथ एक्सटेन्शन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायायिक जांच प्रारम्भ की गई है लेकिन समन के बावजूद भी सोसायटी का सचिव जांच के लिए अपेक्षित रिकार्ड और कागज पेश नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) नई दिल्ली साउथ एक्सटेन्शन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के बारे में दिल्ली में लागू बम्बई सहकारी सोसायटीज अधिनियम (1925 का 7) की धारा 43 के अधीन 9-2-72 को सांविधिक जांच के आदेश दिए गए थे । इस मामले में जांच अधिकारी होने के नाते दिल्ली प्रशासन के सहकारी सोसायटीयों के पंजीयक ने रिकार्ड पेश करने के लिए इस अधिनियम की धारा 58 के अधीन समन जारी किए । इस बीच सोसायटी ने इन जांच आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिटयाचिका दायर कर दी, जिसने 11-9-72 को इस रिटयाचिका को खारिज कर दिया । उसके बाद सोसायटी के सचिव ने सोसायटी का रिकार्ड जांच अधिकारी को पेश कर दिया ।

(ख) सचिव द्वारा जांच अधिकारी को पेश की गई लेखा पुस्तकों की दिल्ली प्रशासन द्वारा विशेष लेखा परीक्षा की गई है ।

High Incidence of Eye Trouble Among Industrial Workers

195. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Arwind Netam :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether according to a survey made by the National Committee on Blindness 95.2 per cent of the Industrial workers develop some eye trouble or the other ; and

(b) the full facts, and the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and in the Ministry of Works and Housing (Prof. D.P. Chattopadhyaya) : (a) & (b): The National Society for Prevention of Blindness conducted a survey of 11,900 industrial workers employed in 36 large and small industrial projects. A total of 10,165 workers were examined (85.4% of total workers). The important findings of the survey were as follows :—

(1) Ocular disorders accounted for 95.2% of the workers.
(2) 81.9% had evidence of active or healed trachoma.
(3) 35% had visual defects.
(4) 42.6% of the unskilled labourers had visual defects.
(5) Mascular imbalance of eyes were found amongst 5.9%.
(6) Colour blindness was present in 4%.
(7) Chronic conjuntivitis was present in 5%.
(8) Conjunctivial pigmentosa was present in 1.8%.
(9) Prevalance of cataract was present in 1.4% of clerical and adminstrative workers and 0.7% in skilled and unskilled workers.
(10) Cataract in the age group of 57-70 formed only 2.4% as against 9% of the total in general rural and urban surveys.
(11) 7.3% of the workers do not have the required visual acuity. Out of these 2.6% were wearing glasses and 4.7% do not use wearing glasses.

A copy of the report is being forwarded to the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation who are concerned with the Health Care of the Industrial workers. However, treatment for eye diseases is available in 730 Employees State Insurance Dispensaries and 70 Specialists have been appointed to provide specialised treatment in ophthalmic cases.

Seminar by I.C.A.R. on new devices of Agricultural Planning

196. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether in one of the seminars organised by the Indian Council of Agricultural Research during September last it was suggested that the situation created by drought floods and loss of crops in the drought affected areas would be improved by new agricultural planning; and

(b) if so, the main features thereof and the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b): National Seminar on integrated dryland research and development project was held on September 25-28, 1972. During the sessions, the blue prints of dryland pilot projects undertaken in different parts of the country alongwith the vision for the future were presented to improve

agricultural production under dryland conditions. Some of the important programmes of new technology included in the pilot project plans for implementation are water harvesting on watershed basis, adoption of soil and water conservation practices, suitable cropping programme including drought resistant or escaping varieties, adjusting tillage and sowing dates on the basis of local weather, placement of fertilizers, adequate plant protection measures, etc. for successful crop raising under dryland conditions. Apart from making the stored rain water available for crop use, soild and water conservation measures, when practised on watershed basis, are known to reduce flood hazards.

Recognising the importance of dryland agriculture, necessary research and development steps have also been taken up. An All India Coordinated Research Project on dryland agriculture has been implemented by the Indian Coucil of Agricultural Research since 1970 at 24 research centres. It aims to develop newer technology to benefit the dryland farmers.

The Government of India have also sanctioned a Centrally sponsored scheme on integrated dryland development pilot project, with a fourth plan outlay of Rs. 20 crores since 1971, under which 24 pilot projects have been provided to execute the programme in association with the dryland research centres.

भूमि के आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन-निर्माण सहकारी समितियों की सदस्यता की जांच

197. श्री शशि भूषण : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनेकों भवन निर्माण सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिए भूमि का आबंटन किया गया है, यदि हां, तो ऐसी समितियों की संख्या क्या है तथा उन्हें कितनी भूमि आवंटित की गई है तथा वह कहां कहां स्थित हैं;

(ख) इन सहकारी समितियों द्वारा जिन लोगों को उनके सदस्य के रूप में भूमि आबंटित की गई है उनके सम्बन्ध में यह निश्चित करने के लिए कि उनके पास पैतृक रूप में अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित की गई दिल्ली अथवा नई दिल्ली में पूर्ण रूप में अथवा उसके भाग के रूप में कोई भूमि अथवा मकान नहीं है, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली की उन सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है जिन्हें भूमि आबंटित की जा चुकी है और जिन्होंने उसके विकास और उसे अपने सदस्यों को देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां। ऐसी समितियों की संख्या 141 है। एक विवरण संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3648/72)**

(ख) वास्तविक आबंटन से पूर्व इन समितियों के प्रत्येक सदस्य से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिया जाता है कि उसका अथवा उसकी पत्नी या उसके आश्रित किसी सम्बन्धी का दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली कैन्ट में पट्टे के आधार पर या बिना पट्टे के पूर्ण तौर पर या आंशिक रूप से अपना कोई प्लाट या मकान नहीं हैं।

(ग) समितियों से तिमाही प्रगति विवरण प्राप्त किया जाता है तथा जिन का काम पीछे रह गया है उन्हें कार्य द्रुत गति से करने के लिए कहा जाता है।

भूमि सुधार लागू करने के लिए केरल को केन्द्रीय सरकार की सहायता

198. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि की मांग की गई है; और

(ग) क्या सरकार इस राशि की मंजूरी देने के सम्बन्ध में विचार करेगी और यदि हां, तो कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क)तथा (ख): केरल सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 105 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की थी। इस राशि का बड़ा भाग (75 करोड़ रुपये) काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार देने के लिए मुआवजे की अदायगी के लिए था।

(ग) केरल सरकार के राजस्व मंत्री ने इस मामले पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया था। इस विचार विमर्श में राज्य को इतनी विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए संसाधनों की खोज के सम्बन्ध में भारत सरकार की कठिनाई व्यक्त की गई थी। इस वर्ष जुलाई में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर पूरे देश में इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन के लिए बनाए गए सिद्धांतों में यह विहित था कि भूमि सुधार कानूनों से सम्बन्धित मुआवजे की योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था उन्हीं में से की जानी चाहिए, जिससे कि राज्य पर कोई वित्तीय भार न पड़े।

राज्य सरकार की भूमि सुधार सम्बन्धी वार्षिक योजना के प्रस्ताव पर यथासमय विचार किया जाएगा।

खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन और केरल के खाद्य मन्त्री का अधिक सेला चावल के लिए अनुरोध

199. श्री ए० के० गोपालन :
श्री एम० के० कृष्णन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था; यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ;

(ख) क्या केरल के खाद्य मंत्री ने केरल में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये अतिरिक्त सेला चावल की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में 30-9-1972 को हुआ था। सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): सम्मेलन में केरल के खाद्य मंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था। तथापि उनसे पहले अनुरोध प्राप्त हुए थे और राज्य सरकार को उचित जरूरतें उपलब्ध स्टाक से पूरी की जा रही हैं।

विवरण

खरीफ खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तथा मूल्य नीति और खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने तथा उनके वितरण विषयक उपायों के बारे में 30-9-1972 को हुए मुख्य मन्त्रियों और खाद्य मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए मुख्य मुख्य निर्णय बताने वाला विवरण

(1) कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति लक्ष्य आम तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे। लेकिन एक या दो राज्यों को छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां सूखे की स्थिति के कारण इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होने की सम्भावना थी।

(2) खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने और उनकी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा धान/चावल के लिए अभिस्तावित अधिप्राप्ति मूल्यों को स्वीकार करने का निश्चय किया गया। यह भी महसूस किया गया कि चावल का निर्गम मूल्य बिना किसी बढ़ोतरी के मौजूदा स्तर पर बना रहना चाहिये।

(3) यह आवश्यक समझा गया कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए चावल के अभिस्तावित मूल्यों में प्रत्यक्ष असमानता के कारणों की जांच की जाए क्योंकि ये मूल्य उनके द्वारा अभिस्तावित धान के अधिप्राप्ति मूल्यों पर पूर्णतया आधारित नहीं हैं और इस अनियमितता को, यदि कोई हो, दूर किया जाए ।

(4) चालू खरीफ मौसम के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली अधिप्राप्ति की पद्धति तथा प्रणाली के बारे में आम राय अधिप्राप्ति की ऐसी प्रणाली या प्रणाली समूह अपनाने के पक्ष में थी जिससे धान/चावल की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने और इस व्यापार में विचौलियों को समाप्त करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्त्ति हो सके । यह स्वीकार कर लिया गया था कि धान/चावल की अधिप्राप्ति में भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य तथा रसद विभाग और सहकारी संस्थान जैसी सरकारी एजेंसियों को प्रमुख भूमिका अदा करनी चाहिए और अधिक से अधिक सीधे उत्पादकों से अधिप्राप्ति करने के प्रयत्न किए जाने चाहिएं ।

(5) मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति के बारे में अधिक यथार्थिक आधार पर अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करने के पक्ष में आम राय थी ताकि अधिप्राप्ति विषयक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके । कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिप्राप्ति लक्ष्य आम तौर पर कार्यरूप देने के लिए स्वाकार्य थे । क्योंकि मोटे अनाजों के खपतकार आवश्यक रूप से समाज के कमजोर वर्ग हैं, इसलिए यह आवश्यक समझा गया था कि मूल्य निर्धारण और वितरण की उपयुक्त नीति अपनाकर सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से इनका वितरण किया जाए ।

(6) क्योंकि कृषि मूल्य आयोग ने बाजरा और मक्का के समान अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की है इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि ज्वार और रागी तथा छोटी मिलेट के अधिप्राप्ति मूल्य भी निर्धारित किए जाएं क्योंकि इनका उत्पादन समाज के कमजोर वर्ग करते हैं और वही मुख्यत: इन के खपतकार हैं । यह आवश्यक समझा गया कि मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की जाए और उनके अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए जाएं जोकि इस प्रकार हैं :—

	रुपये प्रति क्विंटल
बाजरा	60.00
मक्का	58.00
ज्वार	58.00
रागी	57.00
छोटी मिलेट	50.00

(7) अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से यह उपयुक्त तथा आवश्यक समझा गया कि अधिप्राप्ति किए जाने वाले खरीफ के अनाजों को निजी व्यापारियों द्वारा राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाए जाएं; राज्य सरकारें यथावश्यक एक जिले से दूसरे जिल में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर भी विचार कर सकती हैं ताकि वे विक्रय अधिशेष अनाजों की अधिप्राप्ति कर सकें ।

(8) सरकारी वितरण प्रणाली का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था; सम्मेलन ने इस बात पर भी विचार किया कि यथा समय में अन्य कई आवश्यक वस्तुओं को भी सरकारी वितरण प्रणाली के दायरे में लाना पड़ेगा ।

(9) आगामी त्योहार मौसम के लिए चीनी के अतिरिक्त कोटे की मांग के बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अपर्याप्त स्टाक के कारण अतिरिक्त कोटा देना सम्भव नहीं होगा । तथापि, लेवी कोटे में समूची वृद्धि के कारण राज्य सरकार के पास उचित मूल्य की दुकानों से बेचने के लिए अतिरिक्त स्टाक उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

(10) देश में खाने के तेलों और दालों की कमी काफी चिन्ता का विषय बनी हुई है और इन वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने और इनके मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार किया गया था ।

म्यूनिक में भारतीय अधिकारियों का अतिथि सत्कार

200. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे अधिकारियों ने म्यूनिक में दिए गए अतिथि सत्कार का दुरुपयोग किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

मूल्यों में वृद्धि

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने मूल्यों में वृद्धि के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था.... .....(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मूल्यों में वृद्धि के बारे में हमारे स्थगन प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : हम विशेषकर सरकार द्वारा चीनी का मूल्य बढ़ाने के बारे में सरकार के निर्णय पर चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद ही मैं इस संबंध में कहूंगा । मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने का वायदा किया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Are you going to set an example by giving perference to the statement of the Minister and placing our adjournment motion to a secondary place ? The price rise of sugar and vegetables oil is the subject of this motion.....(*Interruption*).

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होते समय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष का कोई भी निर्णय कतिपय तर्कों तथा सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए । स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रक्रिया नियम में निर्धारित नियम हैं । मेरा निवेदन है कि आपका स्वविवेक स्वेच्छाचारिता का यथार्थ नहीं होना चाहिए और न शासक दल की इच्छाओं के अनुरूप ही होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय यह देख सकते हैं कि क्या हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नियमों का पालन किया है, क्या मैं अपका ध्यान आपके इस कथन की ओर दिला सकता हूं कि वित्त मंत्री के वक्तव्य के उपरांत स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

हम सरकार के वक्तव्यों को जरा सा भी महत्व नहीं देते हैं । अतीत में भी सरकार यह आश्वासन देती रही है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जायेगा परन्तु कार्यरूप में अब तक कुछ नहीं हुआ है । हम जानना चाहते हैं कि गत अधिवेशन से अब तक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है । वित्त मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में यह तथ्य नहीं बता रहे हैं कि इस स्थिति में अब ह्रास होता जा रहा है । यदि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मूल्यों में वृद्धि आए दिन की बात है और इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता है तो यह एक नया उदाहरण रखने की बात होगी । यदि ऐसा नहीं है तो वे बताएं कि मूल्यों में कितनी वृद्धि के उपरान्त वे स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करेंगे ? ऐसा लगता है कि सरकार रूमानी संसार में विचर रही है ।

हमारे द्वारा उठाया गया स्वाल महत्वपूर्ण है सरकार ने वनस्पति तेल और चीनी का मूल्य बढ़ा दिया है जिससे महगाई और बढ़ गई है, हमें इस विषय पर तुरन्त चर्चा करनी चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या मैं आपका ध्यान नियम 58 की ओर दिला सकता हूं ? मैंने आज जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह स्पष्टत: वसूली चीनी के मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि और वनस्पति तेल के मूल्य में वृद्धि के बारे में है । स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए । इस देश की जनता उचित मूल्यों पर खाद्यान्न चाहती है न कि वित्त मंत्री से वक्तव्य ।

श्री ए० के० गोपालन (पालाघाट) : यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में न केवल विपक्ष आपितु शासक दल से संबंधित लोग भी चिन्तित हैं, कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उन्हें भविष्य में विश्वास है और उन्हें देश के नेतृत्व में भी विश्वास है । परन्तु फिर भी मूल्यों में वृद्धि हुई है, स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने से सरकार स्थिति की गंभीरता के प्रति अवगत हो सकती है । गत अवसर पर सरकार ने कहा था कि उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है परन्तु फिर भी मूल्यों में वृद्धि हुई है । सरकार इस दिशा में कुछ भी करने में असमर्थ है । सरकार को बताना चाहिए कि मंहगाई रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं अन्यथा उन्हें भारी संकट का समना करना पड़ सकता

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे रहे हैं ? .....

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम स्थगन प्रस्ताव पर आपका विनिर्णय चाहते हैं । मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और मुझे उस पर बोलने का अधिकार है ।

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम) : श्रीमन्, आपने कहा है कि जब तक वित्त मंत्री अपना वक्तव्य नहीं देते तब तक इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा । ऐसा करने से संसद के समक्ष एक गलत उदाहरण उपस्थित होगा । संसदीय लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य का दिन होगा । स्थगन प्रस्ताव और वित्त मंत्री का वक्तव्य दोनों अलग अलग बातें हैं । इनको एक नहीं किया जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया यह बताइये कि यह प्रस्ताव तीनों बातों में से किसको पूरा नहीं करता है ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्रीमन्, आप ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं जो नियमों के विरुद्ध है ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोलेंगे तो इसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :—**

श्री पी० के० देव :—**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक वित्त मंत्री के वक्तव्य का प्रश्न है, इसका स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा न करने से कोई संबंध नहीं है, आपका व्यवस्था का प्रश्न सुसंगत है परन्तु यदि आप वित्त मंत्री के वक्तव्य को सुनते .....

कतिपय माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : गत अवसर पर इसी प्रकार का स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था और मैंने कतिपय कारणों से उसे अस्वीकार कर दिया था । इस बार का स्थगन प्रस्ताव निश्चय ही उससे कुछ भिन्न है । मेरे विचार में मूल्यों में अचानक ही वृद्धि हुई है, यह एक अत्यावश्यक विषय है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव का पेश किया जाना उचित है । श्री बनर्जी का प्रस्ताव मेरे पास पहले आया है इसलिए वे इसके लिए सभा की अनुमति मांगेंगे ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not Recorded.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मूल्य वृद्धि के बारे में अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा से अनुमति मांगता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी को मूल्य वृद्धि के बारे में अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये । इसका समर्थन करने वाले कृपया खड़े हो जाएं.....यह संख्या 50 से अधिक है, इसलिए अनुमति दी जाती है । हम इस विषय पर मध्याह्न भोजन के पश्चात चर्चा करेंगे, परन्तु आज श्री फखरुद्दीन अली अहमद की बेटी की शादी है इसलिए कल इस विषय को सबसे पहले लिया जायेगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : विपक्षी दलों के नेताओं की गत बैठक में आसाम में भाषाई दंगों पर चर्चा हुई थी और इस बात पर सहमति हुई थी कि सरकार आसाम में कानून तथा व्यवस्था पर वक्तव्य देगी परन्तु आज की कार्य सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आसाम में होने वाली घटनाएं देश के लिए शर्मनाक हैं । सरकार इस मामले में मौन दर्शक बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा । श्री पीलू मोदी, जहां तक इस सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि यहां इस प्रकार के 'साइन तथा सिम्बल' लेकर आना उचित है, आप सभा के बाहर कुछ भी कर सकते हैं परन्तु सभा के अंदर ऐसा करना अनुचित है ।

अविलम्बनीय लोक महत्तव के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के रेखांकन के संबंध में पाकिस्तान का निरन्तर दुराग्रह

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Pakistan's continued instransigence in respect of delineation of the line of actual control in Jammu and Kashmir".

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): भारत और पाकिस्तान की प्रतिनिधियों की बैठक के बाद 30 अगस्त को मैंने सदन में जो वक्तव्य दिया था, माननीय सदस्य गणों को उसका स्मरण होगा। उस समय मैंने जम्मू और कश्मीर में सभी जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमांकन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की सहमति सदन के समक्ष व्यक्त की थी । मैंने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष परस्पर ऐसे नकशों का आदान प्रदान करेंगे जिसमें यह सहमत रेखा दिखाई गई होगी । उसी समय मैंने यह भी कहा था कि सीमांकन का यह काम 4 सितम्बर, 1972 तक पूरा हो जायेगा और 15 सितम्बर तक सेनायें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक पीछे हट जायेंगी । शिमला समझौते के अनुसार दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और इसलिये सीमांकन पर सहमति होनी ही चाहिये जिससे कि दोनों पक्षों द्वारा इसका उल्लंघन न किये जाने का निश्चय हो सके ।

भारत और पाकिस्तान के जिन वरिष्ठ सैनिक कमांडरों को नक्शों पर वास्तविक नियन्त्रण रेखा को अंकित करने का काम सौंपा गया था उनकी अब तक 9 बार बैठक हो चुकी है । इनकी बातचीत के सातवें दौर तक जो 18 अक्तूबर को पूरा हुआ था, 19 नक्शों पर सहमति हो चुकी थी जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर छम्ब क्षेत्र से लेकर उत्तर में प्रताप पुर सेक्टर तक समूची वास्तविक नियन्त्रण रेखा अंकित की जा चुकी थी । आठवें दौर में इन नक्शों पर हस्ताक्षर होने थे । लेकिन उस मौके पर पाकिस्तान के वरिष्ठ सैना कमांडर ने लगभग डेढ़ वर्गमील क्षेत्र की एक ऐसी जगह पर नया

मतभेद खड़ा कर दिया जो कि पाकिस्तान के कब्जे में तो है लेकिन वास्तविक नियन्त्रण रेखा से अलग है । इस मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष एक दूसरे को कई पत्र लिख चुके हैं और इन्हीं के परिणामस्वरूप 7 और 9 नवम्बर को दोनों ओर के वरिष्ठ सेना कमांडरों के बीच फिर बैठकें हुई भी थीं । लेकिन इनमें मतभेद दूर नहीं हो सके । अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस प्रश्न को हल करने के लिये किसी दूसरे स्तर पर बैठक की जानी चाहिए ?

माननीय सदस्यगण यह जानत ही हैं कि चूंकि यह बातचीत अभी चल रही है इसलिए इस मामले पर अभी और विस्तार के साथ विचार करना हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । शिमला और दिल्ली समझौतों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के सीमांकन का कार्य नक्शों पर पूरा हो गया है । उम्मीद की जाती है कि बाकी समस्या भी आगे द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हल हो जाएगी। दोनों ओर की सरकारों द्वारा वास्तविक नियन्त्रण रेखा के सीमांकन का अनुमोदन किये जाने के बाद फौजों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक पीछे हटाने का काम कम से कम सम्भव समय में पूरा कर लिया जायेगा । हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस मामले पर यथार्थवादी और रचनात्मक ढंग से विचार करेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The External Affairs Minister has stated that it is not in the public interest to tell more about this matter. I feel that this house, rather this country, should be taken into confidence in this matter.

Parliamentary decency demands that the correspondence that took place between the Prime Minister of India and the President of Pakistan be placed on the table of the house, so that we may study that.

The External Affairs Minister had also stated that another agreement was concluded in order to save the Simla Agreement.

The Commanders of both countries agreed in respect of 19 maps and areas but later on Pakistan backed out. Why did we offer to withdraw our forces without conducting complete agreement. Thathu Chuck is our territory and the Pakistani Armies should withdraw from there.

At one time it was stated that Pakistani Commander had agreed and the agreement was also required to be signed. This fact should be recorded that Pakistan had once agreed and thereafter backed out from his words.

Pakistan should not only withdraw its forces from Thaku Chuck or Thathu chuck but also from chamb area at once.

We are worried that 10 lakh persons of Pakistan who have become homeless and are on the roads. But we do not care about those persons who have been displaced from chamb. The various Ministers give different statements. This leads to confusion. The Hon. Minister may please state whether Pakistan is holding Simla Agreement in its full spirit.

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य का यह कथन कि सरकार के मंत्री अलग अलग भाषा बोलते हैं, तथा अलग अलग वक्तव्य देते हैं ठीक नहीं है । यह बात ठीक है कि हमने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान सीमा पर अपनी सेनाएं हटाने का प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजा था ।

सरकार के रवैये में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है । हमारा सदैव यही दृष्टिकोण रहा है कि पहले जम्मू और काश्मीर नियन्त्रण रेखा का सीमांकन कार्य पूरा किया जाये क्योंकि पहला समझौता यही किया गया है कि दोनों ओर से इस रेखा का सम्मान किया जाएगा । अतः इससे पूर्व कि इसका सम्मान किया जाये, दोनों पक्षों को इस नियन्त्रण रेखा का स्पष्ट रूप में पता होना चाहिए । अतः जम्मू और काश्मीर से 17 दिसम्बर, 1971 की नियन्त्रण रेखा का सीमांकन करने का समझौता अनिवार्य था । इस सम्बन्ध में विचारों के मतभेदों को हम द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर मिल जुल कर दूर कर सकते हैं । हमें ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिएं कि शिमला समझौता तोड़ देना चाहिए । हमें आशा है कि जिन मामलों पर समझौता नहीं हो सका उन्हें परस्पर वार्ता द्वारा शीघ्र तय कर लिया जाएगा ।

Shri Rameshwar Prasad Singh (Chapra) : Talks between the representatives of Pakistan and India were held at Delhi for 5 days and it was reported that the progress was satisfactory. The difficulty which could not be resolved in these talks should be solved on official level.

श्री स्वर्ण सिंह : अब समय आ गया है कि अन्य स्तरों पर वार्ता के बारे में विचार किया जाये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : भारत की जनता को विश्वास था कि बंगलादेश की मुक्ति के पश्चात इस उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित हो सकेगी । सरकार ने एक अविश्वासी व्यक्ति पर बहुत अधिक विश्वास कर लिया है । प्रधान मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के रवैये में दृढ़ता आ गई है । इस बारे में उन्होंने बड़ी शक्तियों पर भी दोष लगाया है । परन्तु मंत्री महोदय के विचार कुछ और ही प्रकार के हैं । श्री भुट्टो ने 3 अक्तूबर, को कहा था कि 1.77 वर्ग मील क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है अपितु हमारे सामने सिद्धांतों का महत्व है । शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने के $4\frac{1}{2}$ मास के पश्चात पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन हो गया है । बंगला देश को वार्ता से पृथक रखकर हमने इस उपमहाद्वीप में शान्ति की सम्भावना को समाप्त कर दिया है । अब पाकिस्तान नए नए मामले हमारे सामने ला रहा है । नियंत्रण रेखा के रेखांकन के बारे में समझौता विफल हो जाने के पश्चात सरकार को अब यह कहने का अधिकार कैसे मिलता है कि रेखांकन के पूरा किये जाने के पश्चात सेनाएं वापस आ जाएंगी । क्या यह भी सच है कि युद्ध समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही पाकिस्तान ने अमरीका, चीन तथा अन्य देशों से भारी मात्रा में शस्त्र-अस्त्र मंगवा लिए हैं । क्या सरकार इस मामले पर पुन: विचार करेगी तथा पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दिए बिना अपने अधिकार में लिए गये क्षेत्र को नहीं छोड़ेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है, उन्होंने इस संबंध में कई प्रश्न पूछे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न के अत्यन्त दार्शनिक भाग का उत्तर देने की चेष्टा नहीं करूंगा । प्रधान मन्त्री का इस बारे में दिया गया वक्तव्य बहुत ठीक और सामयिक है । सदस्य महोदय ने कहा है कि रेखांकन पूरा करने के लिए दो अंतिम तिथियां निर्धारित की गई थी क्योंकि उनका पालन नहीं किया जा सका अतएव हमें सेनाओं की वापसी की कोई बात नहीं करनी चाहिए ।

श्री समर गुह : प्रधान मंत्री ने पूरे राष्ट्र को सचेत कर दिया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : वास्तव में हम रेखांकन पूरा करना चाहते थे और उसके बाद ही सेनाओं की वापसी तय हुई थी । पाकिस्तान शस्त्रास्त्र एकत्र कर रहा है । हम भी निश्चेष्ट नहीं बैठे हुए हैं ।

श्री समर गुह : यह कहना गलत है.....

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इसी प्रकार अन्तर्बाधाएं पैदा करते हैं तो मंत्री महोदय उत्तर न दें ।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान ने 'सिएटो' छोड़ दी है यह अच्छी बात है । यदि वह 'सेंटो' को भी छोड़कर गुट निर्पेक्ष देशों के साथ मिल जाए तो यह अच्छी प्रगति होगी । उन्होंने एक रोचक बात कही है कि हमें पाकिस्तान के साथ तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वह देश बंगलादेश को मान्यता नहीं देता है । हमारा उद्देश्य इस उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापित करना मात्र है । यदि भारत पाकिस्तान के मध्य कोई समझौता हो जाता है तो इससे बंगलादेश समेत पूरे उपमहाद्वीप की स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं समझता हूं कि भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव की इन देशों में साम्प्रदायिक प्रतिक्रिया होती है ।

राष्ट्रपति भुट्टो ने एक सप्ताह पूर्व कहा था कि शिमला समझौते का उद्धार करने के यत्न किए जा रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि रेखांकन के मामले में नई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं । ऐसा लगता है कि सैनिक अधिकारियों की अब भी वहां काफी चलती है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि.....

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार, केवल एक प्रश्न पूछन की अनुमति है । इसलिए मेरी स्थिति का ध्यान करते हुए, प्रश्न के सभी हिस्सों को सम्बद्ध करते हुए, एक प्रश्न ही पूछिए ।

प्रो० मधु दंडवते: क्या राष्ट्रपति भुट्टो और सेना के प्रमुख अधिकारियों के बीच मतभेद है । क्या शिमला समझौते की आड़ में राष्ट्रपति भुट्टो भारत द्वारा कब्जे में ली गई पाकिस्तान अपनी भूमि को वापिस लेना चाहता है और पाकिस्तानी युद्धबंदियों की रिहाई चाहते हैं ?

पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों को यह पता है कि सीमांकन रेखा का कार्य पूरा हो जाने के बाद सेनाओं की वापसी प्रारम्भ हो जायेगी । तब उन्हें बंगलादेश की वास्तविकता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि बंगला देश की सरकार ने पहले ही युद्ध अपराधियों पर मुकद्दमें चलाने का निर्णय कर लिया है । इसके परिणामस्वरूप सेना के व्यक्तियों द्वारा दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है और सीमांकन निर्धारण के प्रश्न पर दिक्कतें पैदा की जा रही हैं ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन सी विदेशी शक्तियां इस मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं । यदि पाकिस्तान निरन्तर नई अड़चनें पैदा करता है और हम पर दबाव डालता है तो हमें स्पष्ट रूप से उसे यह बता देना चाहिए कि शिमला समझौता अनिश्चित काल के लिये रुका नहीं रह सकता है और हमें इसे समाप्त कर देना पड़ेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान में क्या हो रहा है तथा वहां सेना और राजनीतिक अंग में आपसी क्या संबंध है, इस प्रश्न की ओर मैं नहीं जाऊंगा । शिमला समझौते की दो मुख्य बातें हैं । एक है द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर समस्या को हल करना और दूसरी है सैनिक शक्ति का प्रयोग न करना । इस उपमहाद्वीप में शान्ति को सुदृढ़ बनाने के लिये हमें पूरा प्रयास करना चाहिये । इससे भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश सभी को ही लाभ होगा । हम आशा करते हैं कि सभी मतभेदों को पारस्परिक वार्ता क द्वारा समाप्त कर लिया जायेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बोनस संदान (संशोधन) अध्यादेश, संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश और बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 8), जो राष्ट्रपति द्वारा 23 दिसम्बर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3620/72]**

(दो) संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का संख्या 9), जो राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 1972 को प्रख्यापित किया गया था । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3629/72]**

(2) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1970/71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । **[ग्रंथायल में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3622-72]**

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा और अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग का तीसरा अन्तरिम प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 575 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3623/72]**

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या का० आ० 651 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3624/72]**

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग के तीसरे अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3625/72]**

गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3626/72]**

बाढ़ आदि से हुई क्षति और देश में बिजली की स्थिति के बारे में विवरण

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) देश में 1972 की मानसून ऋतु के दौरान बाढ़ और तूफान से हुई क्षति के बारे में एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3627/72]**

(2) देश में बिजली की स्थिति के बारे में एक विवरण।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3628/72]

बोनस समीक्षा समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन और उस पर सरकारी संकल्प

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) बोनस समीक्षा समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन, जिस पर सभापति डा० एस० डी० पुनेकर, श्री एन० एस० भट्ट और हरीश महेन्द्र के हस्ताक्षर हैं।

(दो) बोनस समीक्षा समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन जिस पर श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, श्री महेश देसाई, श्री जी० रामानुजम और श्री सतीश लूम्बा के हस्ताक्षर हैं।

(तीन) सरकारी संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या एस 33025/23/72 डब्ल्यू० बी०, दिनांक 19 अक्तूबर, 1972, जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदनों के बारे में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3629/72]**

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्रदर्शित वस्तुओं का अभिरक्षण और अनुरक्षण, नियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्रदर्शित वस्तुओं का अभिरक्षण और अनुरक्षण नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1071 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3630/72]**

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 1070 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3631/72]**

जल प्रदूषण निवारण विधेयक
PREVENTION OF WATER POLLUTION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाये रखने या पूर्वा-वस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित कृतय ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिए और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री समर गुह : मैं जल प्रदूषण के निवारण और जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण बोर्डों की स्थापना के लिए. उनसे सम्बन्धित कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने के लिए और तत्संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

21वां प्रतिवेदन

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग)—सामान्य समाज कल्याण के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मूल्य स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PRICE SITUATION

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं मूल्य स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : इसकी प्रतियां सदस्यों को परिचालित कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य को सुनने के बाद ही, मैं स्थगन प्रस्ताव पर अपना निर्णय दूंगा।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस बात को तीन महीने से कुछ अधिक समय हो गया है जब मुझे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के संबंध में एक ध्यानाकर्षण सूचना के प्रत्युत्तर में इस सभा में वक्तव्य देने का अवसर मिला था। उस समय मैंने, इस वर्ष मई के महीने से मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में, जो वर्ष के इस भाग में सामान्यतः अपेक्षित वृद्धि की अपेक्षा अधिक थी, इस सदन के साथ सरकार की चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय मैंने मौनसून के आने में देर होने का और उसके परिणामस्वरूप वर्षा न होने का उल्लेख किया था और जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है यह स्थिति एक महीना बनी रही थी। इसके फलस्वरूप इस वर्ष खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है और यह तब हुआ है जब 1971-72 में भी अनाज का उत्पादन कम हुआ था। पिछले वर्ष मोटे अनाजों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था और इस बार सूखे की स्थिति के कारण धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने खरीफ की फसल को यथासम्भव अधिक बचाने के लिए और रबी की फसल के अनाजों के उत्पादन में उस सीमा तक वृद्धि करने का जोरदार कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे खरीफ की फसल के उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। अब तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, गेहूं की बुआई का कार्यक्रम सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में योजना के अनुसार चल रहा है और देश के उत्तरी भागों में रबी की फसल के दालों से भिन्न अनाजों और दालों का उत्पादन भी अच्छा होने का अनुमान है। इस संबंध में दक्षिणी राज्य भी अपना अपना योगदान देंगे, फिर भी अगले कुछ महीनों में स्थिति पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत होगी।

इस वर्ष सूखे की स्थिति का कृषि संबंधी कच्चे माल की स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा है, हालांकि यह संभव है कि अलग अलग मदों पर इसका असर अलग अलग है। जूट की फसल को काफी क्षति पहुंची है लेकिन, सौभाग्यवश, पिछले वर्ष जो बहुत बढ़िया फसल हुई थी, वह संकट निरोधक का काम दे रही है और जूट से निर्मित वस्तुओं के दाम एक वर्ष पहले के दामों की अपेक्षा कम हैं। मौजूदा संकेतों के अनुसार, रुई की पिछले वर्ष की अभूतपूर्व फसल के बाद इस वर्ष की फसल भी सन्तोषजनक होगी और इसलिए पूर्ति संबंधी स्थिति आरामदेह रहनी चाहिए। गन्ने की फसल में, जो 1971-72 में खेती के क्षेत्र में होने वाली चक्रावर्तक कमी और बाढ़ से हुई क्षति के कारण खराब हो गयी थी, मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद कुछ सुधार होने की सम्भावना है। लेकिन तेलहनों की फसल की स्थिति काफी अनिश्चित है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है, मई से सितम्बर तक के महीनों में मूल्यों में आमतौर पर मौसमी वृद्धि होती है। लेकिन इस वर्ष जो वृद्धि हुई है वह असामान्य रूप से अधिक थी। 21 अक्तूबर, 1972 को थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक 210.9 था अर्थात यह एक वर्ष पहले के स्तर से 10.2 प्रतिशत ऊंचा था। सामान्य मूल्य स्तर के ऊंचा हो जाने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाना है। 21 अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाली बारह महीनों की अवधि में खाद्य पदार्थ समूह के सूचक अंक में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खाद्य पदार्थों से भिन्न वस्तुओं के समूह के सूचक अंक में केवल मामूली सी अर्थात् 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सौभाग्यवश अब यह संकेत मिल रहे हैं कि सितम्बर से दिसम्बर तक की अवधि में मूल्यों में होने वाली सामान्य मौसमी कमी का अब अन्ततः, दालों से भिन्न अनाजों के मूल्यों पर कुछ स्थिरताकारी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है जबकि अक्तूबर के मध्य तक यह कमी होती दिखाई नहीं दे रही थी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया था तबसे लेकर स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जहां तक अनाज का संबंध है, तब हमारे पास लगभग 90 लाख मट्रिक टन का स्टाक था और सोच विचार कर यह निश्चय किया गया था कि मौजूदा उचित मूल्य की दुकानों के जरिय इसकी निकासी में वृद्धि की जाए और इन दुकानों की संख्या भी बढ़ायी जाये। इस निश्चय के अनुसरण में, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जो अगस्त के शुरू

में 1.37 लाख थी, बढ कर अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में 1.58 लाख तक पहुंच गयी । सरकारी वितरण प्रणाली से की जाने वाली निकासी में भी काफी वृद्धि हुई है और इससे इस अवधि में, जो सामान्यतः कम व्यस्त मौसम होता है, मूल्यों में हो रही वृद्धि को कम करने में सहायता मिली है । लेकिन स्टाक को एक उपयुक्त स्तर तक बनाये रखने के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि खरीफ की वसूली के कार्यक्रम को अत्यधिक जोर के साथ क्रियान्वित किया जाये । सरकार ने खरीफ की फसल में से 40 लाख मेट्रिक टन चावल और 60 लाख मेट्रिक टन मोटे अनाजों की वसूली करने का फ़ैसला किया है; चालू वर्ष के वसूली मूल्य यथार्थवादी आधार पर निर्धारित किए गए हैं ताकि इस उद्देश्य की आसानी से पूर्ति की जा सके । इसके अलावा, राज्य सरकारों ने सरकारी वसूली के प्रबन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का काम हाथ में लिया है जिससे निजी व्यापारियों की मूल्यों में अस्थिरता लाने वाली भूमिका को काफी कम किया जा सके ।

मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव का एक काफी बड़ा भाग, मोटे अनाजों के अलावा दालों की ओर से पड़ा है जिनका उत्पादन लगभग पिछले एक दशक से स्थिर सा ही है । उनके उत्पादन में थोड़ी सी कमी होने से भी मूल्य स्तर पर काफी असर पड़ता है । सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि दालों की अधिक उपज वाली किस्मों का विकास किया जाए, लेकिन इस दिशा में अभी तक सीमित सफलता ही प्राप्त हुई है । हाल में यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि जीवाणु संवर्धन से और पौदा संरक्षण के जोरदार उपायों से दालों की मौजूदा किस्मों के उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है; इस दिशा में कई राज्यों द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे ।

दूसरी ओर, यद्यपि ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने और सोयाबीन और सूरजमूखी फूल जैसी नयी फसलों की खेती करने के प्रयत्नों का किया जाना जारी है, फिर भी तेलहनों और/या खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करने का कार्यक्रम है । कनाडा से 1,00,000 मैट्रिक टन तोरिये का आयात किया जाना है; पहली खेप प्राप्त हो चुकी है और अन्य खेपें मार्ग में हैं । वनस्पति उद्योग के लिए ताड़ के तेल का आयात भी किया जा रहा है और 5,000 मेट्रिक टन तेल मलेशिया से लिया गया है । सौभाग्यवश, विदेशी मुद्रा संबंधी हमारी स्थिति काफी सन्तोषजनक है, जिससे कि हम उतने आयात की वित्त व्यवस्था करने में सक्षम हैं जो आवश्यक हो ।

चालू मौसम के लिए चीनी संबंधी नीति का उद्देश्य 'लेवी' चीनी के अनुपात को 63½ प्रतिशत से बढ़ा कर 70 प्रतिशत करके (जिसमें निर्यात का, 3½ प्रतिशतांश भी शामिल है) सरकारी वितरण के लिए चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करना है । इसके साथ साथ यह निश्चय भी किया गया है कि चीनी का निर्गम मूल्य देश भर में एक समान हो; और उपभोक्ताओं का एक बहुत बड़ा भाग इससे लाभ उठा रहा है । शायद यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जल्दी ही 'लेवी' चीनी का समूचा थोक व्यापार सरकारी अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम, सहकारी समितियों और राज्य स्तर के अन्य संगठनों द्वारा किया जाएगा ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए, नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की एक योजना है; यह कपड़ा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जायेगा । मौजूदा प्रबन्धों के अन्तर्गत मिलों द्वारा प्रत्येक तिमाही में नियंत्रित किस्मों के कम से कम 10 करोड़ वर्ग गज कपड़े का उत्पादन किया जाता है । लेकिन इस कपड़े की उपलब्धता के बारे में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए, वितरण की एक संशोधित योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत राज्यों के लिए जनसंख्या के आधार पर मासिक कोटे निर्धारित किए गए हैं । नियंत्रित कपड़े का अधिकतम खुदरा मूल्य कारखाना—ग्राह्य मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक होगा और यह कपड़ा मुख्यतः सहकारी अभिकरणों और उचित मूल्य की दुकानों की मार्फत वितरित किया जायेगा । मिलों की अपनी खुदरा दुकानों को उत्पादन के केवल 10 प्रतिशत का कारबार करने की अनुमति होगी ।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सट्टेबाजी के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखना सरकार के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है । कठोर ऋण नीति के साथ साथ वायदे के सौदा (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों को भी क्रमिक रूप से सख्त बनाया जा रहा है । हाजिर सौदों की आड़ में किए जा रहे वायदे के सौदों को रोकने के उद्देश्य से पिछले वर्ष इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कार्रवाई की गयी थी । इस उद्देश्य से कि विनियमित अथवा प्रतिबन्धित वस्तुओं के अवैध रूप से वायदे के सौदे न किए जा सकें, 5 जुलाई 1972 से महुआ के बीज और महुआ के तेल तथा चना छिलका अर्थात् इन तीनों वस्तुओं के वायदे के सौदों (जिसमें अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी वाले सौदे शामिल हैं) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य से कि खाद्य तेलहनों और तेलों के वायदे के सौदों का

कारगर ढंग से विनियमन किया जा सके तथा उन पर नियंत्रण रखा जा सके, भारत सरकार ने 16 अगस्त 1972 को, इन कई वस्तुओं के वायदे के सौदों से सम्बद्ध कानूनी स्थिति में कुछ परिवर्तन कर दिए थे। इस संबंध में अब वास्तविक स्थिति यह है कि इन वस्तुओं के वायदे के सौदे बन्द कर दिए गए हैं। ये प्रतिबन्ध उन प्रतिबन्धों के अलावा हैं जो कुछ समय से अन्न पर लगाए गये हैं। और जिनके अन्तर्गत एक वर्ष पहले गुड़ को भी ले आया गया था।

अन्ततः प्रश्न मुद्रा संबंधी मांग को सीमित करने का है जो कम से कम पिछले वर्ष बंगला देश की समस्या तथा दिसम्बर में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप पैदा हो गयी थी। कराधान आदि के जरिए अतिरिक्त साधन जुटाने के बावजूद, सरकार के बजट संबंधी कार्यकलापों में 700 करोड़ रुपये का घाटा रह गया। किन्तु इस वर्ष के बजट में अतिरिक्त कर लगा कर उक्त घाटे की राशि को कम से कम करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति 1971-72 के बजट अनुमानों की अपेक्षा 1972-73 की आयोजना गत व्यवस्था में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बावजूद है।

इस वर्ष के शुरू में एक निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारों को ओवर ड्राफ्ट नहीं लेने चाहिएं क्योंकि इससे घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्ट की राशि, अप्रैल 1972 के अन्त में 642 करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गयी, किन्तु इस नयी नीति को क्रियान्वित करने के बाद ओवर ड्राफ्ट की रकमें विभिन्न दौरों में चुका दी गई और आगे अनधिकृत ओवरड्राफ्ट नहीं लिए गए जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 1972 के अन्त में ओवरड्राफ्ट की कोई रकम बकाया नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक बाजार ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति को कम करना वांछनीय समझा गया। केन्द्रीय बजट में 215 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने का प्रस्ताव था किन्तु वास्तव में 323 करोड़ रुपय के बाजार ऋण लिए गए। 108 करोड़ रुपय (शुद्ध) के अतिरिक्त ऋणों की आवश्यकता जोरदार रबी कार्यक्रम तथा दैवी आपदाओं के संबंध में राहत देने के लिए अधिक रकमों की व्यवस्था किए जाने के कारण पड़ी। इसके अतिरिक्त, अभी हाल में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अन्तरिम सहायता की घोषणा की गयी है उससे बजट गत व्यय में और वृद्धि हो जायगी। परन्तु सरकार ने खर्च में यथा सम्भव किफायत करने का लगातार प्रयास किया है। पिछले वर्ष, संविदागत व्यय से भिन्न व्यय में तथा आयोजना भिन्न व्यय में सामान्य रूप से 5 प्रतिशत की कटौती लागू की गयी थी और इस वर्ष में भी खर्च पर यथा सम्भव अधिक से अधिक नियंत्रण रखा जा रहा है।

उपर्युक्त उपायों का वास्तविक परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान मंदी के मौसम में अब तक (अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक) मुद्रा उपलब्धि में 121 करोड़ रुपये की ही वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 241 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। यह बात भी ध्यान दिए जाने के योग्य है कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छिमाही में, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले ऋण में 36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई (जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 327 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी); इससे इस बात का पता चलता है कि बजट गत व्यय राजस्वों में हुई वृद्धि और अतिरिक्त बाजार ऋणों के अनुरूप ही है।

मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों में तभी पर्याप्त दृढ़ता आएगी जब राष्ट्रीय उत्पादन में, पिछले दो या तीन वर्षों के उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होगी। पिछले दो अथवा तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की गति के अपेक्षाकृत अवरुद्ध हो जाने का समग्र उत्पादन वृद्धि की दर पर प्रभाव पड़ा है। सौभाग्य से अब यह स्थिति समाप्त हो गयी है। 1972 में औद्योगिक उत्पादन 1971 की अपेक्षा 7 प्रतिशत अधिक हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कुछ कमी होने के बावजूद, सामान और सेवाओं की उपलब्धि में काफी वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा विस्तार की गति के कम किए जाने, रबी की पैदावार बढ़ाने और अन्न की वसूली के प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिए अब किए जाने वाले जोरदार उपायों से तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से मूल्यों की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। वास्तव में, पिछले पखवाड़े में अनाजों के मूल्यों में कमी होने के लक्षण दिखायी पड़ हैं और बाजार में नयी फसल के आ जाने से इस के बने रहने में सहायता मिलेगी।

ऐसा महसूस किया जाएगा कि खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा देश के अपेक्षाकृत दुर्गम क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुओं के लाने ले जाने की दृष्टि से सरकारी वितरण प्रणाली में संगठनात्मक रूप से भारी प्रयत्न करने पड़े हैं। इसी

तरह वसूली के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से राज्यों के वसूली तंत्र को भी सुदृढ़ कर दिया गया है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे खरीफ के अनाजों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दें और अनाज व्यापारी लाइसेंस आदेश को सख्ती से लागू करके व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली जमाखोरी पर भी प्रतिबन्ध लगायें। अब प्रशासनिक कार्य अधिकांशतः पूरा हो गया है और आशा है कि अब उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत स्थिर मूल्यों पर खेतों से सुविधापूर्वक अनाज मिल सकेगा। किन्तु इतने से ही संतोष नहीं किया जा सकता; अगले कुछ महीनों में उत्पादन और मूल्यों की प्रवृत्ति पर सावधानी से नजर रखनी होगी और आवश्यकतानुसार और उपचारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा विधेयक

DELHI SCHOOL EDUCATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिये और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि 15 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिल्ली संघ राज्य में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिये और उससे सम्बद्ध तथा अनुषंगी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि 15 दिसम्बर, 1972 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREA (SPECIAL COURTS) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि चालू सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक
FOREIGN EXCHANGE REGULATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री सतीश चन्द्र (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिये कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार, को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

कम्पनी (संशोधन) विधेयक
COMPANIES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से समय बढ़ाने के मामले बहुत कम होने चाहिएं और इस बारे में निश्चित नियम होने चाहिएं । मैं सभी समितियों के सभापति महोदय और दल के नेताओं से विचार करूंगा ताकि इस बारे में एक निश्चित प्रक्रिया अपनायी जा सके ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर बहुमत दल के लोगों को अनुशासन में रखें तो सभी बातें हल हो जायेंगी ।

श्री आर० डी० भंडारे : इसे रिकार्ड में से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं इस सभा को भोजन के लिये स्थगित करता हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये ढाई बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर तैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Thirty-three minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

गन्ने के मूल्य के बारे में

RE-PRICE OF SUGARCANE

Shri Ishaque Sambhali (Amroha) : The representatives of 4 million sugarcane producers have gathered at the Govt. Club. They say that injustice has been done with them as the price of sugarcane has been fixed very low. They want the nationalisation of this industry. The hon. Minister may give a statement in this regard . There will be a strike if the demands of the farmers are not accepted. I am hearing their memorandum. ((*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने अपनी बात पूरी कर ली है । अब वह कृपा करके बैठ जाए ।

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए ।"

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय इस विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने थे, वह मैंने इस सभा को तभी बता दिए थे ।

विधेयक के खंड 3 का उद्देश्य इस आधार पर, कि वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचना बिक्री अथवा अन्य कारण से हुआ हो तो छूट का दावा करने वाले इसका हस्तान्तरणकर्ता पर दायित्व डालना है । असहमति कार्यवृत्त में यह आशंका की गई है कि इससे व्यापारियों पर अनावश्यक रूप से भार पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परेशानी होगी और भ्रष्टाचार पनपेगा ।

किन्तु हस्तान्तरणकर्ता पर दायित्व डालने में कोई बुराई नहीं हैं । यह उपबन्ध राज्य के राजस्व की सुरक्षा तथा अन्तर्राज्यीय वस्तु विक्रय कर पर करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से रखा गया है ।

खंड 2, 3, 5 और 10 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था करना है कि उसमें उल्लिखित घोषणा पत्रों अथवा प्रमाणपत्रों को निश्चित समय के अन्दर पेश करना होगा । यहां पर भी यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे परेशानी होगी । यह सुझाव भी दिया गया है कि घोषणा पत्रों अथवा प्रमाणपत्रों को निर्धारण के समय अथवा अन्तिम निर्धारण के समय पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए । इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए तथा एकरूपता की आवश्यकता को देखते हुए प्रवर समिति ने खंड 10(क) का पहले ही संशोधन कर दिया है और यह व्यवस्था की है कि समय निर्धारित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार में ही निहित होनी चाहिए । इसका उद्देश्य इस आशय के नियम बनाना है कि घोषणा पत्र और प्रमाण पत्र प्रथम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले निर्धारण के समय तक पेश करने की अनुमति दी जाएगी। पर्याप्त कारण होने पर वह प्राधिकारी उन घोषणा पत्रों तथा प्रमाणपत्रों को उसके द्वारा बढ़ाये गए समय तक पेश करने की अनुमति दे सकता है ।

खण्ड 4 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया जाना है जिसका मंतव्य पंजीकरण प्राधिकार को यह अधिकार देना है कि वे उपयुक्त मामलों में, प्राथमिक पंजीकरण के लिए अथवा पंजीकरण को जारी रखने के लिये 50,000 रुपय तक की जमानत अथवा अतिरिक्त जमानत मांग सके । प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान साक्षियों ने यह अनुभव किया था कि इस उपबन्ध के द्वारा नये तथा छोटे व्यापारियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसलिये समिति ने धन की सीमा संबंधी खण्ड को छोड़ कर इस खण्ड में अब संशोधन कर दिया है और यह उपबन्ध कर दिया है कि जमानत, अथवा कुल जमानत और अतिरिक्त जमानत की राशि किसी व्यापारी द्वारा किसी विशेष वर्ष के लिये उसकी कुल आमदनी पर देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी ।

इसके साथ ही खण्ड 12 का मंतव्य मूल अधिनियम की धारा 15(ख) में पिछली तारीख से संशोधन करना मात्र है । इसलिये यह कहा जाता है कि अधिनियम में पिछली तारीख से किया गया संशोधन मैसूर के ऐसे व्यापारियों पर दुष्प्रभाव डालेगा जिन्होंने 14-2-67 और 9-6-69 के दौरान केन्द्रीय विक्रय कर की राशि प्राप्त नहीं की है । मैसूर के व्यापारियों द्वारा दर्शायी गई दिक्कतें इस विशिष्ट राज्य तक ही सीमित हैं । राज्य सरकार ने इस बात का भी विश्वास दिलाया है कि धारा 15 में पिछली तारीख से संशोधन करने के बावजूद भी जो कि राज्य के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक था, ऐसे व्यापारियों को, जिन्होंने कार्य निष्पादन पर 14-2-1967 के पश्चात् और 9-6-1969 तक कर की राशि वसूल नहीं की है, कर का भुगतान अपनी ओर से नहीं करना पड़ेगा । श्री बड़े ने अपने असहमति

कार्यवृत्त में यह सुझाव दिया है कि खण्ड 12 में किये गये संशोधन के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह आशंका निराधार है क्योंकि इस खण्ड के द्वारा कोई ऐसी सुविधा नहीं छीनी जायेगी जो 1969 के संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध हो।

श्री बड़ जी ने प्रस्तावित धारा 18 के संशोधन का भी सुझाव दिया है जिसके द्वारा इस विधेयक के खण्ड 13 को शामिल किय जाने का प्रयास किया गया है। इस सुझाव को स्वीकार कर लेने से राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए दिवालिया हो जाने वाली गैर सरकारी कम्पनियों से केन्द्रीय विक्रय कर की वसूली और अधिक कठिन हो जायेगी।

नागालैंड की सरकार के अनुरोध पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिनके द्वारा इस विधेयक के कानून बने जाने के दिन से मूल अधिनियम उस राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में लागू हो जायेगा और इस विधेयक के द्वारा प्रस्तावित संशोधन भारत के अन्य भागों में लागू किये जाने की तिथि से इन जिलों में लागू हो जायेंगे।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : करापवंचन की समस्याओं से निपटने और दिवालिया हो गई कम्पनियों से कर की वसूली करने और न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपबंधों की परस्पर विरोधी व्याख्या से किसी गुंजाइश से बचने की दृष्टि से भी केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक को इस सभा में विचारार्थ लाया गया है। किन्तु वास्तव में इस विधेयक के उपबन्धों का वास्तविक अर्थ बहुत ही कम है। इस विधेयक में इसके लिए प्रभावी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रवर समिति ने विधेयक को अच्छे से अच्छा रूप देने का प्रयत्न किया है। मूल अधिनियम कर अपवंचन को रोकने तथा बकाया कर को वसूल करने में असफल रहा है। बड़े बड़े व्यापार गृहों, चोरबाजारी करने वालों तथा एकाधिकार गृहों, जिनके हितों की रक्षा सत्तारूढ़ दल हमेशा करता रहा है, के कारण प्रत्यक्ष करों में काफी हानि हो रही है। इस विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा विक्रय कर की बकाया राशि की वसूली की जा सके तथा कर अपवंचन करने वालों से भी बकाया राशि वसूल की जा सके। जब तक बड़े बड़े व्यापार गृहों, एकाधिकार गृहों तथा कर अपवेचन करने वालों के संबंध में विद्यमान इस नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता उस समय तक इसके कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेंगे।

गरीबी हटाने तथा बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सत्तारूढ़ दल ने निर्वाचन के समय बड़े बड़े आश्वासन दिये थे परन्तु इसके विपरीत महंगायी और बरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। कर अपवंचन और करों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है।

उत्पादन स्थल पर विक्रय कर लगाने के सम्बन्ध में विधेयक में कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसका होना मैं बहुत जरूरी समझता हूं।

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : Sir, the amendments incorporated in the bill are no doubt progressive. This amending bill has not touched those who sell their goods through the dealers and stockists and thereby always evade the central sales tax and excise tax. Central Sales tax and excise tax should be imposed on such stockists in order to stop the tax evasion.

Provision of imprisonment to the capitalists who evade taxes should also be made in the bill, in order to stop the tax evasion. In addition, big business houses should also not be allowed to sell their goods through the stockists. They should get the orders direct from the consumers and sales tax should be charged according to the rates on which goods are sold to the consumers.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : This bill aims at checking tax evasion. The Government is not taking strict action against the capitalists, monopolists and blackmarketeers who are evading the taxes. The taxation policy of the Government is pro-capitalistic. The Government has been talking too much about socialism but in fact its present policies are pro-capitalistic. The Government could levy the Sales tax at the source with a view to relieve the commonman from the burden of tax. If you talk of removing poverty then you should lighten the tax burden

of a commonman. The measures suggested in the bill are no doubt in order but these measures should not hit the commonman when the provisions of the bill are enforced.

The Government should improve its tax machinery. Only big businessmen who have to pay huge arrears of taxes should be hit through the amendments of this bill. Taxes on consumer goods should be removed. Entire sales tax policy should be reviewed with a view to give some relief to the poor.

*श्री जे० माता गोडर (नीलगिरी) : प्रवर समिति ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के सुझाव दिये हैं। मेरे विचार में इस संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय उन पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रारूप तैयार करने वाले अधिकारियों ने न तो व्यापारियों की समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है और न ही मूल अधिनियम की कमियों को ध्यान में रखा है प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन कमियों को दूर कर लिया है।

मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि इस सदन क सामने लाये जाने वाले विधयकों का प्रारूप तैयार करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

खंड 2 के अनुसार अन्तर्राज्यीय विक्रय के लिये प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय साझे निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि व्यापारियों को अधिकारियों से फार्म 'सी' समय पर मिले तो उसी दशा में इस खंड द्वारा की गयी व्यवस्था प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। कभी कभी व्यापारियों से कहा जाता है कि फार्म 'सी' स्टाक में नहीं है। जब विक्रय कर का मूल्यांकन शुरू हो, उसी समय व्यापारियों को फार्म 'सी' प्रस्तुत करना चाहिए।

खंड 4 के अधीन केन्द्रीय विक्रय कर के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रतिभूति का प्रस्ताव है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है। मेरे विचार में यह प्रस्ताव उचित नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, I rise on a point of order. Shri Piloo Mody has come in the House again by wearing the same badge.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ताकि मैं व्यवस्था के प्रश्न को सुन सकूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जो भी माननीय सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं वे इस सदन में यह शपथ ग्रहण करते हैं कि वे संविधान की मर्यादाओं के प्रति निष्ठावान रहेंगे। प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में रोष प्रकट करने के बाद भी क्या श्री पीलू मोदी इस प्रकार इस बैज को पहन कर सभा में आ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लम्बा भाषण दे रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री ऐस०एम०बनर्जी : मैं यह जाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा रोष प्रकट किए जाने के बाद भी क्या श्री पीलु मोदी सदन की मर्यादा को इस ढंग से भंग कर सकते हैं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति दे चुका हूं। इसे एक लम्बी चर्चा न बनाइये। इन्होंने पूछा है कि श्री मोदी द्वारा बैज पहन कर यहां आना क्या संवैधानिक है? इस पर विचार करना होगा क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रश्न है। मैं इस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं।

सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह जरूरी है कि हर माननीय सदस्य सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये अपना सहयोग दे।

मेरे विचार में श्री मोदी को अध्यक्ष महोदय की प्रतिक्रिया का पालन करना चाहिये। श्री मोदी सदन के बाहर कुछ भी करें लेकिन हर माननीय सदस्य से यह आशा की जाती है कि वे इस तरह से व्यवहार करें जिससे सदन में कोई विवाद न पैदा हो। जब तक इस सदन के सामने उचित प्रस्ताव नहीं आता उस समय तक मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह कहूं कि बैज पहन कर श्री मोदी ने संविधान का उल्लंघन किया है।

---

* तामील में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

डा० कैलाश : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये । ऐसा करना उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ पहन रखा है उसका सभी ने उल्लेख किया है तथा स्वयं माननीय सदस्य ने भी उसका खण्डन नहीं किया है । अत: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक है । अब श्री गौडर

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी) : मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह केन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण तथा स्थानीय बिक्री कर पंजीकरण के बीच अनावश्यक अन्तर की ओर ध्यान दें ।

खण्ड 13 में व्यवस्था की गई है कि परिसमाप्त होने वाली कम्पनी के केन्द्रीय बिक्री कर की अदायगी की जिम्मेदारी उक्त कम्पनी के निदेशक की होगी तथा उक्त कम्पनी के लिये नियुक्त परिसमापक यह सुनिश्चित करेगा कि बन्द होने वाली कम्पनी सबसे पहले अपनी आस्तियों से सरकार की सभी बकाया राशि की अदायगी करे । परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कम्पनी के निदेशक को केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि अदा करने का जिम्मेवार क्यों बनाया गया है । मंत्री महोदय यह बात स्पष्ट करें ।

बिक्री कर राज्यों के राजस्व की रीढ़ की हड्डी होता है। इसके अतिरिक्त उनके पास राजस्व प्राप्त करने के बहुत ही कम साधन होते हैं । परन्तु केन्द्र सरकार केन्द्रीय बिक्री कर के माध्यम से उसमें भी हिस्सा लेना चाहती है तथा उसकी वसूली भी वह राज्य के बिक्री कर प्राधिकारियों के द्वारा कराना चाहती है । इस प्रकार मुझे भ्रम है कि केन्द्र सरकार एक एक करके राज्यों के राजस्व स्रोतों को हथियाना चाहती है । अत: मेरा अनुरोध है कि केवल एक ही प्रकार का बिक्रीकर रहे और वह राज्य के हाथ में रहे । कई प्रकार के बिक्री करों से व्यापारियों में कदाचार बढ़ता है । वे दोहरे खाते रखकर इन दोनों प्रकार के करों का अपवंचन करते हैं ।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करके उसे स्थानीय बिक्री कर के साथ मिला दिया जाये ताकि इसकी क्रियान्विति प्रभावपूर्ण ढंग से हो तथा व्यापारी लोग कदाचार न कर सकें ।

क्योंकि प्रवर समिति ने इस विधेयक में संशोधन किये हैं, अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri R.V. Bade (Khargon): This bill was discussed in the Select Committee and in view of removing the difficulties of the small traders some amendments were made in it there. I had put my dissent note thereon to which the Hon. Minister has now replied also. In clause (3), I had said that the burden of proof should be on the taxing authorities because a positive proof is required first than the negative proof and the person at the dock is supposed to be innocent. But the Government has not been able to justify only the burden of proof should be put on the dealer instead of the authorities whereas it is necessary to prove the taxables before proving what is to be paid as tax. Most of the witnesses appeared before us criticised the burden of proof on the dealer and the provision of a security of 50,000 in the original Bill. No States have prescribed a security of so much amount. So it is only after the amendment that you have provided for a security equivalent to the amount of tax.

Then the Director of a Company under liquidation have been made liable whereas it is the Receiver who arranges for the payment of the Government dues. That is why I had had suggested—"Provided that nothing contained in this Sector shall debar the liquidator from parting with such assets." Whereas the Hon. Minister has stated what happened in 1969 would not happen anywhere except Mysore State. But why in the Mysore State this happened ? And I understand that other States too won't escape. So, I had proposed the insertion "Provided that this sub-section shall not in anyway affect the operation of the provisions of the Central Sales Tax (Amendment) Act of 1969." That was my protest.

One more point, I have to make. The capitalists people open their sub-offices at several places and send their consignments, there and then they evade taxes. But my point is that till our Taxing Officers are corrupt such type of corruption and tax evasion cannot be stopped. They should be quite alert and honest.

As regards obtaining certificates in 'C' form. The Government should arrange for the availability of the 'C' forms to the dealers. Ordinarily these forms are not easily available and the dealers have to face great difficulties in getting these forms. Then these forms should be allowed to be furnished before the finalisation of assessment and not within the prescribed time as has been provided in the Bill. There should also be a procedure in this behalf. Although the Government propose to plug the loopholes with the help of these amendments but it can be done only when the concerned officers are alert and honest.

Then, I have suggested that the burden of proof should be deemed to have been discharged if a declaration has been filed by the dealer before the prescribed authority.

There should be particular limit of time fixed instead of repeatedly saying 'prescribed limit of time' which speaks of only the discretion of the officers and also which leaves scope for favouritism and corruption in this respect. Why not be sure of it ?

Besides what has been submitted above, I would say that Government is creating more and more hurdles and difficulties for the dealers in paying the tax. Particularly the small dealers are scared of the Sales Tax-Officer and Tax. So, necessary improvements should be made in the Bill to safeguard their interest and also to make 'C' forms available to them easily.

Shri Hukamchand Kachwai : On a point of order, I rise to point out Sir, that there is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है । अब सभा में गणपूर्ति है ।

श्री के०आर० गणेश : अपने प्रारंभिक भाषण में मैंने श्री बड़े की असहमति टिप्पणी में उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे । उक्त विधेयक मूल अधिनियम में व्याप्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा क्षेत्रीय परिषदों के साथ गंभीरता से विचार विमर्श करके पेश किया गया है ताकि बिक्री कर का अपवंचन रुके और उसका प्रशासन भी बेहतर हो । प्रवर समिति ने भी इस विधेयक पर खूब सोच विचार किया, अनेक व्यक्तियों तथा संगठनों के मत प्राप्त किये तथा फिर अपना प्रतिवेदन दिया ।

यह कहा गया था कि यद्यपि यह विधेयक मूल अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिये उचित कदम है परन्तु जब तक बिक्री कर संबंधी प्रशासन को अधिक कठोर नहीं बनाया जायेगा इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इसी लिय इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है तथा इसमें कुछ दण्डात्मक खण्ड जोड़े गये हैं तथा प्रमाण देने का दायित्व उसी व्यक्ति पर सौंपा गया है जिसको तत्सम्बन्धी तथ्यों की अधिक जानकारी हो सकती है। विधेयक में निहित संशोधनों का मूल उद्देश्य मूल अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना है ।

कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत बिक्री कर का अपवंचन होता है । वे हैं : ठेके पर कराया जाने वाला काम किराया खरीद लेन देन, प्रेषण अन्तरण, नियंत्रित वस्तुयें, चुंगी चौकियों की स्थापना आदि । ऐसे ही कुछ मामलों से राज्य सरकारें परेशान हैं । इन मामलों के संबंध में कई बार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों से निर्णय भी लिये गये हैं । इसी प्रकार इस विधेयक के सीमा क्षेत्र के बाहर के कुछ मामलों पर विधि मंत्रालय के माध्यम से विधि आयोग को विचारार्थ भेजा गया है । इस संदर्भ में संविधान में कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे । श्री प्रबोध चन्द्र द्वारा की गई विशिष्ट शिकायत संबंधी मामले को हमने राज्य सरकार के पास भेजा है क्योंकि राज्य बिक्री कर का नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा होता है । साथ ही सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं पर बिक्री कर का विषय भी संबंधित राज्य सरकारों का विषय है और केन्द्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है ।

कम्पनियों के निदेशकों पर दायित्व डालने का मामला विधि आयोग को सोंपा गया था जिसने सामाजिक अपराधों के बारे में दण्डात्मक प्रावधान करने का मत व्यक्त किया है । आयकर अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम आदि में भी उक्त दायित्व संबंधित कर-दाता के ऊपर ही डाला गया है । ताकि संबंधित प्रशासन और प्राधिकारी बकाया राशि अथवा किसी प्रकार की जालसाजी की जांच कर सकें ।

माननीय सदस्यों की भांति सरकार भी करों की बकाया राशि के बारे में चिन्तित है तथा हम यह स्वीकार करते हैं कि कर अपवंचन हो रहा है, करों की चोरी की जाती है तथा जाल साजी भी होती है। साथ ही यह भी सच है कि क़ानून के स्वरूप में परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया है। सामाजिक अपराधों तथा अन्य प्रकार के अपराधों के बीच अन्तर करना होगा तथा निदेशक क्योंकि अपनी कम्पनी का संचालक होता है अत: प्रमाण का दायित्व उसी पर डाला जाना चाहिए क्योंकि उसे सभी प्रकार की जानकारी होती है। प्रशासन पर अथवा पाधिकारी पर उक्त कार्यभार डालने से कठिनाई पैदा हो जायेगी।

इस विधेयक पर राज्य सरकारों तथा अन्तर्राज्य क्षेत्रीय परिषदों ने गंभीरता से विचार किया है तथा उक्त विधे - यक केन्द्रीय विक्रय कर तथा राज्य कानूनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर ही तैयार किया गया है। प्रवर समिति ने भी इस पर सर्वांगीण रूप से विचार किया है तथा इसमें कुछ त्रुटियां दूर करके उसमें कुछ संशोधन भी किए हैं, इस में सुधार किये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इसे स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करें। खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। अत: प्रश्न यह है:
"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3—नयी धारा 6 क का जोड़ा जाना

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : इस बारे में मैं पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं तथा कानून को वस्तुत: कारगर बनाने के लिये प्रमाण का भार निदेशक पर ही डालना उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड—4—धारा 7 का संशोधन

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं । प्रश्न यह है कि नया व्यापारी अपने उत्पादन का तथा उस पर कर का पूर्वानुमान कैसे लगा सकेगा साथ ही यह भी सच है कि राज्यों में धरोहर राशि नहीं ली जाती इसलिए केन्द्र भी न ले ।

श्री के० आर० गणेश : उक्त धन राशि की सीमा पर प्रवर समिति में भी पूरी तरह विचार किया गया था तथा स्वयं प्रवर समिति ने ही प्रस्ताव किया कि धरोहर राशि पूर्वानुमानित कर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये । अत: मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं । "सी" फार्म भरने की अनुमति उस समय तक की मिलती जाये जब तक कर की राशि का अन्तिम रूप से निर्णय न हो जाये ।

श्री के० आर० गणेश : अन्तिम रूप से निर्णय की बात बहुत व्यापक है । इस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक भी बात लटक सकती है । अत: इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 3 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 से 11 तक पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है । अत: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 5 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 5 to 11 were added to the Bill

खण्ड 12

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं ।

मंत्री महोदय का कहना है कि वर्ष 1969 के संशोधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । परन्तु फिर धारा 12 में संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी ? वस्तुत: यह संशोधन इसलिए किया गया है कि जो फायदा उसे उस समय हुआ है उसे निकाला जाये । जबकि हम चाहते हैं कि जो 1969 का एवार्ड हमें मिला है वह न हटाया जाए । इसी वास्ते मैंने यह संशोधन पेश किया है ।

श्री के०आर० गणेश : इसकी पूरी तरह जांच कर ली गई है तथा वर्तमान संशोधन से 1969 के अधिनियम की धारा 10 में मिले अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment No. 4 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं ।

यह कम्पनी के परिसमापन के बारे में है । मेरा मत है कि कम्पनी के विदेशक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए। कम्पनी का परिसमापक कम्पनियों की आस्तियों से पहले सरकारी करों आदि की अदायगी करता है तथा बाद में दूसरी अदायगियां की जाती हैं । उक्त प्रावधान से कंपनी के निदेशक जिम्मेवारी से कार्य नहीं करेंगे तथा कंपनी की प्रगति रुक जाएगी तथा शासन को भी कोई लाभ नहीं होगा । अतः प्रमाण देने का भार व्यक्तिगत रूप से किसी पर नहीं डाला जाना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : उक्त प्रावधान अन्य अधिनियमों यथा आयकर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अनुसरण में किया गया है । अतः यह संशोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 5 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब अन्य कोई संशोधन नहीं है । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, 14 तथा 15 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 13, 14 तथा 15 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 13, 14 and 15 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 1, the Enacting Farmula and the title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) संशोधन विधेयक

KHADI AND OTHER HANDLOOM INDUSTRIES DEVELOPMENT (ADDITIONAL EXCISE DUTY ON CLOTH) AMENDMENT BILL

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के द्वारा वर्तमान अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 5(2)(ङ) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) विधेयक 1953 में पारित किया

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwari *in the chair*]

था। 1952 में इन उद्योगों के समक्ष गंभीर संकट उपस्थित हुआ था। देश में हथकरघा कपड़ा बहुत अधिक जमा हो गया था। सरकार ने इस विषय पर विचार किया और यह निश्चय किया गया कि इन उद्योगों को अन्वेषण, डिजाइन और विपणन आदि के लिए सहायता की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने के लिए मिलों में बनने वाले सभी कपड़े पर 3 पैसे प्रतिगज के हिसाब से उपकर लगाने का निश्चय किया गया। इस उपकर की राशि से खादी और अन्य हथकरघा उद्योगों को सहायता दी जाती है। खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त शुल्क) अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कारखानों द्वारा उत्पादित कपड़ों की सभी किस्मों पर अतिरिक्त कर लगा सकती है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कपड़े पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत उस सभी कपड़े पर जो किसी मिल द्वारा निर्मित या उसके स्टाक में पड़ा हो, शुल्क लगाया जायेगा और एकत्र किया जायेगा। इस धारा के परन्तुक द्वारा उस कपड़े पर शुल्क लगाना वर्जित होगा जो भारत से निर्यात किया जाता है। इस परन्तुक के अनुसरण में वस्त्रों और वेषभूषा के बनाने में प्रयुक्त होने वाले कपड़े पर 10 जनवरी, 1957 से कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। परन्तु इस छूट की वैधता के संबंध में संशय व्यक्त किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 3 को पूर्व प्रभावी तिथि अर्थात् 10 जनवरी, 1957 से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि कपड़े से बनाये जाने वाले और भारत से बाहर निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों और वेषभूषा पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क न लगाया जाए।

1953 के अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह कपड़े की उन किस्मों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अदायगी को छूट दे सकती है जिनको 1944 के अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त थी। 1960 के बजट प्रावधानों के अन्तर्गत यह छूट वापस ले ली गई और उसके स्थान पर नाम मात्र का उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। अतः उपरोक्त अधिनियम के अनुसार कपड़े की उपरोक्त किस्मों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी देय होता है। तथापि कार्यकारी अनुदेशों के द्वारा यह छूट जारी रखी गई। परंतु ऐसा बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 5(2)(ङ) के अन्तर्गत कोई छूट नहीं दे सकती।

अधिनियम की धारा 5(2)(ङ) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार कपड़े की उन सभी किस्मों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट दी गई जिनके बारे में 1944 के अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त थी। कपड़े की कुछ किस्मों पर उत्पादन शुल्क की अदायगी को 1 मार्च, 1969 से छूट दी गई और उन किस्मों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी देय नहीं था। परन्तु अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट देने का कोई विचार नहीं था इस लिए 7 जुलाई, 1970 को एक अधिसूचना जारी की गई कि उपर्युक्त नियम कपड़े की इन किस्मों पर लागू नहीं होंगे। इस बीच कपड़े की उपर्युक्त किस्मों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वसूली होती रही। अतः 1 मार्च, 1969 से 6 जुलाई, 1970 के बीच की गई वसूलियों को विनियमित तथा वैध करना आवश्यक हो गया है।

विधेयक का उद्देश्य भारत से बाहर निर्यात किये जाने वाले वस्त्रों और वेशभूषा में प्रयुक्त किये जाने वाले कपड़े पर हथकरघा उपकर छूट देने के विचार से खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 की धारा 3 और धारा 5(2)(ङ) का संशोधन करना है। इसके साथ ही उन मामलों में भी

छूट देना है जिन में केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत लगाए गए उत्पाद कर से आंशिक छूट प्राप्त थी। इन संशोधनों के द्वारा 1 मार्च, 1969 और 6 जुलाई, 1970 के बीच की गई अतिरिक्त उत्पाद कर की वसूली का भी विनियमन और वैधकरण किया जा सकेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम): हथकरघा उद्योग का देश की अर्थ व्यवस्था में विशेष महत्व है। यह देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है और इसके द्वारा लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है। इसके साथ ही देश की कपड़े की एक तिहाई अपेक्षाओं की पूर्ति भी इस उद्योग द्वारा होती है। यद्यपि इस संशोधन के परिणाम-स्वरूप सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और सिले सिलाए वस्त्र उद्योग में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथापि कपड़ा मिलों के मालिक इस उपबन्ध का दुरुपयोग करेंगे और निर्यात के लिए कपड़े का उत्पादन करने के बजाय वे देश के अन्दर ही कपड़े बेच देंगे। अतः सरकार को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए।

धागे की कमी के कारण हथकरघा उद्योग में गंभीर संकट आ गया है। सरकार को इस उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देना चाहिए। हजारों करघे बंद हो गए हैं। लाखों बुनकर बेकार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु में करोड़ों रुपयों का हथकरघा सामान बिना बिका हुआ गोदामों में पड़ा है और उद्योग को असाधारण संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार उद्योग को इस असाधारण संकट से बचाने और लाखों मजदूरों एवं उनके परिवारों की रक्षा के लिए प्रभावी तथा ठोस उपाय करने चाहिएं।

***श्री जे माता गौडर** (नीलगिरी): मूल अधिनियम 1953 में पारित किया गया था। चार वर्षों के पश्चात उसके अन्तर्गत कुछ किस्मों के कपड़ों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। परन्तु उस छूट को कानूनी रूप देने के लिए आज 15 वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद इस संशोधन को लाया गया है। इसी प्रकार 1960 में दी गई छूट को भी इस विधेयक के द्वारा कानूनी रूप दिया जा रहा है। सरकार को इस अवसर पर इस बात की जांच करनी चाहिए कि खादी और हथकरघा उद्योग द्वारा और जो कठिनाइयां अनुभव की जा रही हों उन्हें भी दूर किया जाए।

खादी तथा हथकरघा वस्तुएं गांवों में रहने वाले हमारे लाखों लोगों की आजीविका का मख्य साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से इस उद्योग का विशेष स्थान है अतः इसके विकास के लिए हमें आवश्यक प्रोत्साहन सुनिश्चित करने चाहिएं।

1970-71 के दौरान देश से 10 करोड़ रुपये के मूल्य की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात हुआ। इसमें से तमिल-नाडु से 7 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात हुआ। इससे प्रतीत होता है कि तमिल नाडु के लिए इस उद्योग का विशेष महत्व है। राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के प्रशिक्षण पर प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये व्यय किए जाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा ऋण दिये जाते हैं। उनके लिए मकानों का निर्माण किया गया है।

सरकार ने हथकरघा बुनकरों को धागे के वितरण के लिए एक योजना बनाई और यह भी कहा कि यदि यह नीति सफल न रही तो इस संबंध में विधायी उपाय किए जाएंगे। सरकार स्पष्ट करे कि बुनकरों को धागे के सीधे वितरण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। मिल-मालिक इस प्रकार का वितरण नहीं कर सकते अतः सरकार को यह कार्य स्वयं करना चाहिये और इस बारे में आवश्यक विधान बनाया जाये।

फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, डेनमार्क तथा अन्य युरोपीय देशों में हथकरघा वस्तुओं की बहुत अधिक मांग है। सरकार को इस दिशा में पर्याप्त करके निर्यात बढ़ाना चाहिय। पश्चिम देशों के लोग खादी को बहुत पसन्द करने लगे हैं अतः इस अवसर का हमें लाभ उठाना चहिये।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य दक्षिण): हमारे देश के लगभग छह लाख गांवों की अर्थ व्यवस्था के लिए खादी का बहुत अधिक महत्व है। स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान खादी के कपड़ों का अपना ही महत्व था। परन्तु अब

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi Version of the English Translation of the speech delivered in Tamil.

स्थिति बदल गई है। इस परिवर्तत स्थिति में भी खादी गांवों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बनी हुई है। अत: सरकार को इसके विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए अब तक जो कुछ भी किया गया है वह अपर्याप्त है। परन्तु ऐसा कब तक किया जाता रहेगा। यदि इस उद्योग के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये और इसे औद्योगक स्तर तक लाया जाए तभी यह उद्योग जीवित रह सकेगा।

सरकार के विशेषज्ञ इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिनके अन्तर्गत खादी उद्योग का समुचित विकास हो सके और ग्राम खादी का आधार बन सकें। बुनाई केन्द्रों की आयोजना वैज्ञानिक ढंग पर की जानी चाहिये। खादी उद्योग का यदि सुनियोजित आयोजन किया जाए तो ग्रामों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब हमारे देश के ग्राम आर्थिक रूप से पुनर्जीवित हो जायेंगे तभी हमारा देश प्रगति कर सकेगा। सरकार खादी उद्योग के आर्थिक वैज्ञानिक आदि पहलुओं के अध्ययन के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति अथवा आयोग गठित करे जो हथकरघा उद्योग के आयोजित, वैज्ञानिक आधार पर पुन: स्थापन के लिए प्रस्तुत करे।

Shri Jharkhande Rai (Ghori) : Handloom Industry is an age old industry of our Country. About 15 million people of our country are dependent on this Industry for their living. But our Government has been giving a step motherly treatment to this Industry.

Weavers in our country are living in starvation. They have to obtain yarn in black market. There is no proper arrangement for disposing of the cloth woven by them with the result that stocks of khadi cloth worth about Rs. 40 crore have accumulated in U.P. alone. The Government has not been able to dispose there stocks. This Industry is struggling for its survival. Government policies have not been helpful for this Industry. Piecemeal amendments in the Bill would not serve the purpose. Government should decide that certain kinds of cloth should be made by Handlooms and powerlooms only. This would save this Industry from competition with Mills.

There is a Jaipuria Swadeshi Cotton Mill in Mhow (U.P.) This area is a very big centre of weavers. But weavers of this area are not supplied any yarn from this Mill. This should be looked into.

To-day position is that this Industry can not stand free competition and it is existing only due to Government subsidy. If this Industry is to be saved, Government should change its basic policies.

Shri Huckam Chand Kachwai (Morena) : Sir, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : Bell is being rung—Now there is a quorum in the House.

Shri Vasant Sathe (Akola) : Though objectives of this Bill are very limited it is a very important Bill. We are talking of eradicating poverty from our country. If we are able to provide three basic necessities, food, cloth and shelter to the poor we can eradicate poverty. About 15 million people are working in Handloom sector in our country. But it appears that the Government has not considered the question of cloth from national point of view. During the freedom struggle khadi had become the symbol of 'swadeshi' but to-day this concept has changed.

To-day the country is facing the problem of unemployment. Textile Mills in the country provide employment to about 7 lakhs of persons whereas handloom sector is providing employment to about 15 million people. These 7 lakhs people are engaged in the production of 60 per cent cloth, whereas 15 million people employed in handloom Industry are producing 40 per cent cloths from the country.

We are taking of decentralisation of economy hand of providing employment to more and more people. In my opinion Handloom Industry can be the best cottage industry for providing employment to more and more people.

We are importing huge quantity of cotton on the plea that the cloth woven from that cotton is being exported. But the fact is that most of such cloth is being consumed in the country itself. Standard cloth, coarse cloth and medium cloth which are being exported are made from indigenous cotton. This import of cotton is affecting our handloom industry. The amount being spent on the import of cotton should be provided as assistance to cotton growers, so that they can raise the cotton production.

Government should also make a provision that certain categories of cloth can be woven in handloom sector while other categories spun by Mills. This is the only way to save the handloom industry. We have to get rid of vested interests of Mill sector and save the handloom industry, which is a bigest employment oriented industry.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Though this Amendment Bill is a belated step yet it is worth welcoming. At least now the Government has realised the need to do something for the development of khadi and handloom industry. Public Accounts Committee and Jaya Prakash Committee had given certain suggestions with regard to this Industry. But no attention has been paid towards those. This amendment is not going to help in the development of khadi and handloom. Khadi and handloom are back-bone of our country's economy. But even then this sector has been neglected during the 25 years of Independence. This neglect has created a plethora of economic problems for our country.

If we are serious about the development of this industry we should take constructive steps. Working of khadi Commission should be improved. Government should ensure that the subsidy it is providing to this industry is properly utilized. We should make this industry self-relient so that it could take its place of pride in the economy of the country.

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : Sir, according to the report of the Ashok Mehta Committee the Central Government and Textile Commissioner has issued (G.R.) instructions to the concerned State Governments reserving productions of coloured sarees by the Handloom Industry only. But I regret to say that these instructions have not been implemented so far, and moreover Government is also very indifferent in this matter. Coloured sarees are being produced by powerloom industry and there is no check on them with the result that handloom industry is not able to compete with the powerloom industry. This Bill will not remove these difficulties of the handloom industry.

The economic condition of the handloom weavers in Vidarbha is very critical. They are going to start agitation. Moreover the lower court has issued a stay order against the instructions of the Central Government and Textile Commissioner. But the Government did not try to get that stay order vacated. Even the handloom society/Board in Vidarbha do not want that handloom industry should produce coloured sarees.

Therefore this Bill is not sufficient to improve the lot of handloom weavers. The Government should ensure to see that the instructions issued reserving the production of coloured saree by the handloom industry is strictly enforced. For this purpose a committee should be appointed.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Mr. Chairman, I stand to support this Bill. This is an ancient and very important industry. The handloom and khadi industry is providing employment to the labourers and poor people, especially in the Eastern Districts of Uttar Pradesh and Western Districts of Bihar. The hon. Minister has stated that the Gandhi Ashrams are not working properly. So an expert committee should be set up to go into the causes of the losses incurred by the Gandhi Ashrams and the difficulties being faced by the worker in getting their wages. Provisions should also be made to provide raw-thread to the handloom weavers.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

Mr. Chairman : Quorum Bell is being rung..... Now there is quorum. The Hon. member may continue his speech.

Shri Chandrika Prasad : The Parliamentary Committee in its Report has stated that huge stock has accumulated for sale. The hon. Minister for Foreign Trade should solve this problem and arrangements should be made to export powerloom and handloom goods. Substantial aid should be given to the powerloom and handloom industry according to the recommendations of the Committee. Provisions should be made for the technical know-how to this industry so that they can produce better design of their production and also some of the items of productions should be kept reserved for Handloom industry.

As recommended by the Parliamentary Committee, a handloom board should be set up for the alround development of handloom industry.

श्री ए० सी० जार्ज : इस विधेयक पर चर्चा में खादी और हथकरघा उद्योग सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है। अनेक माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। माननीय सदस्यों ने खादी और हथकरघा उद्योग को अधिकतम सहायता और सुविधाएं देने पर बहुत बल दिया है।

इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस उद्योग को अधिकांश सहायता एवं सुविधाएं राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। सरकार के सांविधिक निर्णय के अनुसार रंगदार साड़ियों का निर्माण हथकरघा बुनकरों के लिए आरक्षित किया गया है। इस आरक्षण सम्बन्धी कई मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हुए हैं जिनमें से उच्च न्यायालय ने एक याचिका को रद्द किया है। राज्य सरकारों से कई बार कहा गया है कि हथकरघा के लिए रंगदार साड़ियों के आरक्षण को कड़ाई से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का काम है कि इसे पूर्ण भावना के साथ पूरा किया जाए।

वस्तुतः हम कुछ और मदों का आरक्षण करने का विचार कर रहे हैं। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सूती कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

रूई के आयात के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। जहां तक रूई के आयात का सम्बन्ध है, 1970-71 में 8.52 लाख गांठों पर 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। 1971-72 में गांठों की संख्या कम होकर 7 लाख रह गई जिन पर 91 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। गत वर्ष की तुलना में यद्यपि इस वर्ष फसल की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है फिर भी चिंताजनक कोई बात नहीं है और हमें आशा है हम केवल 5.5 लाख गांठों का ही आयात करेंगे, जिसमें 71 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

दो वर्ष से अधिक समय से रूई के आयात में भारी कमी हुई है।

एक माननीय सदस्य : निर्यात की क्या स्थिति है ?

श्री ए० सी० जार्ज: इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि बिजली की कमी न होती तो हम 155 करोड़ रुपये के निर्धारित निर्यात लक्ष्य को पार कर गये होते। फिर भी हमें आशा है कि हमारे निर्यात में गत वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि होगी।

गत वर्ष रूई का उत्पादन बहुत कम था। केवल 55 लाख गांठों का ही उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 68 लाख गांठों के उत्पादन की सम्भावना है।

धागे की सप्लाई के लिए हमने व्यवस्था की है। जिससे कमजोर क्षेत्रों के राज्यों में राज्य उद्योग निदेशालय के माध्यम से धागा उपलब्ध हो सके। हमें यह सूचना मिली है कि यह व्यवस्था संतोष ढंग से चल रही है। माननीय सदस्यों द्वारा इस बारे में दिये जाने वाले सुझावों का स्वागत है और हम इस बारे में यथा शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खादी और अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : कुछ खण्ड है लेकिन संशोधन कोई नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2, 3, और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक के नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ए० सी० जार्ज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

Shri Ramavatar Shastri (Patna): It has been stated that two crores of people employed in these industries are affected. But the situation in Bihar is deplorable. It was stated that some steps would be taken with regard to U.P. and Bihar. But nothing has been done so far.

Enough has been said about the development of Khadi industry. The administrators in these industries are acting in a indiscriminate manner. They have made the full board as their personal property. The workers of khadi Bhandar and Gandhi Asharam are being forced to go on strike. They are not treated properly. Their difficulties are not looked into. Their difficulties should be removed. This industry should be developed so that the Spinners may be benefited. The condition of these industries in Bihar may become more deplorable if timely action is not taken. I want that steps should be taken in this direction.

Shri Satpal Kapur (Patiala); The basic problems of weavers have not been dealt with in this Bill. There had been an agreement between the Spinning Mills and the weavers. But it has not been implemented by the Spinning Mills. But the Government could not succeed in changing the attitude of the weavers. It has failed in implementing the agreement. As a result of it the Government has not succeeded in protecting the weavers. The Government should give an assurance that it will save the weavers from being harassed by the Spinning Mills. If it is not so, the Government should take over those industries.

श्री० ए० सी० जार्ज : गत अप्रैल में यह सहमति हुई थी कि कताई मिलों को दक्षिण भारत की पद्धति के अनुसार धागे की सप्लाई की जायेगी। यह भी निश्चय किया गया था कि राज्य उद्योग अधिकारियों को इस कीमत पर धागा उपलब्ध कराया जायेगा और उन्हीं के माध्यम से वितरण किया जाएगा। हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि उद्योग अधिकारी इनका आबंटन कर रहे हैं। इस बारे में शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा। राज्य सरकारों से इस बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्त पोषणार्थ चूनापत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

चूनापत्थर और डोलोमाइट खान में काम करने वाले श्रमिकों के रहन सहन की स्थिति को सुधारने के लिए की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है। कोयला, अभ्रक और लोह-अयस्क खनन उद्योग की प्रणाली के अनुभव से प्रोत्साहित होकर सरकार ने चूनापत्थर और डोलोमाइट खनन उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के लिए कल्याण उपायों की व्यवस्था करने के लिए ऐसी ही निधि स्थापित करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए किसी खान से निकाले गए उतने चूनापत्थर अथवा डोलोमाइट पर उत्पादन शुल्क के रूप में उपकर लगाने का प्रस्ताव है जितना किसी कारखाने के मालिक को बेचा जाता है और ऐसी खान के मालिक द्वारा सीमेंट, लोहा और इस्पात के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है उपकर की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। प्रस्तावित निधि का उद्देश्य श्रमिकों और उन पर निर्भर व्यक्तियों की जीवन स्थिति सुधारने की है।

डोलोमाइट का प्रयोग साधारणतया इसी जगह होता है जहां चूनापत्थर का प्रयोग होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन खनिजों को निकालने के कार्य में लगभग 58,000 श्रमिक लगे हैं। यदि प्रति श्रमिक तीन भी व्यक्ति आश्रित हों तो लाभ उठाने वालों की संख्या 2 लाख से ऊपर होगी।

चूंकि सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योग चूनापत्थर और डोलोमाइट के कुल उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत उपयोग करते हैं, अतः इन उद्योगों में उपक्रम लगाये जाने वाले उपकर को एकत्र करने के लिए एजेंट के रूप में काम करेंगे।

इस कल्याण निधि को स्थापित करने का उद्देश्य चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों के कर्मचारियों और आश्रितों को कोयला, अभ्रक और लोह अयस्क खानों में प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के अनुसार लाभ प्राप्त करवाना है।

चूनापत्थर और डोलोमाइट पर, जो लगभग 220 लाख टन है, प्रति मैट्रिक टन पर 20 पैसे उपकर लगाना आवश्यक होगा। उक्त दर से लगाए गए शुल्क से लगभग 44 लाख रुपए एकत्र होने की संभावना है।

इस प्रकार एकत्र किया गया धन भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाएगा। यह निधि त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों के परामर्श से चलाई जायेंगी। इन समितियों के कार्य में राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया जाने का विचार है। केन्द्रीय सरकार भी एक त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन कर सकती है जो कि राज्य सलाहकार समितियों के कार्यों का समायोजन करें और यह सुनिश्चित करे कि उनका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि का हिसाब किताब रखा जायेगा अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा चिकित्सा, अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं, पानी सप्लाई की योजनाएं और आवास आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है : कि चूनापत्थर और डोलोमाइट की खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ चूना और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : So far as the question of levy or cess on limestone or dolomite, is concerned I support it. It has been the experience that the welfare funds meant for mica, coal and iron-ore mining industries, have never been used for the purposes for which they were meant. The conditions of clubs, hospitals and schools meant for the workers is very deplorable.

As soon as the Government increases the cess, the owners increase the prices of the commodities. It so happens in the case of coal and other commodities. The economy of the country will be greatly affected. So suitable steps should be taken to check the prices.

There should be uniformity in all the welfare funds in different industries. The Government should bring a comprehensive legislation with regard to administration of welfare funds. It should include a provision to check the rise in price of commodities on which a cess is levied. The prices of the commodities are rising due to faulty policies of the Government. The Government has made the country poor. There should be some guarantee that the price of that commodities will not be increased in case cess is imposed on them. With these words I support the cess imposed and oppose the clause introduced in it.

Shri Shiv Nath Singh (Jhunjhunu) : I support this Bill. But the creation of separate welfare fund for each industry will not serve any purpose. There should be a unified scheme and there should be a fixed standard of amenities which should be provided to the workers, irrespective of the industry they belong to.

There is a provision in it that the money collected under this fund will be spent for the welfare of the labour. But in fact it will not be so.

It is a matter of regret that today we have to establish welfare funds for drinking water and for the treatment of the labour. All these facilties should be provided by the owners themselves.

By creating such different funds, Government is trying to take the responsibility of the industry owners. Even today some of the industry owners keep the money of the provident fund with them and do not deposit it and thus they earn profit from the welfare fund. Some unified policy should be made in this regard whereby workers should be sure of getting basic facilities.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I welcome the Bill brought forward by Shri Khadilkar. It is praiseworthy that besides increasing their living standard provision has been made for establishing a welfare fund for the limestone and dolomite mines labour. He is to be congratulated for it. The Government should take strict action in realising the money. There is no use of making schemes unless they are properly implemented. The administration of the welfare fund should be in the hands of the mining workers so that they may get maximum benefit out of it.

The workers can only be benefited in the real sense if the rate of cess is increased from 20 paisa to one rupee. Penalty for not depositing Provident Fund money by the owners is a welcome step taken by the Government. The Government should take strict measures for realising cess amount. It should not spend more on the cess realising machinery. If 20 to 25 lakhs of money is spent on the cess realising machinery, not enough money will be left for the welfare of the workers.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I support the objects of the Bill, but so far as the clauses of the Bill are concerned, they are disappointing. It is feared the industry owners will use that fund for their own benefit. There are certain mines in which loading, unloading, despatching, servicing, maintenance and repair facilities are not available. All these exist at a distance of ten to twelve miles from mines. It will not come under the provision of this Bill.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 14 नवम्बर 1972/23 कार्तिक 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 14, 1972/ Kartika 23, 1894 (Saka)

MGIPNLK—1/Lok Sabha/72—2-2-73—490 Copies.